

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6, 31 और 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, जिनका प्रारूप इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 14.03.2012 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 16.03.2012 को तत्पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् .-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम . - इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 है।
2. परिभाषाएं . - (1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो—
 - (i) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) अभिप्रेत है ;
 - (ii) “अभिकर्ता ” से किसी निर्वाचन में, किसी अभ्यर्थी द्वारा, लिखित में, इन नियमों के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता बनने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (iii) “मतपेटी” से निर्वाचकों द्वारा मतपत्र रखने के लिए प्रयुक्त कोई पेटी, बैग या अन्य पात्र अभिप्रेत है और इसके अर्न्तगत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी होगी, यदि मत इसके द्वारा रिकार्ड किए जाते हैं;
 - (iv) “आयोग ” से धारा 2 के खण्ड (58) के अधीन परिभाषित निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;
 - (v) “परिसीमन” से इन नियमों के अधीन किया गया वार्डों का परिसीमन अभिप्रेत है;
 - (vi) “उपायुक्त ” से जिला का उपायुक्त अभिप्रेत है और इसमें ऐसा अन्य अधिकारी सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश पर इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपायुक्त के कृत्यों का पालन करने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा;
 - (vii) “मण्डलायुक्त ” से संबद्ध मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है;
 - (viii) “निर्वाचन” से निगम के पार्षदों , मेयर और उप मेयर का निर्वाचन अभिप्रेत है;
 - (ix) “निर्वाचक” से निगम के पार्षदों , मेयर और उप मेयर के निर्वाचन में मतदान करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (x) “निर्वाचक नामावली ” से इन नियमों के अधीन मतदान करने के हकदार वार्ड के व्यक्तियों की निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है;

- (xi) “निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर निगम)” से इन नियमों के अनुसार निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (xii) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (xiii) “सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (xiv) “शपथ या प्रतिज्ञान” से अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट निष्ठा या प्रतिज्ञान की शपथ अभिप्रेत है;
- (xv) “पदाधिकारी” से इन निगम के मतदाताओं द्वारा, यथास्थिति, मेयर, उप मेयर या पार्षद के रूप में निर्वाचित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (xvi) “मतदान केन्द्र” से निगम के निर्वाचन के संचालन हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत स्थान अभिप्रेत है;
- (xvii) “जनसंख्या” से अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना पर, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, यथा अभिनिश्चित जनसंख्या अभिप्रेत है;
- (xviii) “पुनरीक्षण प्राधिकारी” से वार्ड या उसके भाग की निर्वाचक नामावली की बावत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर निगम) द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकने वाला कोई राजपत्रित अधिकारी या कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
- (xix) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (xx) “चिन्ह (प्रतीक)” से इन नियम के अधीन निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को आबंटित चिन्ह (प्रतीक) अभिप्रेत है;
- (xxi) “कोष” से राज्य सरकार का कोष या उपकोष अभिप्रेत है और इसके अर्न्तगत ऐसा बैंक भी है, जिसमें ऐसे कोष या उपकोष का कारबार होता है; और
- (xxii) “वार्ड” से ऐसा वार्ड अभिप्रेत है, जिसके प्रतिनिधित्व के लिए इन नियमों के अधीन कोई पदाधिकारी निर्वाचित किया जाना है या निर्वाचित किया गया है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय-2

वार्डों का परिसीमन और आरक्षण

3. निगम का वार्डों में विभाजित किया जाना . – (1) निगम के लिए निर्वाचन आयोजित करने हेतु इसे वार्डों में विभाजित किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन किसी निगम में वार्डों की संख्या धारा 6 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

4. वार्डों की सीमा . – (1) समग्र नगर पालिक क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड की यथा साध्य समान जनसंख्या होगी और प्रत्येक वार्ड क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से संहत और समीपस्थ होगा और उसकी पहचानने योग्य सीमाएं होंगी जैसे सड़कें, रास्ते, गलियाँ, पथ, नदियां, नहरें, नालियां, पुल, रेलवे लाईनें या ऐसे अन्य चिन्ह या सीमाएं, जिन्हें आसानी से भिन्न किया जा सके।।

(2) प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वार्ड सदैव ऐसी नीति में वर्णित और अधिसूचित किया जाएगा, जिससे इसकी सीमाएं भूमि पर स्पष्टतया यह जानने योग्य हों।

5. वार्डों का नाम और संख्या . – प्रत्येक वार्ड इसे दी गई क्रम संख्या से जाना जाएगा और इसे कोई नाम भी दिया जाएगा।

6. वार्डों का परिसीमन . – जब आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन कोई निदेश दिया जाता है, तो उपायुक्त, अधिनियम की धारा 6 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नगर पालिक क्षेत्र को वार्डों में विभाजित करते हुए एक प्रस्ताव तैयार करेगा और ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमाएं परिनिश्चित करेगा तथा उसे अपने कार्यालय और निगम के कार्यालय में निरीक्षण के लिए रखेगा और ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्ररूप में सूचना (नोटिस) जारी करेगा और ऐसी सूचना (नोटिस) को अपने कार्यालय और निगम के कार्यालय में चिपका कर निवासियों से आक्षेप आमन्त्रित करेगा।

(2) उपायुक्त, सूचना (नोटिस) जारी करते समय नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं से दस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप-2 में वार्ड के किसी भी मतदाता से ऐसे प्ररूप परिसीमन प्रस्ताव के विषय में आक्षेप मंगवाएगा।

7. आक्षेपों का निपटान . – उपायुक्त नियम 6 के अधीन आक्षेपों, यदि कोई है/हों, की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा और ऐसे आक्षेप करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, दस दिन की अवधि के भीतर उन्हें विनिश्चित करेगा।

8. अपील . – उपायुक्त के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध मण्डलायुक्त के पास, दस दिन की अवधि के भीतर अपील दायर कर सकेगा, जो अपील कर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् दस दिन की अवधि के भीतर इसे विनिश्चित करेगा, और आदेश की सूचना उपायुक्त को देगा। मण्डलायुक्त द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

9. अन्तिम प्रकाशन . – (1) समस्त आक्षेपों की सुनवाई करने और अन्तिम रूप से विनिश्चय करने के पश्चात्, इस प्रकार किए गए परिसीमन को, परिसीमन हेतु प्रस्ताव के प्रारंभिक प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर इसकी एक प्रति उपायुक्त के कार्यालय, निगम और

ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसे उपायुक्त विनिश्चय करे चिपका कर, अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा उसकी एक प्रति सरकार को भेजी जाएगी।

(2) उपायुक्त से अन्तिम परिसीमन आदेश की प्राप्ति पर, राज्य निर्वाचन आयोग, निगम के वार्डों का परिसीमन राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

(3) अन्तिम रूप से परिसीमित इन वार्डों की प्रतियाँ, उपायुक्त और निगम के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। कोई मतदाता उपायुक्त को पचास रूपये की रसीद पर संदाय के बदले परिसीमन आदेश की प्रति ले सकता है और वह उसे तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी।

10. पार्षदों के स्थानों (सीट) का आरक्षण और चक्रानुक्रम .- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनकी जन संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित जातियों की जन संख्या के उच्चतम प्रतिशतता वाले वार्ड में स्थान, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशतता वाले वार्ड में स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(2) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या एक से अधिक हो, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अगली अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाले वार्ड का स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए इसी प्रकार आरक्षित किया जाएगा :

परन्तु यदि नगर निगम क्षेत्र में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या के पांच प्रतिशत से कम हो, तो उनके लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, यथास्थिति, स्थानों का आरक्षण, लॉट निकाल कर किया जाएगा :

परन्तु यदि उनके लिए आरक्षित स्थानों की संख्या एक से अधिक नहीं है, तो यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षण, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् अनुकल्पतः (बारी-बारी से) होगा :

परन्तु यह और कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए, यथास्थिति, आरक्षित स्थान दो हों, तो कम से कम एक वार्ड, यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होगा।

(4) निगम में, नियम 9 के अधीन बनाए गए कुल वार्डों में से उप-नियम (4) के अधीन किए गए आरक्षण सहित आधे स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इन स्थानों की संगणना करते समय विभाजन करने के पश्चात् यदि अतिशेष एक रह जाता है, तो प्रथम निर्वाचन में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को एक से बढ़ाया जाएगा तथा अगले निर्वाचन में इसे जोड़ा नहीं जाएगा।

(5) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान आगामी निर्वाचन में परिवर्तित कर दिए जाएंगे और आने वाले निर्वाचन के समय आगामी अधिकतम

प्रतिशतता की जनसंख्या वाले वार्ड/वार्डों के स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी सम्मिलित हैं, के लिए आरक्षित होंगे और पहले वाला आरक्षित स्थान, सामान्य श्रेणी के सदस्यों के लिए अनारक्षित रखा जाएगा और पश्चात्वर्ती निर्वाचन के लिए यही कम चलता रहेगा।

स्पष्टीकरण : सामान्य श्रेणी में इस श्रेणी से सम्बन्धित पुरुष या महिलाएं दोनों सम्मिलित हैं।

(6) महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाएं भी सम्मिलित हैं, के लिए आरक्षित स्थानों को अपवर्जित करने के पश्चात् लॉट निकाल कर किया जाएगा।

(7) उपायुक्त, लॉट निकालने की तारीख, स्थान और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए, तीन दिन की सुस्पष्ट सूचना (नोटिस) जारी करेगा और ऐसी सूचना (नोटिस) वह अपने कार्यालय और निगम के सूचना पट्ट पर चिपकवाएगा और वह इसको निगम क्षेत्र में डोंडी पिटवा कर भी घोषित करवाएगा। लॉट, विनिर्दिष्ट तारीख, स्थान और समय को नगापालिक क्षेत्र के कम से कम तीन विशिष्ट व्यक्तियों और सरकार के तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

(8) कोई भी वार्ड, दो कमवर्ती निर्वाचनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं होगा।

(9) इन नियमों में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्थानों (सीटों) के आरक्षण का रोस्टर, उपरोक्त नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् आयोजित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए आरम्भिक प्रक्रम से ऐसे प्रवर्तित होगा मानों उक्त निर्वाचन प्रथम बार संचालित किए जा रहे हों, इस नियम के अधीन स्थानों का आरक्षण निगम के विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रमित किया जाएगा।

(10) उपायुक्त द्वारा किए गए आरक्षण को, ऐसे आरक्षण के आदेश की प्रति अपने और निगम के कार्यालय के सूचना पट्ट में चिपकाते हुए, विस्तृत प्रचार किया जाएगा और वह उसकी एक प्रति सरकार को भी भेजेगा।

11. आयोग को रिपोर्ट देना :- सरकार, इसके द्वारा किए गए अंतिम आरक्षण आदेश की प्रति, निर्वाचन आयोग को तुरंत परिदत्त करवाएगी।

अध्याय-3

मेयर के पद का आरक्षण और चक्रानुक्रम

12. मेयर के पद का आरक्षण और चक्रानुक्रम . - (1) मेयर के पद के लिए आरक्षण चक्र निम्नलिखित रूप में होगा:-

- (i) प्रथम पांच वर्ष के दौरान: सामान्य
- (ii) द्वितीय पांच वर्ष के दौरान: महिलाएं
- (iii) आगामी पांच वर्ष के दौरान: अनुसूचित ; और
- (iv) आगामी पांच वर्ष के दौरान: अनुसूचित जनजाति :

परन्तु जहां उपरोक्त व्यक्तियों की किसी श्रेणी की जनसंख्या, निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पन्द्रह प्रतिशत से कम है, वहां मेयर का पद उस श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं होगा और वह समस्त श्रेणियों के लिए खुला होगा।

(2) उप-नियम (2) में आरक्षण का रोस्टर, एक चक्र पूर्ण करने के पश्चात् दोहराया जाएगा।

13. आयोग को रिपोर्ट :- सरकार, इसके द्वारा किए गए मेयर के पद के अंतिम आरक्षण और चक्रानुक्रम की बावत आदेश की प्रति, आयोग को तत्काल परिदत्त करवाएगी।

अध्याय-4

निर्वाचक नामावलिां

14. प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली . - (1) निगम के प्रत्येक वार्ड या मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आयोग के अधीक्षण, निर्देश और नियन्त्रण के अधीन नियम 15 से 29 में विनिर्दिष्ट रीति में तैयार की जाएगी:

परन्तु इस नियम की कोई भी बात, इन नियमों के अधीन निर्वाचन के लिए प्रारूप नामावली तैयार करने के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की चालू निर्वाचक नामावली के किसी सम्बद्ध भाग के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।

(2) निर्वाचक नामावली हिन्दी देवनागरी लिपि में, ऐसे प्रारूप में तैयार की जाएगी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए।

15. निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना . - जब आयोग द्वारा नियम 14 के अधीन निर्देश किया गया हो, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन नियमों के अनुसार निगम के प्रत्येक वार्ड या उसके भाग के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा।

16 निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरहता . - (1) कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरहित होगा, यदि वह :-

- (क) भारत का नागरिक नहीं है ; या
- (ख) विकृत चित है और इस रूप में सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है ; या
- (ग) नगरपालिकाओं या विधान सभा या संसद के निर्वाचनों के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरण या अन्य अपराध के लिए इस सम्बन्ध में विधि के अधीन कुछ समय के लिए मतदान के लिए निरहित किया गया हो ; या
- (घ) साधारणतया वार्ड का निवासी नहीं है ; या
- (ङ.) प्रथम जनवरी को या इससे पूर्व या निर्वाचक नामावलियों को, यथास्थिति, तैयार या पुनरीक्षण करने हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का है ; या
- (च) यथास्थिति, किसी अन्य नगरपालिका या ग्राम सभा में निर्वाचक के रूप में पहले ही रजिस्ट्रीकृत है ;

(2) कोई व्यक्ति निगम के केवल एक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

(3) कोई व्यक्ति केवल इसी आधार पर किसी वार्ड का साधारणतया निवासी नहीं समझा जाएगा कि उस वार्ड में उसके स्वामित्व और कब्जे में रिहायशी मकान है। किसी व्यक्ति का साधारण तया निवासी बने रहना केवल इस कारण समाप्त नहीं समझा जाएगा कि वह अस्थायी रूप से अपने साधारण निवास के स्थान से अनुपस्थित है।

17 निर्वाचक नामावली का प्रारूप में प्रकाशन :- (1) जैसे ही किसी वार्ड की प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार हो जाती है, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसके प्रारूप को आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप-3 में सूचना (नोटिस) के साथ में प्रकाशित करेगा और इसकी प्रतियां अपने कार्यालय में, सम्बद्ध निगम और तहसील के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन सूचना (नोटिस) का उस क्षेत्र में अधिक परिचालन वाले समाचार पत्रों द्वारा, आल इण्डिया रेडियो द्वारा, नगर में डोंडी पिटवाकर और ऐसी सूचना (नोटिस) की प्रतियां अपने कार्यालय में और निगम और सम्बन्धित तहसील के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य सहज दृश्य स्थानों पर, जहां सर्व साधारण की पहुँच हो, चिपकाकर व्यापक प्रचार किया जाएगा। सूचना (नोटिस) में ऐसी तारीख, जब तक आक्षेप या दावे दायर किए जा सकेंगे और वे प्राधिकारी जिन्हें आक्षेप और दावे प्रस्तुत किए जा सकेंगे, अन्तर्विष्ट होंगे।

18. दावों और आक्षेपों को दाखिल करने की अवधि :- निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए प्रत्येक दावा और उसमें प्रविष्ट के विषय में प्रत्येक आक्षेप, नियम 17 के अधीन प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर या इस निमित्त आयोग द्वारा यथा नियत अल्पतर अवधि के भीतर, दाखिल किया जाएगा।

19. पुनरीक्षण प्राधिकारियों की नियुक्ति :- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, किसी वार्ड या किन्हीं वार्डों की निर्वाचन नामावलियों के सम्बन्ध में दावों और आक्षेपों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक पुनरीक्षण प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को नियुक्त कर सकेगा। इन नियुक्तियों का, जब भी यह की जाए, व्यापक प्रचार किया जाएगा।

20. दावों और आक्षेपों को दाखिल करने की रीति:- (1) दावा या आक्षेप, नियम 19 में निर्दिष्ट सूचना (नोटिस) में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा और इसे व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। निर्वाचक नामावली में, नाम शामिल करने के लिए प्रत्येक दावा, नाम शामिल करने की बाबत आक्षेप या प्रविष्टी की विशिष्टियों के बारे में आक्षेप, यथास्थिति, क्रमशः प्रारूप 4, 5 या 6 में किया जाएगा।

(2) निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करवाने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा दावा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसे ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम उस निर्वाचक नामावली में पहले से ही शामिल है जिसमें दावेदार अपना नाम शामिल करवाने का इच्छुक है, प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और यदि उसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाता, तो दावेदार स्वयं या उसके द्वारा इस निमित्त लिखत में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में कोई नाम शामिल करने बारे में तब तक आक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि उसका नाम पहले से ही निगम की निर्वाचक नामावली में शामिल न हो।

(4) पुनरीक्षण प्राधिकारी दावों का प्रारूप-7 में, नाम शामिल करने के प्रति आक्षेपों का प्रारूप-8 में, और किसी प्रविष्टि के विशिष्टियों के प्रति आक्षेपों का प्रारूप-9 में रजिस्टर रखेगा और उसमें, यथास्थिति, उनकी प्राप्ति का समय, प्रत्येक दावे या आक्षेप का विवरण दर्ज करवाएगा।

(5) कोई दावा या आक्षेप, जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या इसमें विनिर्दिष्ट रीति में दाखिल नहीं किया जाता है, अस्वीकृत किया जाएगा और विनिश्चय, यथास्थिति, प्रारूप-7, 8 और 9 में तैयार किए गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

21 दावों और आक्षेपों की सूचना (नोटिस) . - (1) जहां नियम 20 के उपनियम (5) के अधीन दावा या आक्षेप अस्वीकृत नहीं किया जाता है, वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी दावों और आक्षेपों को

प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् अपने कार्यालय के सूचना (नोटिस) पट्ट पर, समस्त दावों या आक्षेपों की सूची, यथास्थिति, प्ररूप-10, 11 और 12 में प्रदर्शित करेगा।

(2) प्रत्येक दावेदार और आक्षेप कर्ता को ऐसे दावे या आक्षेप की सुनवाई के स्थान, तारीख और समय के विषय में सूचना (नोटिस) दी जाएगी और उसे, यथास्थिति, प्ररूप-13, 14 और 16 में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाएगा जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

(3) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध निर्वाचन नामावली में उसका नाम शामिल किए जाने या उससे नाम हटाए जाने के विषय में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आक्षेप प्राप्त किया गया है, को प्ररूप-15 में, उसके ज्ञात निवास स्थान पर, आक्षेप की सुनवाई के लिए नियत तारीख स्थान और समय के विषय में सूचना (नोटिस) दी जाएगी और उसे ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाएगा, जो वह अपने प्रतिवाद में प्रस्तुत करना चाहता है।

22 दावों और आक्षेपों का निपटान . - (1) पुनरीक्षण अधिकारी, नियम 20 के उपबन्धों के अधीन तारीख, समय और स्थान पर, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन दावों और आक्षेपों की सुनवाई और विनिश्चय दस दिन के भीतर या ऐसी अल्पतर अवधि के भीतर करेगा, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और वह अपने विनिश्चय को रजिस्ट्रारों में, यथास्थिति, प्ररूप-7, 8 या 9 में, अभिलिखित करेगा।

(2) आक्षेप से सम्बन्धित आदेश की प्रति, दावेदार और आक्षेपकर्ता को, यदि वह उपस्थित हो, तुरन्त 15/- रुपये के संदाय पर, रसीद पर दी जाएगी। अन्यथा वह नकद 25/- रुपये के संदाय पर, रसीद पर, इसकी प्रति प्राप्त कर सकेगा।

(3) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो उसको, यथा व्यवहार्य एक सप्ताह के भीतर विनिश्चित करेगा।

(4) यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि, निर्वाचक नामावली की तैयारी के दौरान, अनजाने में या त्रुटि से निर्वाचकों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने से छूट गए हैं, या मृत व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम या उन व्यक्तियों के नाम, जो वार्ड या उसके भाग के प्रायः निवासी नहीं रहे हैं या निवासी नहीं हैं, निर्वाचक नामावली में शामिल कर लिए गए हैं या कतिपय निर्वाचक गलत वार्ड या मतदान केन्द्र में दर्शाए गए हैं, और इस उप नियम के अधीन उपचारी कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, तो वह प्ररूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर-

- (क) ऐसे निर्वाचकों के नाम और अन्य विशिष्टियों की सूची तैयार करेगा ;
- (ख) अपने कार्यालय के सूचना (नोटिस) पट्ट पर, निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने या निर्वाचक नामावली से नाम के हटाए जाने पर विचार करने की तारीख (तारिखें) और स्थान (स्थानों)की सूचना (नोटिस) सूची की प्रति सहित, प्रदर्शित करेगा; और
- (ग) प्रस्तुत किए जाने वाले किसी मौखिक या लिखित आक्षेप पर विचार करने के पश्चात्, सभी या किन्हीं नामों को निर्वाचक नामावली में शामिल करने या उस में से हटाने का विनिश्चय करेगा।

23 निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन . - (1) पुनरीक्षण प्राधिकारी, जैसे ही वह, उसे प्रस्तुत किए गए सभी दावों या आक्षेपों का निपटान कर देता है, तो ऐसे दावों या आक्षेपों के रजिस्टर और

उसके द्वारा उन पर पारित आदेशों सहित उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो यथास्थिति, ऐसे आदेशों या नियम 22 के उप-नियम (3) के अधीन, उस द्वारा अपील में पारित आदेशों और नियम 22 के उप-नियम (4) के परिणामस्वरूप शुद्धियों के अनुसार निर्वाचक नामावली को सही करवाएगा, और अन्तिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन आयोग द्वारा नियत तारीख को, निरीक्षण के लिए उनकी पूर्ण प्रति उपलब्ध करते हुए, प्रकाशित करेगा और उसकी सूचना (नोटिस) प्ररूप -17 में अपने कार्यालय और नगर निगम के और सम्बन्धित तहसील के कार्यालय में भी प्रदर्शित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधन सहित या रहित निर्वाचक नामावली, वार्ड या उसके भाग की निर्वाचक नामावली होगी और इस नियम के अधीन इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

24 निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण . – नियम 23 में किसी बात के होते हुए भी, आयोग किसी भी समय, ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, कारणों को अभिलिखित करके, किसी वार्ड या उसके भाग की निर्वाचक नामावली के लिए विशेष पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा:

परन्तु इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन, ऐसे किसी निदेश के जारी होने के समय, वार्डों या उनके भाग के लिए प्रवृत्त निर्वाचक नामावलियां, ऐसे निदेश के अधीन विशेष पुनरीक्षण के पूरा होने तक प्रवृत्त रहेंगी।

25 निर्वाचन नामावली में प्रविष्टियों का ठीक करना . – यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, उसे प्ररूप 6 या प्ररूप 18 में आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से, समाधान हो जाता है कि ऐसी जांच किए जाने पर, जैसी वह उचित समझे, कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि –

(क) किसी विशिष्ट रूप में गलत या त्रुटिपूर्ण है, और

(ख) सम्बन्धित व्यक्ति का नाम इस आधार पर हटाया जाना चाहिए कि वह मर गया है या साधारणतया निवास नहीं कर रहा है या अन्यथा निर्वाचक नामावली में वह नाम दर्ज करवाने को हकदार नहीं है, तो वह प्रविष्टि में संशोधन करेगा या उसे हटा देगा :

परन्तु खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी आधार पर कोई कार्रवाई करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को, उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि नियम 33 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी भी समय नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नियत अन्तिम तारीख से आठ दिन अपश्चात् तक, इस नियम के अर्न्तगत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन किया जाएगा।

26. अन्तिम रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली में नामों का सम्मिलित करना :- (1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्ररूप-4 (द्विप्रतिक) में आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन के साथ, नकद में, रसीद पर, 50/- रूपये फीस के रूप में दिए जाएंगे :

परन्तु ऐसा आवेदन, नियम 33 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हो जाने के पश्चात् नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अन्तिम तारीख से आठ दिन अपश्चात् तक किया जाएगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर तुरन्त उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में सहज दृश्य स्थान पर चिपकाएगा और इसके चिपकाए जाने की तारीख से चार दिन की अवधि के भीतर इससे सम्बन्धित आक्षेप आमन्त्रित करेगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन सूचना (नोटिस) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उसे प्राप्त हुए आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचक नामावली में दर्ज किए जाने का हकदार है, तो वह तदनुसार ऐसे नाम को उसमें सम्मिलित करने का निदेश देगा :

परन्तु यदि आवेदक, जिसका नाम सम्मिलित करने का आदेश दिया गया है, पहले ही किसी अन्य वार्ड या उसके भाग की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो ऐसा नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाएगा।

(4) जहां उप नियम (1) के अधीन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो नाम को सम्मिलित करने के लिए या हटाने के लिए अपील, आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर मण्डलायुक्त को की जाएगी और अपील के साथ, रसीद पर, नकद संदत्त किया जाने वाला 50/- रूपये का शुल्क दिया जाएगा। मण्डलायुक्त सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सात दिन की अवधि के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा और अपील में पारित ऐसा आदेश अन्तिम होगा।

(5) निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, नामांकन करने के लिए अन्तिम तारीख को या तत्पश्चात्, किसी प्रविष्टि का संशोधन, पक्षांतरण या हटाया जाना नहीं किया जाएगा।

27. निर्वाचक नामावली और उससे सम्बन्धित कागजातों की अभिरक्षा और परिरक्षण :- (1) वार्ड के लिए नामावली अन्तिम रूप से प्रकाशित हो जाने के पश्चात् निम्नलिखित कागजात, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय या आयोग के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य स्थान पर तब तक रख जाएंगे जब तक उक्त निर्वाचक नामावली प्रवृत्त रहेगी :-

- (क) निर्वाचक नामावली की पूर्ण अतिरिक्त प्रतियां ;
- (ख) नियम 22 के अधीन दावों और आक्षेपों तथा आदेशों से सम्बन्धित कागजात;
- (ग) नियम 25 तथा 26 के अधीन आवेदन तथा उन पर विनिश्चय;
- (घ) नियम 26 के उप-नियम (4) के अधीन अपील सम्बन्धी कागजात ; और
- (ङ.) प्रगणना अभिकरणों द्वारा तैयार की गई पाण्डुलिपियां और अन्य कागजात, यदि कोई हों, और निर्वाचक नामावली का संकलन करने के लिए प्रयुक्त।

(2) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की एक पूर्ण प्रति, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि-प्रमाणित, तब तक ऐसे स्थानों पर, जैसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं रखी जाएगी, जब तक नई निर्वाचक नामावली अन्तिम रूप से प्रकाशित न कर दी गई हो।

28 निर्वाचक नामावलियों और उनसे सम्बन्धित कागजातों का निरीक्षण . - प्रत्येक व्यक्ति को, नियम 27 के अधीन निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली को निरीक्षण करने और नकद में, रसीद पर, दस रूपए प्रतिपृष्ठ या किसी भाग के लिए संदत्त किए जाने पर, अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

29 निर्वाचक नामावलियों और उससे सम्बन्धित कागजातों का निपटारा :- नियम 27 में निर्दिष्ट कागजात का उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी रीति में निपटान किया जाएगा, जैसा आयोग निदेश दे।

अध्याय-5

अधिकारी और उनके कर्त्तव्य

30 रिटर्निंग अधिकारी और उनके कर्त्तव्य:- (1) आयोग, जिला के उपायुक्त को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, प्रत्येक नगर निगम के निर्वाचनों के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी, अपने किन्ही या सभी कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए यथा आवश्यक सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(3) इन नियमों या तदधीन किए गए आदेशों में उपबन्धित रीति में निर्वाचन को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए यथा आवश्यक सभी कार्य तथा कार्रवाई करना रिटर्निंग अधिकारी का कर्त्तव्य होगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक वार्ड के लिए इतने मतदान केन्द्रों की संख्या नियत करेगा, जितनी वह आवश्यक समझे और इस निमित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को अपने कार्यालय में तथा निगम के कार्यालय में उसकी एक सूची की एक प्रति चिपकाएगा, जिसमें मतदान क्षेत्र स्पष्ट रूप में दर्शाए गए हों :

परन्तु कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस स्टेशन, अस्पताल, सम्प्रदाय या धार्मिक महत्व के स्थान पर स्थित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां तक सम्भव हो, मतदान केन्द्र सरकारी या अर्धसरकारी या नगर निगम भवनों में स्थित होगा और यदि ऐसा कोई भवन उपलब्ध न हो, तो मतदान केन्द्र किसी अस्थायी निर्मिति में स्थित होगा।

31 मतदान कर्मियों की नियुक्ति . - (1) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी और इतनी संख्या में मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा, जितने वह इसके लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो, तो पीठासीन अधिकारी किसी भी सरकारी या अर्धसरकारी या निगम कर्मचारी को पूर्ववर्ती अधिकारी की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान, मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और तब तदानुसार रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) यदि पीठासीन अधिकारी, अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो, तो उसका कार्य उस मतदान अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसे रिटर्निंग अधिकारी ने ऐसी अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए पहले ही प्राधिकृत कर रखा हो।

32. उपायुक्त और अन्य अधिकारियों/कर्मचारिवृन्द के कर्त्तव्य . -(1) उपायुक्त/ जिला दण्डाधिकारी और अन्य अधिकारी/कर्मचारिवृन्द इन नियमों या तदधीन किए गए आदेशों में उपबन्धित रीति में आयोग के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन निर्वाचनों को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कार्य तथा कार्रवाई करेंगे।

(2) निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के सम्बन्ध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में

जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान आयोग के नियन्त्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

अध्याय-6

निर्वाचनों का संचालन

33 निर्वाचन कार्यक्रम . – (1) राज्य निर्वाचन आयुक्त निगम के आम (साधारण) निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम किसी निगम में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए या ऐसे निगम के निर्वाचन के लिए जो विघटित कर दिया गया हो,के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा(जिसे इसमें इसके पश्चात् “निर्वाचन कार्यक्रम” कहा गया है)।

(2) निर्वाचन कार्यक्रम में ऐसे तारीख/तारीखें विनिर्दिष्ट होंगी जिनमें या जिनके भीतर :-

- (i) नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे ;
- (ii) नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी ;
- (iii) अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले सकेगा ;
- (iv) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची लगाई जाएगी ;
- (v) मतदान केन्द्रों की सूची चिपकाई जाएगी ;
- (vi) मतदान यदि आवश्यक हो बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक होगा (मतदान का समय छह घण्टे से कम नहीं होगा) ;
- (vii) मतदान की स्थिति में गणना (यहां समय और स्थान प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा); और
- (viii) निर्वाचन का परिणाम घोषित किया जाएगा।

(3) निर्वाचन कार्यक्रम, नामांकन पत्रों को दाखिल करने की तारीख से सात दिन पूर्व उपायुक्त, तहसील और नगर निगम के कार्यालय और निगम के ऐसे अन्य सहजदृष्य स्थानों में, जो उपायुक्त द्वारा इस निमित्त अवधारित किए जाएं प्रतिलिपि चिपका कर प्रकाशित किया जाएगा।

(4) नामांकन पत्र दायर करने की अवधि तीन कार्य दिवस होगी और संवीक्षा की तारीख नामांकन पत्र दायर करने की अन्तिम तारीख से अगले कार्य दिवस तक होगी। नाम वापिस लेने की तारीख, संवीक्षा की तारीख से तीसरे दिन तक होगी। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची लगाए जाने की तारीख वही होगी जो अभियर्थिता वापस लेने के लिए नियत की जाएगी। मतदान केन्द्रों की सूची, मतदान की तारीख से एक माह पूर्व या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को प्रकाशित की जाएगी। नाम वापस लेने की तारीख और मतदान होने की तारीख के बीच कम से कम पन्द्रह दिन का अन्तर होगा और मतदान अधिमानतः रविवार या किसी राजपत्रित अवकाश के दिन किया जाएगा।

(5) आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम को संशोधित, परिवर्तित या उपान्तरित कर सकेगा:

परन्तु जब तक आयोग अन्यथा निदेश न दे, तब तक कोई आदेश, आदेश की तारीख से पूर्व की गई किसी भी कार्यवाही को अविधिमान्य करने वाला नहीं समझा जाएगा।

34 निर्वाचन की सूचना (नोटिस) . – (1) रिटर्निंग अधिकारी उस तारीख को, जिसको आयोग द्वारा नियम 33 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है प्ररूप-19 में अपने कार्यालय और

तहसील तथा नगर निगम के कार्यालय या ऐसे स्थान पर, जो वह अवधारित करने की सूचना (नोटिस) चिपकाएगा –

- (क) निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र आमन्त्रित करना ;
- (ख) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तारीख, समय और स्थान नियत करना ;
- (ग) प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करना जिसको नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे ;
- (घ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख,समय और स्थान नियत करना ;
- (ङ) नाम वापिस लेने की सूचना (नोटिस) की प्राप्ति के लिए तारीख समय और स्थान और प्राधिकारी नियत करना ;
- (च) निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) के आबंटन के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करना; और
- (छ) मतदान की तारीख और समय नियत करना, यदि आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण – खण्ड (ख), (घ), (ङ) और (छ) के अर्न्तगत नियत तारीखें वही होंगी, जो नियम 33 के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट हैं।

(2) निर्वाचन प्रयोजन के लिए आयोग या रिटर्निंग अधिकारी, उसके स्वामी या उस पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति को प्रतिकर के संदाय पर, अधिग्रहण कर सकेगा और निर्वाचन के पश्चात् इसे अधिग्रहण से निर्मुक्त कर देगा:

परन्तु राज्य सरकार या इसके अभिकरणों से सम्बन्धित या उनके स्वामित्वधीन कोई परिसर, यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण किया जाता है, तो उनके लिए संदेय प्रतिकर उस रकम से अधिक नहीं होगा, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जा सकेगी।

35 चिन्हों (प्रतीकों) की अधिसूचना . – आयोग, निगम के निर्वाचन पर, अभ्यर्थियों को आबंटित किए जाने वाले चिन्हों (प्रतीकों) को विनिर्दिष्ट कर के, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में, प्रकाशित करवाएगा और समय-समय पर चिन्हों (प्रतीकों) की सूची में संशोधन या फेरफार कर सकेगा।

36 चिन्हों (प्रतीकों) का वर्गीकरण — (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, चिन्ह (प्रतीक) या तो आरक्षित रहेंगे या स्वतन्त्र।

(2) आरक्षित चिन्ह (प्रतीक) वह चिन्ह (प्रतीक) है, जिसे किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी के लिए, उस पार्टी द्वारा निर्वाचन लड़ने के लिए खड़े किए हुए अभ्यर्थी को अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए रखा जाता है।

(3) आरक्षित चिन्ह (प्रतीक) से अन्यथा चिन्ह (प्रतीक) स्वतन्त्र चिन्ह (प्रतीक) है।

37 निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन . – (1) (क) निगम के भीतर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति, जो निगम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता है द्वारा, महापौर/उप-महापौर के पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामांकित किया जा सकेगा।

(ख) निगम के भीतर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति, जो निगम के उस वार्ड के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता है, द्वारा, वार्ड के पार्षद के पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामांकित किया जा सकेगा।

(2) अभ्यर्थी और प्रस्तावक द्वारा, प्ररूप-20 में सम्यक् रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित नामांकन पत्र, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा या तो स्वयं से या उसके प्रस्तावक द्वारा, नामांकन पत्र भरने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के मध्य, नियम 34 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को दिया जाएगा।

(3) किसी भी वार्ड/निगम, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित है, में यथास्थिति, नामांकन पत्र तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा, जब तक उसमें अभ्यर्थी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह घोषणा नहीं की जाती कि, विशिष्टतः वह किस जाति अथवा जनजाति का सदस्य है और अभ्यर्थी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा, यह प्रमाणित करते हुए, जारी प्रमाण-पत्र, कि अभ्यर्थी ऐसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से सम्बन्ध रखता है, प्रस्तुत नहीं कर देता।

(4) रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन पत्रों के प्रस्तुत किए जाने पर, अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक का नामांकन पत्र में यथाप्रविष्ट नाम और क्रम संख्या वही है, जैसी वे निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है, के विषय में अपना समाधान करेगा :

परन्तु यह कि उसी वार्ड/निगम के निर्वाचन के लिए, किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्मित तीन नामांकन पत्रों से अनधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि रिटर्निंग अधिकारी, उक्त नामांकन पत्रों की बाबत, या उक्त नामों या संख्याओं की बाबत किसी लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि को, निर्वाचक नामावली में तत्स्थानी प्रविष्टियों के अनुसार, अनुरूपता लाने के लिए, शुद्धि करने की अनुज्ञा देगा और जहां आवश्यक समझे, यह निदेश दे सकेगा कि उक्त प्रविष्टियों में किसी लिपिकीय या टंकण सम्बन्धी त्रुटि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

38 प्रतिभूति निक्षेप . – कोई भी अभ्यर्थी किसी वार्ड/निगम के निर्वाचन के लिए तब तक नामांकित किया गया नहीं समझा जाएगा, जब तक वह, रिटर्निंग अधिकारी के पास, रसीद पर, निम्नलिखित धनराशि, नगद में प्रतिभूति के रूप में जमा नहीं कर देता या करवा देता :-

(क) महापौर/उप-महापौर की दशा में पांच हजार रूपए की रकम, परन्तु यदि, अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, तो तीन हजार रूपए की रकम ; और

(ख) पार्षद की दशा में तीन हजार रूपए की रकम, परन्तु यदि, अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, तो दो हजार रूपए की रकम :

परन्तु जहां अभ्यर्थी को उसी वार्ड/निगम में निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र द्वारा नामांकित किया गया है, वहां इस नियम के अधीन एक से अधिक बार प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) यदि अभ्यर्थी, जिस द्वारा या जिसके निमित्त प्रतिभूति जमा की गई है, नियम 34 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेता है, या किसी अभ्यर्थी का नामांकन रद्द किया जाता है, तो जमा प्रतिभूति, उस व्यक्ति को जिस द्वारा जमा की गई थी, या यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो उसके विधिक प्रतिनिधि को, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् वापस की जाएगी।

(3) यदि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता है और यदि उसके पक्ष में डाले गए विधिमान्य मत डाले गए कुल विधिमान्य मत से 1/6 से कम हैं, तो जमा-प्रतिभूति राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(4) यदि उप नियम (3) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति समपहृत नहीं की गई है, तो वह, ऐसे अभ्यर्थी, जिस द्वारा जमा की गई थी, को, या, यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके विधिक प्रतिनिधि को, निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना जारी होने और राजपत्र में उसके प्रकाशित होने के पश्चात्, वापस की जाएगी।

39 नामांकनों की सूचना . – नियम 37 के उप-नियम (2) के अधीन नामांकन-पत्र प्राप्त करने पर, रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन पत्र पर इसकी कम संख्या दर्ज करेगा और उस पर, वह तारीख जिसको, और वह समय, जब नामांकन पत्र उसे परिदत्त किया गया था, को दर्शाते हुए एक प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करेगा। प्ररूप-21 में जिसमें नामांकन पत्रों की सूचना (नोटिस), जिसमें उसी प्रकार के विवरण अन्तर्विष्ट हो जो, अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक, दोनों के नामांकन पत्रों में अन्तर्विष्ट विवरण के अनुरूप हों, को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाएगा।

40 नामांकन पत्रों की संवीक्षा . – (1) नियम 34 के अधीन नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन पर, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा सम्यक रूप से लिखित में प्राधिकृत अभ्यर्थी और एक अन्य व्यक्ति संवीक्षा की प्रक्रिया देख सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी उनको, समस्त अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों, जो उसने और नियम 37 में अधिकथित समयावधि के भीतर और रीति में प्राप्त किए हैं, की परीक्षा हेतु समस्त उचित सुविधाएं देगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों का परीक्षण करेगा और किसी भी नामांकन पत्र पर किए गए सभी आक्षेपों का विनिश्चय करेगा और ऐसे आक्षेप, यदि कोई हों, पर, या स्वप्रेरण से, ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित आधारों पर किसी नामांकन को रद्द कर सकेगा;

अर्थात् :-

(क) नामांकन की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को अभ्यर्थी या तो अर्हित नहीं है या इन नियमों या अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन स्थान (सीट) को भरने के लिए चुने जाने के लिए निरर्हित है ; या

(ख) नियम 37 या नियम 38 के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहा है ; या

(ग) नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं।

(3) उप-नियम (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभ्यर्थी का अन्य नामांकन, जहां ऐसे नामांकन को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है, अस्वीकार करने के लिए प्राधिकृत समझा जाएगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी नियम 34 के उप नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन इस निमित्त नियत की गई तारीख और समय पर संवीक्षा करेगा। एक बार प्रारम्भ की गई संवीक्षा की प्रक्रिया को, सिवाय जब ऐसी कार्यवाहियां, बलवे द्वारा, खुली हिंसा या रिटर्निंग अधिकारी के नियन्त्रण से बाहर के कारणों द्वारा, अवरोधित या बाधित है, स्थगित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि आक्षेप, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उठाया गया है या अभ्यर्थी या अभ्यर्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में किया गया है, तो सम्बद्ध अभ्यर्थी को इसे आस्थगित करने का समय, संवीक्षा के दिन के अगले दिन के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी अपना विनिश्चय उस तारीख को अभिलिखित करेगा, जिस दिन को कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं।

(5) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर, उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और यदि नामांकन पत्र अस्वीकार हो जाता है, तो ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित में अभिलिखित करेगा।

(6) इस नियम के प्रयोजन के लिए, वार्ड की तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि, इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस वार्ड का मतदाता है।

(7) समस्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा करने और उन्हें स्वीकार करने या अस्वीकार करने के विनिश्चय को अभिलिखित करने के तुरन्त पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी, विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थियों, अर्थात् अभ्यर्थी जिनका नामांकन विधिमान्य पाया गया है, की सूची प्ररूप 22 पर तैयार करेगा और रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सूचना (नोटिस) पट्ट पर चिपकाएगा।

41 अभ्यर्थिता वापस लेना . — (1) कोई अभ्यर्थी प्ररूप-23 में अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित में सूचना (नोटिस) द्वारा और उक्त नियम में विनिर्दिष्ट तारीख को अपराहन 3.00 बजे से पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी या नियम 34 के उप नियम (1) खण्ड (ड) के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, प्रदत्त कर अभ्यर्थिता को वापस ले सकेगा और ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस प्रकार अपनी अभ्यर्थिता वापस ली है, ऐसे अभ्यर्थिता लिए जाने की सूचना (नोटिस) को रद्द करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना (नोटिस) की प्राप्ति पर, रिटर्निंग अधिकारी या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्ररूप-24 में इस प्रभाव की सूचना (नोटिस) अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवाएगा।

42 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची . — (1) नामांकन पत्रों की संवीक्षा पूर्ण होने पर और नियम 41 के अधीन अवधि, जिसके भीतर अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी, के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी, प्ररूप-25 में हिन्दी में, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची तत्काल तैयार करेगा और इसे अपने कार्यालय के सूचना (नोटिस) बोर्ड पर चिपकवाएगा तथा उसकी एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को तथा उसके निर्वाचक अभिकर्ता की मांग पर भी देगा।

(2) उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के वर्णक्रम में देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम और पत, जैसे नामांकन पत्र में दिए गए हैं, अन्तर्विष्ट होंगे।

43 अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्हों (प्रतीकों) का आबंटन— (1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के पश्चात्, यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है, तो रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को—

(क) जहां किसी अभ्यर्थी को वार्ड/निगम में किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है, तो उसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा उस दल के लिए आरक्षित चिन्ह(प्रतीक) आबंटित किया जाएगा ; और

(ख) जहां किसी अभ्यर्थी को किसी राजनैतिक दल द्वारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, तो उसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में कम संख्या के अनुसार, और नियम 35 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह (प्रतीक) की कम संख्या के अनुसार अनुमोदित स्वतन्त्र चिन्ह (प्रतीक) में से स्वतन्त्र चिन्ह (प्रतीक) आबंटित करेगा।

(2) प्रत्येक मामले में जहां उप नियम (1) के अधीन अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह (प्रतीक) दे दिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल उसे दिए गए चुनाव चिन्ह (प्रतीक) के बारे में सूचित किया जाएगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसका नमूना प्रदान किया जाएगा। ऐसी दशा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रत्येक अभ्यर्थी को आबंटित चुनाव चिन्ह (प्रतीक) भी अन्तर्विष्ट होगा।

44 जब किसी अभ्यर्थी को किसी राजनैतिक दल द्वारा उम्मीदवार बनाया गया समझा जाएगा.— इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी अभ्यर्थी को, किसी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार बनाया गया समझा जाएगा, तभी और केवल यदि —

(क) अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में इस प्रभाव की घोषणा की है ;

(ख) अभ्यर्थिता को वापस लेने के अंतिम दिन अपराह्न 3.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को इस प्रभाव की लिखित में सूचना(नोटिस) परिदत्त की है और उक्त सूचना (नोटिस) को दल के अध्यक्ष या सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, परन्तु अध्यक्ष या सचिव या ऐसा अन्य पदाधिकारी, ऐसी सूचना (नोटिस) को भेजने के लिए दल द्वारा प्राधिकृत है और ऐसे प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और नमूना हस्ताक्षरों को, अभ्यर्थिता को वापस लेने के लिए अन्तिम दिन को अपराह्न 3.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी और आयोग के सचिव, को संसूचित कर दिए गए हैं।

45 निर्वाचक अभिकर्ता की नियुक्ति . — यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचक अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है, तो ऐसी नियुक्ति या तो नामांकन पत्र को परिदत्त करते समय या चुनाव से पूर्व किसी भी समय प्ररूप-26 में की जाएगी।

46 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति . — (1) मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जो अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक होगी।

(2) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप-27 में की जाएगी और इसे मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) किसी भी मतदान अभिकर्ता को, किसी मतदान केन्द्र में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जब तक कि वह उप-नियम (2) के अधीन, पीठासीन अधिकारी के समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा को सम्यक् रूप से पूर्ण करने और हस्ताक्षर करने के पश्चात्, अपनी नियुक्ति के दस्तावेजों को, पीठासीन अधिकारी को परिदत्त नहीं कर देता है।

47. मतदान अभिकर्ता की अनुपस्थिति . — जहां कोई कार्य या बात, इन नियमों द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत, अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जानी है, तो प्रयोजन के लिए नियत स्थान और समय पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में किए गए कार्य या बात को अविधिमान्य नहीं बनाएगी।

48. निर्वाचन का अधिकतम खर्च और उसका लेखा.....(1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन पर उपगत किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा .-
(क) महापौर/उप-महापौर के लिए : 3.00 लाख रुपए
(ख) पार्षद के लिए : 1.00 लाख रुपए
से अधिक नहीं होगी।

(2) वार्ड/निगम का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप-28 में निर्वाचन व्यय रजिस्टर के नाम से ज्ञात रजिस्टर में निर्वाचन के व्यय का लेखा रखेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन लेखा धारा 13 -क के अनुसार रखा जाएगा।

(4) लेखा, नामांकन दाखिल करने की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दिन प्रतिदिन के आधार पर, व्यय को प्रत्येक मद के विषय में सही रूप में और वास्तव में रखा जाएगा।

(5) प्ररूप 29 में रखी गई व्यय की समस्त मदों पर, अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किया गया समस्त व्यय, उप नियम (2) में रखे निर्वाचन व्यय लेखे में सम्मिलित किया जाएगा।

(6) उपगत व्यय के समर्थन में समस्त दस्तावेज वाऊचर, रसीदें, अभिस्वीकृतियां आदि रजिस्टर में सही रूप में रखे जाएंगे।

(7) रखा जाने वाला दिन प्रति दिन का लेखा, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या आयोग द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध किया जाएगा।

(8) अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में और समय के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने में या निर्वाचन व्यय की सही प्रति को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने में, असफलता को इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा।

(9) रखे गए कुल निर्वाचन व्यय के लेखा का विवरण, परिणाम की घोषणा के दस दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) प्ररूप 31 में अभ्यर्थी के शपथ पत्र सहित लेखे का विवरण प्ररूप 29 और 30 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(11) लेखा विवरण की प्राप्ति पर रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप 32 में अभिस्वीकृति जारी करेगा।

अध्याय 7

निर्वाचन की सामान्य प्रक्रिया

49 मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु . - उस निगम/वार्ड के लिए मतदान प्रत्यादिष्ट किया जाएगा, यदि इसके विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट और निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी घटना पर, रिटर्निंग अधिकारी मृत्यु के तथ्य पर समाधान होने पर, आयोग को

इसकी रिपोर्ट करेगा और निर्वाचन के प्रति निर्देश में सभी कार्यवाहियां, सभी प्रकार से पुनः नए सिरे से आरम्भ होंगी, मानो इन नियमों के अनुसार नया निर्वाचन हो:

परन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो मतदान के प्रत्यादिष्ट करने के समय, यथास्थिति, पहले ही वैध रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी या निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, का नामांकन आवश्यक नहीं होगा।

50 साविरोध और अविरोध निर्वाचन . –(1) नियम 49 के उपबन्धों के अधीन फील्ड में निर्वाचन लड़ने वाला यदि केवल एक अभ्यर्थी हो, तो रिटर्निंग अधिकारी स्थान भरने के लिए तुरन्त ऐसे अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और प्ररूप 33 में घोषणा जारी करेगा। यदि फील्ड में कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी मामले की रिपोर्ट, आयोग को तदनुसार आगामी कार्रवाई करने के उद्देश्य से करेगा।

(2) यदि फील्ड में निर्वाचन लगने वालों की संख्या एक से अधिक है, तो नियम 34 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान करवाया जाएगा।

51 आपातकाल में मतदान का स्थगन . – (1) यदि किसी निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों में बलवे या खुली हिंसा द्वारा, व्यवधान या बाधा पहुंचाई जाए या उस मतदान केन्द्र में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान करवाना सम्भव न हो, तो पीठासीन अधिकारी, ऐसे मतदान केन्द्र के मतदान स्थगन की, ऐसी तारीख के लिए, जो बाद में अधिसूचित की जाएगी, घोषणा करेगा और रिटर्निंग अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा।

(2) जहां उप नियम (1) के अधीन मतदान का स्थगन हुआ है, वहां रिटर्निंग अधिकारी परिस्थितियों की रिपोर्ट आयोग और सरकार को तुरन्त देगा और यथाशक्य शीघ्र, वह दिन नियत करेगा, जिसको पुनर्मतदान होगा और मतदान केन्द्र, जहां मतदान होगा और समय जिस दौरान मतदान करवाया जाएगा, नियत करेगा। ऐसे निर्वाचन में डाले गए मतों की तब तक गणना नहीं की जाएगी जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूर्ण नहीं हो जाता और ऐसे मतदान केन्द्र में प्रयोग की गई मतपेटी की सील बन्द करके सुरक्षित अभिरक्षा में, गणना आरम्भ होने तक रखा जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन समस्त मामलों में रिटर्निंग अधिकारी उप-नियम (2) के अधीन, नियत तारीख, स्थान और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना (नोटिस) को अपने कार्यालय और निगम के तथा सम्बन्धित तहसील के कार्यालय में लगाएगा।

52 मतपेटी आदि नष्ट होने की दशा में नए सिरे से मतदान . – (1) यदि किसी निर्वाचन में, कोई मतपेटी, पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्ध ली जाती है या उससे किसी प्रकार की गड़बड़ की जाती है या दुर्घटनावश अथवा जानबूझ कर नष्ट, गुम या खराब कर दी गई है, तो उस मतदान केन्द्र पर, जिससे ऐसी मतपेटी सम्बन्धित है, मतदान शून्य घोषित किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण :- मतपत्र की क्षति होने के अन्तर्गत मतों की गणना के समय किन्तु गणना और परिणाम की घोषणा पूर्ण होने से पूर्व मतपत्रों को पहुंचाई गई क्षति या नष्ट करना भी है।

(2) जब किसी मतदान केन्द्र में मतदान, उप-नियम (1) के अधीन शून्य घोषित करने के दायित्व के अधीन हो जाता है, तो पीठासीन अधिकारी यथाशक्य शीघ्रता से, ऐसे नुकसान या विनाश के कार्य या घटना की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को देगा, जो अपना समाधान करने पर कि उसके परिणाम स्वरूप उस मतदान केन्द्र के मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, मतदान को शून्य घोषित करेगा और ऐसे मतदान केन्द्र में नए सिरे से मत करवाने के लिए

दिन और समय, जिसके दौरान मतदान होगा, नियत करेगा तथा ऐसे निर्वाचन में, वार्ड के अन्य मतदान केन्द्रों में डाले गए मतों की गणना तब तक नहीं करेगा, जब तक नए सिरे से मतदान नहीं हो जाता।

53 निगम के एक से अधिक पद के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बन्धन . – कोई भी अभ्यर्थी नगर निगम के एक से अधिक पद के लिए एक ही समय में निर्वाचन नहीं लड़ेगा।

54 मतदान की पद्धति . – (1) नियम 30 के अधीन, प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान करवाया जाता है, मतदान व्यक्तिगत रूप में मतपत्र द्वारा किया जाएगा या मतदान केन्द्र में लगाई गई इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन द्वारा किया जाएगा और प्रॉक्सी पत्र द्वारा कोई मत नहीं दिया जाएगा:

परन्तु नगर निगम के वार्ड या वार्डों में ऐसी रीति में, जो नियमों या इस निमित्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अधीन, इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, द्वारा मतपत्रों को देना और प्राप्त करना अपनाया जा सकेगा।

(2) कोई भी मतदाता, निर्वाचक नामावलियों में उसका एक से अधिक बार नाम होते हुए, एक से अधिक बार किसी वार्ड में मतदान नहीं करेगा।

55 मतदान के स्थगन पर प्रतिक्रिया :- (1) यदि किसी मतदान केन्द्र में नियम 51 के अधीन मतदान स्थगित किया जाता है, तो इन नियमों के उपबन्ध ऐसे नए सिरे से करवाए जाने वाले प्रत्येक मतदान के सम्बन्ध में, ऐसे ही लागू होंगे, जैसे आरम्भिक मतदान में लागू होते हैं।

(2) जब नियम 51 के उप नियम (2) के अधीन स्थगित मतदान को पुनः प्रारम्भ किया जाता है, तो मतदाता, जो पहले इस प्रकार स्थगित मतदान में मत दे चुका हो, उसे दुबारा मत नहीं देने दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जहां स्थगित मतदान किया जाना है, निर्वाचन सूची की स्पष्ट प्रति अपेक्षित संख्या के मतपत्र और नई मतपेटी सील बन्द पैक्टों में उपलब्ध कराएगा।

(4) पीठासीन अधिकारी सील बन्द पैक्ट को ऐसे अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों, की उपस्थिति में खोलेगा और उसे स्थगित मतदान के संचालन के लिए प्रयोग करेगा।

56 मत पेटी और पेपर सील . – (1) निर्वाचन में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक मतपेटी और पेपर सील, ऐसे परिकल्प की होगी जो, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के किसी निर्वाचन में प्रयोग की जा सके अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित की जा सके।

(2) मत पेटी सुरक्षित करने के लिए पेपर सील का प्रयोग किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा और अभ्यर्थियों या ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के, जो उपस्थित हों और ऐसा करना चाहें, हस्ताक्षर कराएगा। पेपर सील का परिकल्प वैसा ही होगा, जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और प्रयोग की गई या प्रयोग न की गई पेपर सील का उचित अभिलेख प्ररूप 34 में रखा जाएगा।

(3) पीठासीन अधिकारी तदोपरान्त मत पेटी में, उसके लिए बनी जगह पर, पेपर सील लगाएगा और तब पेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित सील करेगा कि उसमें मत पत्र डालने के लिए दरार खुली रहे।

(4) मतदान केन्द्र में प्रयोग की गई प्रत्येक मतपेटी पर अन्दर और बाहर दोनों तरफ निम्नलिखित चिन्हित लेबल दिखाए जाएंगे:—

(क) क्रम संख्या और वार्ड का नाम;

(ख) क्रम संख्या और मतदान केन्द्र का नाम;

(ग) मतपेटी की क्रम संख्या (मतपेटी के केवल बाहर की ओर लेबल के अन्त में भरा जाए); और

(घ) मतदान की तारीख।

(5) पीठासीन अधिकारी, मतदान से ठीक पूर्व अभ्यर्थियों और मतदान अभिकर्ताओं तथा अन्य उपस्थित लोगों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतपेटी खाली है और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट लेबल अंकित है।

(6) मतपेटी को तब बन्द, सील तथा सुरक्षित किया जाएगा और उसे पीठासीन अधिकारी, अभ्यर्थियों यथा मतदान अभिकर्ताओं की पूर्ण दृष्टि में रखा जाएगा।

57 महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं . — (1) जहां मतदान केन्द्र, पुरुष और महिला मतदाता दोनों के लिए हैं, पाठासीन अधिकारी निर्देश दे सकेगा कि वे मतदान केन्द्र में बारी-बारी से (आनुकल्पिक रूप से) दाखिल होंगे।

(2) पीठासीन अधिकारी, महिला मतदाताओं की सहायता के लिए, और पीठासीन अधिकारी को मतदान करवाने में सहायता करने के लिए और विशिष्टतया किसी महिला मतदाता का नाम ढूंढने के लिए, जहां आवश्यक हो, किसी महिला को परिचर के रूप में सेवा करने हेतु नियुक्त कर सकेगा।

58 मतपत्रों का प्ररूप :- (1) प्रत्येक मतपत्र इसके प्रतिपर्ण सहित प्रपत्र 35 में होगा और उसकी विशिष्टियां हिन्दी की देवनागरी लिपि में होंगी।

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में क्रमांकित किए जाएंगे, जैसे वे नियम 42 के अधीन तैयार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दिए गए हैं। मतपत्र आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट परिकल्प/रंग में मुद्रित करवाए जाएंगे।

59 मतदान केन्द्र में प्रबन्ध :- (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर सुस्पष्ट रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा :-

(क) मतदान क्षेत्र जिसके मतदाता को, मतदान केन्द्र में निर्वाचनों में, मत देने का हक है या जहां मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदान कोष्ठ हैं, ऐसे प्रत्येक कोष्ठ में या किसी ऐसे कोष्ठ को आबंटित मतदाता के विवरण को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना (नोटिस); और

(ख) नियम 43 के अधीन आबंटित चिन्हों (प्रतीकों) सहित नियम-42 के अधीन तैयार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची वाली हिन्दी में देवनागरी लिपि में दूसरी सूचना (नोटिस)।

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या अधिक कक्ष स्थापित किए जाएंगे, जहां मतदाता अपने मतों को गोपनीयता में अंकित कर सकेंगे।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, मतदान के निर्वाचन के लिए अपेक्षित मत पेटियों, निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियों, मतपत्रों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करवाएगा।

60 मतदान का प्रारम्भ . – पीठासीन अधिकारी निर्वाचन की सूचना(नोटिस) में वर्णित समय पर ही मतदान का आरम्भ करेगा और मतदान के प्रारम्भ से पूर्व वह उन सभी, जो उपस्थित हों, के ध्यान में धारा 22 के उपबन्धों को लाएगा। इस धारा के उपबन्ध निम्नलिखित हैं :-

“22 मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना :- (1) ऐसा प्रत्येक अधिकारी, पदधारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन के मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से सम्बन्धित किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाए) संसूचित नहीं करेगा।

(ख) जो कोई व्यक्ति उप धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की ही हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।”

61 मतदान केन्द्र में प्रवेश . – पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र के भीतर किसी एक समय पर, प्रवेश होने वाले मतदाताओं की संख्या को विनियमित करेगा और निम्नलिखित से भिन्न, सभी व्यक्तियों को वहां से अपवर्जित करेगा :-

- (क) मतदान अधिकारी ;
- (ख) अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता ;
- (ग) रिटर्निंग अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति जो उस द्वारा प्राधिकृत हों ;
- (घ) निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन से सम्बद्ध ड्यूटी पर नियुक्त लोक सेवक ;
- (ङ) महिला मतदाता की गोदी में बच्चा और अंधे या दुर्बल मतदाता, जो सहायता के बिना चल नहीं सकता हो, के साथ चल रहा साथी ;
- (च) ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे पीठासीन अधिकारी नियम 57 के उप-नियम (2), नियम 62 के उप नियम (1) के अधीन नियोजित करे ; और
- (छ) राज्य निर्वाचन आयुक्त या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाएं।

62 मतदाताओं को पहचानना . – (1) पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र पर व्यक्तियों की इतनी संख्या जितनी वह मतदाताओं को पहचानने में उसकी सहायता करने, मतदान कराने में उसे सहायता करने के लिए वह उचित समझे, नियोजित कर सकेगा।

(2) जैसे ही हर एक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करता है तो, पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी, मतदाता का नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा तथा तब मतदाता का क्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़कर सुनाएगा।

(3) मत पत्र अभिप्राप्त करने के व्यक्ति के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में लिपिकीय लेखन या मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियों को उस दशा में अनदेखा करेगा, जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि व्यक्ति वही है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बद्ध है।

63 डाक द्वारा मत देने के हकदार व्यक्ति . – एतद पश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यक्षीन व्यक्ति, जो निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता हैं, नगर निगम के वार्ड में, निर्वाचन में डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे।

64 निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना (सूचना) :- (1) जो निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता, निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है, वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 36 में आवेदन ऐसे भेजेगा ताकि वह मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन, या ऐसी अल्पतर कालावधि, जैसी रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे से पहले पहुंच जाए और यदि रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक, कर्तव्यारूढ़ मतदाता हैं, तो वह उसे पार्षद के निर्वाचन के लिए एक डाक मत पत्र तथा महापौर/उप-महापौर के निर्वाचन के लिए निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ई0डी0सी0) प्ररूप 38 में जारी कर देगा।

(2) जहां ऐसा मतदाता उस वार्ड में जिसका वह निर्वाचक है, निर्वाचन कर्तव्यारूढ़, मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या अन्य लोक सेवक होते हुए नगर निगम/वार्ड के निर्वाचन में स्वयं, न कि डाक द्वारा मत देना चाहता है, वहां वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप-37 में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि, जैसी रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे, से पहले उसके पास पहुंच जाएं और यदि रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस वार्ड में निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ ऐसा लोक सेवक और मतदाता है, तो वह आवेदक को प्ररूप-38 में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी करेगा।

- (क) जहां उपधारा (1) और (2) के अधीन निर्वाचक को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी हुआ हो, वहां रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक नामावली को, चिह्नित प्रति में उसके नाम के सामने “नि0 क0 प्र0” यह उपदर्शित करने के लिए अंकित करेगा कि उसे निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया है ; और
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि उसे उस मतदान केन्द्र पर जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता है, मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए।

65 निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ व्यक्तियों के लिए सुविधाएं .- (1) नियम 62 के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप-38 में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र पेश कर देता है और अपने को मत पत्र दिए जाने की मांग करता है, भले ही मतदान केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो, जहां मत देने का वह हकदार है।

(2) ऐसा प्रमाण पत्र पेश किए जाने पर पीठासीन अधिकारी : –

- (क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा ;
- (ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाण पत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अन्त में प्रविष्ट कराएगा ; और

- (ग) उसे मत पत्र और मत देने की अनुज्ञा उसी रीति में देगा, जैसे उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है।

66 मतदाताओं के प्रतिरूपण निवारण के लिए प्रक्रिया .- (1) इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र पर मत डालने के प्रयोजन से मतपत्र दिया जाना है, ऐसा मत-पत्र प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित करने देगा :-

- (क) पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी को अपनी बायीं तर्जनी उंगली का निरीक्षण ; और
(ख) उसकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही पर चिन्ह लगाना।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण नहीं करने देता है, या ऐसे चिन्ह के लगाए जाने के पश्चात् उसे मिटाने की दृष्टि से लगातार कोई कार्य करता है, तो वह कोई मतपत्र दिए जाने या निर्वाचन पर मत अंकित करने का हकदार नहीं होगा।

(3) उस व्यक्ति, जिसके पहले से ही उसकी बायीं तर्जनी उंगली पर चिन्ह लगा है, को मतपत्र नहीं दिया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति मतपत्र दिए जाने के लिए फिर भी बार-बार आग्रह करता है, तो वह प्रतिरूपण के लिए गिरफ्तार और अभियोजित किया जाएगा।

(4) इस नियम में मतदाता की बायीं तर्जनी उंगली का सन्दर्भ बायीं तर्जनी उंगली न होने की दशा में, बाएं हाथ की किसी अन्य उंगली से है तथा बाएं हाथ की सभी उंगलियां न होने की दशा में, दाएं हाथ की तर्जनी उंगली या अन्य कोई उंगली समझी जाएगी और ऐसी दशा में जहां दोनों हाथों की समस्त उंगलियां नहीं हैं, वहां बायीं या दायीं भुजा के ऐसे छोर से समझा जाएगा, जो भी मौजूद हो।

67 मतदान प्रक्रिया .- (1) मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर मतदाता सर्वप्रथम मतदान अधिकारी द्वारा अपनी बायीं तर्जनी उंगली पर निरीक्षण करने देगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस उंगली पर कोई अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। यदि ऐसा कोई निशान न हो, तो केन्द्र का प्रभारी मतदान अधिकारी, मतदाता का नाम और पता और अन्य विवरण, जैसा सूची में दर्ज है, सुनिश्चित करेगा तथा मतदाता की पहचान से सन्तुष्ट हो कर पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी, यथास्थिति, उसकी बायीं तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा और फिर उसको मत पत्र दिया जाएगा। यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी, मतदाता को मतपत्र देने से पूर्व प्रतिपण से सम्बन्धित प्रविष्टि की क्रम संख्या, नामावली की चिन्हित प्रति से दर्ज करेगा और उसके हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लेगा।

(2) प्रत्येक मतदाता को देने से पूर्व प्रत्येक मत पत्र पर, उसके पृष्ठ भाग पर ऐसा सुभेदक चिन्ह लगाया जाएगा, जैसा आयोग द्वारा निर्देशित हो।

(3) उप-नियम (1) में उप-बन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र में किसी विशिष्ट मतदाता को जारी किए गए मत पत्र (पत्रों) के क्रमांक को नोट नहीं करेगा।

(4) मतदाता को मतपत्र देने से पूर्व, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी किसी भी समय अपने आप, यदि उसकी मतदाता की पहचान पर या उस मतदान केन्द्र में उसके मताधिकार के विषय में सन्देह हो, या अभ्यर्थी या अभिकर्ता के चाहने पर, मतदाता से निम्नलिखित प्रश्न करेगा :-

- (क) क्या आप निम्नलिखित रूप में दर्ज व्यक्ति हैं (निर्वाचक नामावली से मतदाता से सम्बन्धित पूर्ण प्रविष्टि को पढ़ना) ?
- (ख) क्या आप वर्तमान निर्वाचन में पहले मतदान कर चुके हैं?
- (ग) ऐसे अन्य प्रश्न, जिनको वह उचित या आवश्यक समझे तथा मतदाता को तब तक मतपत्र नहीं दिया जाएगा, जब तक वह पहले प्रश्न का उत्तर हाँ में और दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं में, इस नियम के अनुसरण में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता।
- (5) मतदाता मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल :-
- (क) मतदान कक्ष को जाएगा ;
- (ख) मत पत्र पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए उपकरण से, उम्मीदवार के चिन्ह (प्रतीक) पर अथवा उसके निकट निशान लगाएगा, जिसको वह मत देना चाहता है ;
- (ग) मत पत्र को मोड़ेगा ताकि अपने मत को छुपा सके ;
- (घ) यदि आवश्यकता हो, तो पीठासीन अधिकारी को मतपत्र पर सुभेदक चिन्ह दिखाएगा ;
- (ङ) मुड़ा हुआ, मतपत्र पेटी में डालेगा ; तथा
- (च) मतदान केन्द्र से चला जाएगा।
- (6) प्रत्येक मतदाता बिना अनुचित विलम्ब के मतदान करेगा।
- (7) कोई भी मतदाता तब तक मतदान कक्ष में जाने नहीं दिया जाएगा, जब तक दूसरा मतदाता अन्दर रहेगा।

68 अन्धे या अपंग मतदाताओं के मतों का अभिलेखन .- (1) यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अन्धेपन या अन्य शारीरिक अपंगता के कारण मतदाता, मतपत्र में चिन्ह (प्रतीक) पहचानने और सहायता के बिना उस पर चिन्ह लगाने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतदान कक्ष तक अपने साथ सहयोगी, जो अठारह वर्ष की आयु से कम न हो, को ले जाने की अनुमति देगा ताकि उसकी ओर से मतपत्र पर उसकी इच्छा अनुसार निशान लगा सके और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र को मोड़कर, ताकि मत गुप्त रहे, मत पेटी में डालेगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र पर एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए उसी दिन सहयोगी बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन कियी व्यक्ति को सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व उस व्यक्ति को प्ररूप-39 में यह घोषणा करनी पड़ेगी कि मतदाता की ओर से किए जाने वाले मतदान को वह गोपनीय रखेगा और उस दिन उसने अन्य किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप-40 में रखेगा।

69 खराब तथा लौटाए गए मत पत्र .- (1) किसी मतदाता, जिसने अपने मत पत्र के साथ अनवधानता से इस प्रकार से व्यवहार किया हो, जिसका सुविधा अनुसार मत पत्र के रूप में प्रयोग न किया जा सके, को पीठासीन अधिकारी को लौटाने और अनवधानता का समाधान होने पर दूसरा मत पत्र दिया जाएगा तथा लौटाए गए मत पत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा "खराब/रद्द" लिखा जाएगा।

(2) यदि कोई मतदाता, मत पत्र प्राप्त करने के पश्चात् इसका प्रयोग न करने का निर्णय करता है, तो वह उसे पीठासीन अधिकारी को उसे लौटाएगा और लौटाए गए मत पत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा "लौटाया गया : रद्द" लिखा जाएगा।

(3) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन रद्द किए गए सभी मत पत्रों को पृथक पैक्ट में रखा जाएगा।

70 निविदत्त मत .- (1) यदि कोई व्यक्ति अपने विषय में यह बता कर कि वह विशिष्ट मतदाता है ऐसे मतदाता के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मत पत्र के लिए आवेदन करता है, तो वह अपनी पहचान के प्रति पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गए ऐसे प्रश्नों का सामाधान पूर्वक उत्तर देने पर इस नियम के निम्नलिखित उपबन्धों के अधधीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निविदित्त मतपत्र" कहा गया है) मतपत्र को चिन्हित करने का हकदार ऐसे होगा, जैसे कोई अन्य मतदाता होता है।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने से पूर्व अपने हस्ताक्षर सूची में प्ररूप-41 में, अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने करेगा।

(3) निविदत्त मत पत्र वैसा ही होगा, जैसे मतदान में उपयोग में लाए जाने वाले अन्य मत पत्र होते हैं सिवाय उसके कि वह -

(क) मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए दिए गए मत पत्रों के बण्डल के क्रम में अन्तिम ; और

(ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा पृष्ठ भाग पर अपने हाथ से "निविदित्त मतपत्र" पृष्ठांकित करके हस्ताक्षरित होगा।

(4) मतदाता निविदत्त मतपत्र को मतदान कक्ष में चिन्हित करने और मोड़ने के पश्चात् मत पेटे में डालने के बजाय इसे पीठासीन अधिकारी को देगा, जो इसको इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप में रखे गए लिफाफे में रखेगा।

71 मत जिनके बारे में आक्षेप किया गया है .- (1) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता घोषणा करते हुए यह सिद्ध करने का वचन देता है कि किसी व्यक्ति ने मतपत्र के लिए आवेदन करते हुए प्रतिरूपण का अपराध किया है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अपना नाम और पता बताने को कहेगा और तब ऐसे नाम और पते को प्ररूप-42 में, मत, जिनके बारे में आक्षेप किया गया है, की सूची में दर्ज करेगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रविष्टि हस्ताक्षरित करने अथवा यदि वह लिखने में असमर्थ है तो अंगूठे का निशान लगाने की अपेक्षा करेगा और पीठासीन अधिकारी उस निशान के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा और साथ ही उस व्यक्ति को अपनी पहचान के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा:

परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा इस उप-नियम के अन्तर्गत उस समय तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि अभ्यर्थी या ऐसे अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक आक्षेप के सम्बन्ध में बीस रूपए की राशि पीठासीन अधिकारी के पास नकद जमा नहीं करवा दी जाती।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, ऐसी अध्यापेक्षा का अनुपालन करने से इनकार करता है, तो उसे मत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किन्तु यदि वह व्यक्ति इसका अनुपालन करता है और नियम 67 में उपबन्धित रीति में पूछे गए प्रश्नों में पहले प्रश्न का उत्तर हां में तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर न में तथा इस नियम के अनुसरण में पूछे गए अन्य प्रश्नों का उत्तर

सन्तोषजनक ढंग से देता है और यदि वह पहचान के सम्बन्ध में अपेक्षा किए जाने पर साक्ष्य, जिसको पीठासीन अधिकारी सन्तोषजनक मानता है, प्रस्तुत करता है तो उसे उसके प्रतिरूपण के लिए शास्ति के विषय में सूचित करने के पश्चात् मत डालने की अनुमति दी जाएगी।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी का, स्थल पर ऐसी जांच, जैसी वह आवश्यक समझे, करने पर यह समाधान हो गया है कि उप-नियम (1) के अधीन अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता द्वारा किया गया आक्षेप तुच्छ है तथा सदभाव से नहीं किया गया है, तो वह उप-नियम (1) के अधीन जमा करवाई गई राशि को सरकार को समपहृत किए जाने के आदेश देगा और इस विषय में उसका आदेश अन्तिम होगा।

(4) यदि उप-नियम (1) के अधीन जमा करवाई गई राशि उप-नियम (3) के अधीन समपहृत नहीं की गई हो, तो वह उसी दिन जिस दिन में वह जमा हुई है, मतदान के समापन पर उसी व्यक्ति को वापिस लौटाई जाएगी, जिसने यह जमा कराई गई थी।

(5) पीठासीन अधिकारी, प्रत्येक स्थिति में, चाहे व्यक्ति जिसके बारे में आक्षेप किया गया हो, को मत डालने की अनुमति दी गई है या नहीं, परिस्थितियों का उल्लेख प्ररूप-42 में उन मतों की सूची में करेगा, जिनके बारे में आक्षेप किया गया हो।

72 मतदान बन्द करना .- (1) पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र को उस निमित्त नियत समय पर बन्द कर देगा और उस समय के पश्चात् किसी मतदाता को उसमें प्रवेश नहीं करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित मतदाता, मतदान बन्द किए जाने से पूर्व मत डालने के हकदार होंगे।

(2) उप नियम (1) के उपबन्ध प्रयोजन के लिए, इस प्रश्न के उत्पन्न होने पर कि या मतदान बन्द करने से पूर्व, मतदाता को मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जाए, पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

73. मतदान के पश्चात् मतपेटी को मोहर बन्द किया जाना .- (1) मतदान बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, जहां तक व्यवहारिक हो, पीठासीन अधिकारी, मत पेटी के रेखा-छिद्र को बन्द करके, इसे मोहर बन्द करेगा और किसी इच्छुक मतदान अभिकर्ता को अपनी मोहर लगाने देगा। मत पेटी को तत्पश्चात् मोहर बन्द करके उचित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।

(2) जहां प्रथम मत पेटी भर जाने के कारण दूसरी मत पेटी उपयोग में लाना आवश्यक हो जाता है, वहाँ दूसरी मत पेटी उपयोग में लाए जाने से पूर्व उपनियम (1) में यथाउपबन्धित रूप में प्रथम मत पेटी बन्द, मोहर बन्द की जाएगी और सुरक्षित रखी जाएगी।

74. मतपत्रों का लेखा .- पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर प्ररूप -43 में मतपत्र लेखा तैयार करेगा और उसके उपर "मतपत्र लेखा" शब्द लिखकर इसे एक पृथक् कवर (लिफाफे) में अनुलग्न करेगा।

75. अन्य पैकेटों का मोहर बन्द किया जाना .- (1) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् निम्नलिखित के पृथक् पैकेट बनाएगा :-

- (क) प्रयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपुर्ण ;
- (ख) नामावली की चिन्हित प्रति ;
- (ग) अनुपयुक्त मतपत्र ;
- (घ) रद्द किए गए मतपत्र ;
- (ङ.) लिफाफे, जिनमें निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट हैं और प्ररूप-41 में सूची ;

- (च) प्ररूप-42 में उन मतपत्रों की सूची जिनके बारे में आक्षेप किए गए हो ;
- (छ) प्ररूप-34 में कागज, मुद्रा का लेखा; और
- (ज) कोई अन्य कागज-पत्र जिनको मोहर बन्द पैकेटों में रखने के रिटर्निंग अधिकारी के आदेश हों।

(2) ऐसा प्रत्येक पैकेट, पीठासीन अधिकारी तथा उपस्थित उन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी मोहर लगाना चाहे, की मोहरों से मोहर बन्द किया जाएगा।

76. मतपेटियों आदि का रिटर्निंग अधिकारी को पारेषण .-(1) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को :-

- (क) नियम 73 में यथानिर्दिष्ट मतपेटियां ;
 - (ख) नियम 74 में यथानिर्दिष्ट मतपत्र लेखा ;
 - (ग) नियम 75 में यथानिर्दिष्ट मोहरबन्द पैकेट ; और
 - (घ) मतदान में प्रयुक्त किए गए सभी अन्य कागज पत्र
- ऐसे स्थान पर जैसा रिटर्निंग अधिकारी निर्देश दे, परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए तब तक पर्याप्त प्रबन्ध करेगा, जबतक मतगणना प्रारम्भ नहीं हो जाती।

अध्याय-8

मतों की गणना और परिणामों की घोषणा

77. मतगणना के नियत स्थान में प्रवेश .- (1) रिटर्निंग अधिकारी नियम 33 के अधीन मतगणना के लिए नियत स्थान से निम्नलिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों को हटाएगा :-

- (क) ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें वह मतगणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करें;
- (ख) प्रत्येक अभियर्थी और उसके गणना अभिकर्ता ;
- (ग) ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक ; और
- (घ) राज्य निर्वाचन आयुक्त या आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ;

(2) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो मतों की गणना के दौरान अवचार करता हो या रिटर्निंग अधिकारी के विधि पूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो उसे उस स्थान से जहां मतों की गणना की जा रही है, हटाया जा सकेगा।

(3) अभियर्थियों के गणना अभिकर्ताओं की संख्या, वार्ड/ निगम की मतगणना के लिए नियत गणना मेजों की संख्या से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी के लिए एक अन्य मेज भी होगा।

(4) गणना अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) की प्रत्येक नियुक्ति प्ररूप -45 में दो प्रतियों में की जाएगी, जिसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी और दूसरी प्रति गणना अभिकर्ता को, मतगणना के समय, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दी जाएगी।

78. मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना .- (1) रिटर्निंग अधिकारी नियम 33 के अधीन नियत तारीख, समय और स्थान पर मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व, अधिनियम की धारा 22 के उपबन्धों को वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को पढ़कर सुनाएगा।

- (2) इसके पश्चात वह मतपेटियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रीति अपनाएगा अर्थात् :
- (क) एक मतदान केन्द्र पर प्रयोग की गई सभी मतपेटियों को एक साथ खोला जाएगा ;
- (ख) मतगणना मेज पर किसी मतपेटी को खोलने से पूर्व अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को पेपर सील या अन्य मुहरें जो उस पर लगाई गई हैं, का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे अपने को सन्तुष्ट कर सकें कि वे अक्षत सही हैं।
- (ग) रिटर्निंग अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि वास्तव में किसी मतपेटी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है; और
- (घ) यदि रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी में गड़बड़ हुई है, तो वह उस पेटे की मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र की बावत नियम 52 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

79. मतपत्रों की संवीक्षा और रद्दकरण .- (1) प्रत्येक पेटे से निकाले गए मतपत्रों को सुविधाजनक बन्डलों में रखा जाएगा तथा उनकी संवीक्षा की जाएगी।

- (2) रिटर्निंग अधिकारी मतपत्र रद्द कर देगा :-
- (क) यदि इसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया हो ; या
- (ख) यदि उस पर कोई ऐसा निशान या लेख है, जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो ; या
- (ग) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं हो ; या
- (घ) यदि मत दर्शानेवाला चिन्ह इस ढंग से लगाया गया है, जिससे यह संदेह हो जाए कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है ; या
- (ङ.) यदि मतपत्र जाली है ; या
- (च) यदि यह इतना क्षतिग्रस्त है या विकृत कर दिया गया हो कि इसके असल मतपत्र होने को सुस्थापित न किया जा सके ; या
- (छ) यदि यह भिन्न क्रमांक रखता हो, या मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के परिकल्प से भिन्न हो ; या
- (ज) यदि उसमें वह चिन्ह नहीं हो, जो नियम 67 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन होना चाहिए :

परन्तु जहां रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-खण्ड (छ) तथा (ज) में उल्लिखित त्रुटि पीठासीन या मतदान अधिकारी की गलती या असफलता के कारण रह गई है, मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि मतपत्र केवल इस आधार पर ही रद्द नहीं किया जाएगा कि मत का निशान सुभिन्न है या एक से अधिक बार लगाया गया है, यदि मतपत्र पर लगाए गए निशान से यह स्पष्ट होता है कि किसी विशेष अभ्यर्थी को मत दिए जाने का आशय था।

(3) उपनियम (2) के अधीन किसी मतपत्र रद्द किए जाने से पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी, उपस्थित प्रत्येक गणना अभिकर्ता को मतपत्र की जांच करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा किन्तु उस मतपत्र या अन्य मतपत्रों को स्पर्श करने हेतु उसे अनुज्ञात नहीं करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो उसके द्वारा रद्द किया हो “आर” वर्ण, और रद्द करने के कारण, अपने हाथ से या रबड की मोहर लगातार अभिलिखित करेगा।

(5) इस नियम के अधीन रद्द किए गए सभी मतपत्रों को इकट्ठे बण्डलों में रखा जाएगा।

80. मतों की गणना तथा परिणामों की घोषणा .- (1) प्रत्येक मतपत्र, जिसे नियम 79 के अधीन रद्द नहीं किया गया हो, को विधिमान्य समझा जाएगा और उसे अभ्यर्थीवार छांटने के पश्चात् गिना जाएगा:

परन्तु निविदत्त मतपत्र से युक्त कोई भी पैकेट खोला नहीं जाएगा और ऐसे मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।

(2) रिटर्निंग अधिकारी यथासाध्य, गणना लगातार करता रहेगा और ऐसे किसी अन्तराल के दौरान, जब गणना निलम्बित करनी पड़ती है, निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों, पैकेटों और अन्य कागज पत्रों को, स्वयं अपनी मोहर और अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं की मोहर, जो अपनी मोहरें लगाना चाहें, से मुद्रांकित करके रखेगा तथा ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरतेगा।

(3) प्रत्येक पेटी से निकाले गए मतपत्रों को उस पद से सम्बन्धित अन्य मत पेटियों से निकाले गए मतपत्रों के साथ मिलाया जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक स्थान/पद के लिए पृथक्: छटाई की जाएगी। निगम के पार्षद पद के लिए मतपत्रों को उसी मेज पर रखा रहने दिया जाएगा और महापौर एवं उप-महापौर के पद के लिए मतपत्रों की मतगणना किए बिना, उनकी पश्चात्पूर्वी गणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी को दे दिया (अग्रेषित) जाएगा। निगम के पार्षदों के परिणाम की घोषणा, प्ररूप-47 पर परिणाम पत्र (शीट) तैयार कर लेने के पश्चात् प्ररूप-46 पर की जाएगी। निगम के समस्त पार्षदों के परिणाम की घोषणा के पश्चात् महापौर और उप-महापौर के पदों के लिए गणना की जाएगी तथा प्ररूप-49 पर परिणाम शीट (पत्र) तैयार कर लेने के पश्चात् प्ररूप-48 में परिणाम की घोषणा की जाएगी:

परन्तु यथास्थिति, प्ररूप 46 या 48 पर परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व और मतदान केन्द्र के समस्त विधिमान्य मतों की गणना के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी जिसने यथा लागू प्ररूप 47 या 49 में परिणाम पत्र (शीट) पर प्रविष्टियां की हैं, विशिष्टियों को घोषित करेगा। ऐसी घोषणा के पश्चात् कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके गणना अभिकर्ताओं में से कोई एक, रिटर्निंग अधिकारी को, मतों की पूरी या किसी भाग की पुनर्गणना के लिए उन कारणों का उल्लेख करते हुए, जिनके आधार पर उसने ऐसी पुनर्गणना की मांग की है, लिखित में आवेदन कर सकेगा। ऐसे किसी आवेदन के किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी, मामले का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः स्वीकृत कर सकेगा अथवा यदि उसे यह प्रतीत होता हो कि यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त है, तो उसे अस्वीकृत कर सकेगा। ऐसे आवेदन पर रिटर्निंग अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय लिखित में होगा और उसमें उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) परिणाम की घोषणा के तुरन्त पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन की विवरणी (रिटर्न) की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाएगा और उसे आयोग और, यथास्थिति, सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को, धारा 13 के अधीन यथा अपेक्षित सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज देगा।

(5) इसके पश्चात् समस्त विधिमान्य मतपत्रों को अभ्यर्थी बार बन्डल में एकत्रित करके, अस्वीकार (खारिज) किए गए मतपत्रों के बन्डलों के साथ, एक पृथक् पैकेट में रखा जाएगा, जिसको सील बन्द किया जाएगा तथा उस पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) वार्ड/नगर निगम का नाम ;

- (ख) मतदान केन्द्र का विवरण जहां मतपत्र प्रयोग में लाए गए हैं; और
(ग) मतगणना की तारीख।

(6) जब मतों की गणना पूर्ण की जा चुकी हो ओर परिणाम की घोषणा की जा चुकी है, तो रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप-43 भाग-II में विवरणी तैयार करेगा और उसकी एक प्रति को तत्काल अपने कार्यालय के सहजदृश्य स्थान पर चिपकाएगा। निर्वाचन की तारीख के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों को, नियम 50 के अधीन निर्वाचित हुआ समझे गए किसी अभ्यर्थी, यदि कोई हो, के नाम के साथ अधिसूचित करेगा ओर उसकी एक प्रति आयोग को, राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेज देगा और प्ररूप-44 में तैयार की गई विवरणी की एक प्रति आयोग को, परिणाम की घोषणा के तुरन्त पश्चात् भेजी जाएगी।

81. निर्वाचित पार्षदों/महापौर/उप-महापौर को शपथ दिलाना .- (1) नियम 80 के अधीन पार्षदों/महापौर/उप-महापौर के निर्वाचन के परिणामों की घोषणा हो जाने के पश्चात्, निदेशक, शहरी विकास धारा 33 के अधीन निगम के निर्वाचित पार्षदों/महापौर/उप-महापौर को शपथ दिलाने या भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा रखने हेतु शपथ लेने के लिए नव निर्वाचित पार्षदों/ महापौर/उप-महापौर को प्रथम बैठक के लिए तीन दिन का समय देकर, लिखित में नोटिस जारी करते हुए, दिन तथा समय निर्धारित करेगा, परन्तु निर्वाचित पार्षदों/महापौर/उप-महापौर को ऐसा नोटिस, बैठक के कम से कम 48 घण्टे पूर्व दिया जाएगा। यह बैठक निगम के कार्यालय में आयोजित होगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन नियत दिवस और समय पर निदेशक, शहरी विकास प्रत्येक पार्षद/ महापौर/उप-महापौर को शपथ लेने और भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा रखने हेतु शपथ लेने के लिए बुलाएगा।

82. नए मतदान के पश्चात् मतगणना .- (1) यदि नियम 52 के अधीन नया मतदान किया गया हो तो रिटर्निंग अधिकारी, उस मतदान के पूर्ण होने के पश्चात्, मतों की गणना उस तारीख, समय और स्थान पर पुनः आरम्भ करेगा, जो आयोग ने उस निमित्त नियत किया है और जिसकी सूचना (नोटिस) पहले ही अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को दी जा चुकी है।

(2) नियम 79 और 80 के उपबन्ध ऐसी आगामी मतगणना पर लागू होंगे।

83. एक समान मत होने स्थिति में प्रक्रिया .- यदि मतों की गणना के पश्चात्, किन्हीं दो अभ्यर्थियों के मतों में समानता पाई जाती है और एक अतिरिक्त मत, दोनों में से किसी एक को निर्वाचित घोषित होने का हकदार बनाता है तो इसका, तुरन्त दोनों अभ्यर्थियों में लाट द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जिसके पक्ष में लाट निकलेगा उसको एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जाएगा और उसको सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

84. निर्वाचन से सम्बन्धित कागजात की अभिरक्षा .- रिटर्निंग अधिकारी, प्रयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपण के पैकेट, अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट, प्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट चाहे वे विधिमान्यतः किए गए हों, निविदत्त या अस्वीकृत किए गए हों और निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी कागज पत्रों को, अपने कार्यालय में या अन्य ऐसे स्थान पर, जो वह लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करे, निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक, सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

85. निर्वाचन के कागज-पत्रों का प्रस्तुतिकरण और निरीक्षण .- रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में

- (क) प्रयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपण के पैकेट ;
- (ख) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट ;
- (ग) प्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट ; और
- (घ) निर्वाचित नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकेट, खोले नहीं जाएंगे और उनका अन्तर्वस्तु, सक्षम न्यायालय या धारा 14 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के सिवाय, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित नहीं की जाएगी, के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य कागज-पत्र जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए, उसी दर पर शुल्क की अदायगी करने पर, जो हिमाचल प्रदेश में राजस्व अधिकारी द्वारा निपटाए गए मामलों के किसी दस्तावेज के निरीक्षण, जो उस अभिलेख का ही एक भाग हो या यथास्थिति, राजस्व अधिकारी के किसी आदेश की प्रति के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसी प्रतियों के प्रदाय के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो राजस्व अधिकारी द्वारा निपटाए गए किसी मामले के सम्बन्ध में आवेदन के लिए अपनाई जाती है।

86. निर्वाचन के कागज पत्रों का निपटान .- राज्य सरकार या आयोग अथवा सक्षम न्यायालय या धारा 14 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के प्रतिकूल होने के अध्याधीन, नियम 68, 69, 75, 84 और 85 में निर्दिष्ट पैकेट और अन्य कागज-पत्र राजपत्र में परिणामों की घोषणा की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे :

परन्तु यदि कोई निर्वाचन याचिका लम्बित हो, तो उक्त नियम में निर्दिष्ट पैकेट तथा अन्य कागज-पत्रों का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा, जब तक याचिका का अन्तिम रूप से विनिश्चय नहीं हो जाता।

87. नगर निगम में आकस्मिक रिक्तियां .- जब नगर निगम के महापौर/ उप-महापौर/ पार्षदों में से किसी की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी महापौर/ उप-महापौर/ पार्षद के हटाए जाने के कारण कोई रिक्ति होती है, तो उसके स्थान पर अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार नए महापौर/ उप-महापौर/ पार्षदों को निर्वाचित किया और ऐसा निर्वाचन इन नियमों में साधारण निर्वाचन के लिए यथा-उपबन्धित रीति में संचालित किया जाएगा और निर्वाचन कार्यक्रम, रिक्ति होने के पश्चात् सुविधा अनुसार यथाशाक्य शीघ्र बनाया जाएगा।

88. नियमों का निर्वचन .- याचिका जो वास्तव में प्रस्तुत की जा चुकी है, से भिन्न यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्धित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह आयोग को भेजा जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय-9

चुनाव याचिकाएं और अपील

89. याचिका को प्रस्तुत करना .- (1) धारा 14 के अधीन निर्वाचन याचिका उस मण्डलायुक्त को प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन नगर निगम स्थित है।

(2) याचिकाकर्ता, याचिका के साथ याचिका प्रतियां और उसके अनुलग्नक, प्रत्यर्थियों की संख्या के बराबर लाएगा।

(3) धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट शपथ पत्र प्ररूप 50 में होगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ ली जाएगी।

90. याचिका के साथ प्रतिभूति निक्षेप का जमा किया जाना .- निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते समय, याचिकादाता द्वारा 3000/- (तीन हजार रुपये) निक्षेप धन के रूप में उस प्राधिकृत अधिकारी के नाम से समुचित लेखा शीर्ष के अधीन सरकारी खजाना या उप खजाना में जमा किए जाएंगे जिसे याचिका प्रस्तुत की जानी है या करवाई जानी है।

91. याचिकाओं का वापिस लिया जाना .- (1) निर्वाचन याचिका, केवल मण्डलायुक्त, जिसे याचिका प्रस्तुत की गई है की अनुमति के पश्चात् ही याचिका कर्ता (याची) द्वारा वापिस ली जा सकेगी।

(2) जब याचिका को वापिस लेने के लिए आवेदन किया जाता है, तो आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख की सूचना (नोटिस) याचिका के अन्य सभी पक्षकारों को दी जाएगी।

(3) वापसी के लिए किया गया कोई भी आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा आवेदन मण्डलायुक्त की राय में जिसे, याचिका प्रस्तुत की गई है, किसी सौदेबाजी या प्रतिफल द्वारा उत्प्रेरित किया गया हो, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(4) यदि वापसी के लिए आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो, मण्डलायुक्त जिसे याचिका प्रस्तुत की गई है, प्रतिभूति निक्षेप के प्रतिदाय या समपहरण के सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा:

परन्तु जहां मण्डलायुक्त द्वारा आवेदन वापिस लेना अनुज्ञात किया गया है, वहाँ आदेश की एक प्रति निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश को भेजी जाएगी।

92. जांच का स्थान और प्रक्रिया .- (1) जांच का स्थान उस संबन्धित मण्डलायुक्त का मुख्यालय होगा जिसे याचिका प्रस्तुत की गई है या अन्तरित की गई है:

परन्तु उस मण्डलायुक्त जिसे याचिका प्रस्तुत की गई है या अन्तरित की गई है, का समाधान हो जाने पर कि ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं जो वांछनीय बना देती हैं कि जांच कहीं और होनी चाहिए, तो वह इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य सुविधाजनक स्थान नियत करेगा।

(2) जनसाधारण को ऐसे स्थान पर जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी, वहां किसी निर्वाचन याचिका की जांच की जा सकेगी।

(3) पक्षकारों को, जांच के लिए स्थान तथा समय के बारे सूचना (नोटिस) दी जाएगी, जो सुनवाई की प्रथम तारीख से पूर्व सात दिन की अवधि से कम का न हो।

93. याचिका पर आदेशों की संसूचना .- मण्डलायुक्त, जिसे निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की गई है या अन्तरित की गई है निर्वाचन याचिका की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, आदेश की एक प्रति आयोग और निदेशक शहरी विकास विभाग को भेजेगा।

94. अपील के प्रस्तुतिकरण में प्रक्रिया .- (1) मण्डलायुक्त द्वारा धारा 18 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 20 के उप-धारा (3) के अधीन वित्तायुक्त (अपील), हिमाचल प्रदेश सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी अपील को समय पर प्रस्तुत करने में, पर्याप्त कारणों से निर्धारित हुआ है, उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकेगा।

(2) अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत करने के लिए अवधि की सीमा संगणित करते समय आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने में व्यतीत समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील, अपीलार्थी या उसके समयक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी और अपील के साथ, अपील प्राधिकारी, जिसको अपील प्रस्तुत की जाती है या प्रस्तुत की जानी है, के नाम समुचित लेखाशीर्ष के अधीन सरकारी खजाना या उप खजाना में फीस के रूप में 3000/- रुपये की जमा की गई राशि का साक्ष्य देते हुए खजाना चालान संलग्न किया जाएगा। ज्ञापन, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के आक्षेप आधारों को संक्षिप्त रूप में उपवर्णित करेगा और उसके साथ ऐसे आदेश की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन अपील के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी उस मण्डलायुक्त से, जिसके विनिश्चय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है, अभिलेख मंगाने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने तथा आगे ऐसी जांच जैसी आवश्यक हो, करने के पश्चात्, यदि कोई हो, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे और अपील प्राधिकारी के आदेश अन्तिम होंगे।

(5) अपील में पारित आदेश की एक प्रति आयोग और राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

95. अपील का उपशमन .- यदि अपील के विनिश्चय से पूर्व अपीलार्थी या प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो, अपील का उपशमन हो जाएगा और अपील प्राधिकारी ऐसी घटना की सूचना (नोटिस) राज्य सरकार को भिजवाएगा।

अध्याय-10

विविध

96. कतिपय आदेशों की अवज्ञा और नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति .- यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 9-ई के अधीन आयोग में प्रतिनियुक्त पर है या अधिनियम के अधीन वार्डों के परिसीमन, निर्वाचक नामावली तैयार करने और निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लगाया गया कोई लोक सेवक, यदि अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के आदेशों की अवज्ञा करता है अथवा इन नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के अधीन या ऐसे प्रयोजन हेतु तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि और पद्धति के अनुसार दण्डनीय होगा।

97 निरसन और व्यावृत्ति .-(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 1996, हिमाचल प्रदेश (वार्ड का परिसीमन और आरक्षण) नियम, 1995 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम (महापौर और उप महापौर के पद के निर्वाचन के लिए आरक्षण) नियम, 1996 का एतद्वारा निरसन किया जाता है, परन्तु .-

- (क) ऐसा निरसन, उक्त नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों से पूर्व प्रवर्तन या उनके अधीन की गई किसी भी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा; और
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ के समय उक्त नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन लम्बित किसी भी प्रकार की कार्यवाहियां जारी रहेंगी और जहां तक हो सके इनका निपटान इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(2) इन नियमों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति जिसको यह नियम लागू होते हैं, इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व पारित किसी आदेश की बाबत, उप नियम (1) द्वारा निरसित नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्राप्त हुए अपील के अधिकार से वंचित नहीं करेगी।

(3) इन नियमों के आरम्भ से पूर्व किसी आदेश के विरुद्ध, लम्बित या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् की गई किसी याचिका पर विचार किया जाएगा और नियमों के अनुसार उस पर आदेश पारित किया जाएगा।

प्ररूप-1

[नियम 6 देखें]

नगर निगम को वार्डों में बांटने ओर प्रत्येक वार्ड की सीमाएं परिभाषित करने के प्रस्तावों के प्रकाशन की सूचना

.....एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि..... नगर निगम को वार्डों में बांटने और प्रत्येक ऐसे वार्ड की सीमाएं परिभाषित करने का प्रस्ताव, अधोहस्ताक्षरी और नगर निगमके कार्यालयों में आगामी दस दिन के लिए कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

उक्त प्रस्ताव में अन्तर्विष्ट किसी बात के लिए, कोई निवासी यदि कोई आक्षेप करना चाहे या सुझाव देना चाहे, तो वह इस सूचना नोटिस के प्रकाशन की तारीख से दस दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्ररूप-2 में भेजा जा सकेगा और इस प्रकार प्राप्त आक्षेपों की प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पूर्व जांच की जाएगी।

स्थान.....

तारीख..... उपायुक्त

प्ररूप-2

[नियम 7 देखें]

सेवा में,

उपायुक्त

.....
.....

विषय:- परिसीमन के प्रारूप प्रस्ताव के लिए आक्षेप।

श्रीमान जी,

.....नगर निगम के विषय मेंको प्रकाशित परिसीमन प्ररूप प्रस्तावों के संदर्भ में
।

यह कि मैं.....वार्ड संख्या.....नगर निगम क्षेत्र का निवासी हूँ।

यह कि मेरे इस प्रस्तावित प्ररूप के विषय में निम्नलिखित आक्षेप हैं :-

- { 1 }
- { 2 }
- { 3 }
- { 4 } भवदीय,

स्थान..... हस्ताक्षर

तारीख..... पूरा नाम और पता

प्ररूप-3

[नियम 17 देखें]

निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की सूचना

प्रेषित,
नगर निगमजिला.....हिमाचल प्रदेश के
.....वार्ड संख्या.....के मतदाता।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निर्वाचक नामावली, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 के अनुसार तैयार की जा चुकी है और जिसकी प्रति मेरे कार्यालय और नगर निगम और तहसीलदार के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा हो, या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी कोई आक्षेप हो या किसी प्रविष्टि में किन्हीं विशिष्टियों के बारे में कोई आक्षेप हो, तो जहां तक समुचित हो प्ररूप 4, 5 और 6 में, तारीख.....को या उससे पूर्व दाखिल किया जाना चाहिए।

प्रत्येक ऐसा दावा या आक्षेप, पुनरीक्षण प्राधिकारी.....(पूरा पता) को सम्बोधित किया जाना चाहिए और यह या तो व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए, ताकि पूर्वोक्त तारीख के भीतर उसके पास पहुंच जाए।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(नगर निगम)

स्थान.....
तारीख.....

प्ररूप-4

[नियम 20 (1) और 26 देखें]

नाम सम्मिलित करने के लिए दावा आवेदन

प्रेषित,

पुनरीक्षण प्राधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
..... (नगर निगम)

महोदय,

मैं निवेदन करता हूं कि मेरा नामवार्ड सम्बन्धित
.....नगर निगम की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित
किया जाए।

पूरा नाम

पिता/माता/पति का नाम.....

निवास स्थान का विवरण :-

मकान संख्या.....

गली/मुहल्ला/गांव.....

डाकघर.....

तहसील व जिला.....

मैं एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि :-

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ।

(ii) मेरी आयु अर्थात् नियम 16 (1) के खण्ड (ड.) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित तारीख कोवर्ष.....मास थी।

(iii) मैं उपरोक्त पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।

(iv) मैंने अन्य किसी नगर निगम वार्ड की निर्वाचक नामावली में अपने नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(iv) मेरा नाम ऊपर वर्णित किसी भी नगर निगम या, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर पालिका या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित ग्राम सभा के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है या मेरा नामवार्ड के लिए निर्वाचक नामावली में निम्नलिखित पते पर सम्मिलित किया गया है और मैं अनुरोध करता हूँ कि उसे निर्वाचक नामावली से निकाल दिया जाए।

दावेदार के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान,

(पूरा डाक पता)

.....
.....

स्थान.....

तारीख.....

मैं आगे और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त तथ्य सही हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या हो और जिसकी बाबत वह जानता या विश्वास करता है कि मिथ्या है या उसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता है, प्रवृत्त विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

दावेदार के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित मतदाता हूँ जिसमें दावेदार ने सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन किया है, अर्थात् से सम्बन्धित..... संख्या..... उसमें मेरी क्रम संख्या..... है का एक मतदाता हूँ। मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

दावे को समर्थन देने वाले मतदाता के हस्ताक्षर /
अंगूठा निशान,

(पूरा डाक पता)

.....
.....

प्ररूप-5

[नियम 20 (1) देखें]

नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप

प्रेषित,

पुनरीक्षण प्राधकारी,
..... वार्ड

महोदय,

मैं नगर निगम के वार्ड

की निर्वाचक नामावली में कम संख्या.....पर श्रीके नाम को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कारणों से आक्षेप करता हूँ:-

.....
.....
मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और मेरा नाम इस वार्ड की निर्वाचक नामावली में निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है:-

पूरा नाम.....

पिता/माता/पति का नाम.....

कम संख्या..... नगर निगम.....से सम्बन्धित वार्ड का नाम तथा संख्या.....

आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान,
(पूरा डाक पता)

.....
.....
मैं उसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित एक मतदाता हूँ, जिसमें आक्षेपित व्यक्ति का नाम है अर्थात्
..... नगर निगम.....

.....से सम्बन्धित वार्ड का नाम और संख्या उसमें मेरी कम संख्या.....है । मैं इस आक्षेप का समर्थन करता हूँ तथा इसको प्रतिहस्ताक्षरित करता हूँ.....

..

आक्षेप का समर्थन करने वाले मतदाता का
प्रति हस्ताक्षर / अंगूठा निशान,
(पूरा डाक पता)

.....
.....
टिप्पण—- यदि ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या हो और जिसकी बाबत वह जानता या विश्वास करता है कि मिथ्या है या उसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता है, तत्प्रवृत्त विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

प्ररूप-6

[नियम 20 (1) और 25 देखें]
किसी प्रविष्टि में विशिष्ट सम्बन्धी आक्षेप

प्रेषित,

पुनरीक्षण प्राधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

वार्ड.....

नगर निगम -----

महोदय,

निवेदन है कि नगर निगम वार्ड की नामावली के क्रम संख्या.....
..... पर मेरे से सम्बन्धित प्रविष्टि अशुद्ध है। इसे निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
जाए:-

.....
.....

दावेदार के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान,
(पूरा डाक पता)

.....
.....

स्थान.....

तारीख.....

प्ररूप-7

[नियम 20 (4), (5) और नियम 22 देखें]
नाम शामिल करने के लिए दावे का रजिस्टर

.....निगम निगम

..... वार्ड

क्रम संख्या	दावेदार का नाम	पिता का नाम और पता	दावा प्रस्तुत करने की तारीख	पक्षकारों की उपस्थिति में टिप्पणी सहित विनिश्चय की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.

विनिश्चय	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय को कार्यान्वित करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख
स्वीकृत	अस्वीकृत	

6.	7.	8.	9.

प्ररूप-8

[नियम 20 (4) और (5) तथा नियम 22 देखें]
नाम सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी का रजिस्टर

.....निगम निगम
..... वार्ड।

व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में आक्षेप किया गया है			आक्षेपकर्ता के पिता/पति का नाम तथा पता	आक्षेपकर्ता की नामावली में क्रम संख्या	आक्षेप प्रस्तुत करने की तारीख
क्रम सं०	नाम	नामावली में क्रम संख्या			
1.	2.	3.	4.		6.

पक्षकारों की उपस्थिति में टिप्पण सहित विनिश्चय की तारीख	विनिश्चय		पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षण प्राधिकारी के विनिश्चय को कार्यान्वयन करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख
	स्वीकृत	अस्वीकृत		
7.	8.	9.	10.	11.

प्ररूप-9

[नियम-20 (4) और 5 तथा नियम 22 देखें]

प्रविष्टि की विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप का रजिस्टर

..... नगर निगम
..... वार्ड ।

क्रम संख्या	आक्षेपकर्ता का नाम	आक्षेप करने की तारीख	प्रस्तुत की	नामावली में यथा विद्यमान विशिष्टियां	आक्षेपकर्ता द्वारा यथा आवेदित शुद्ध विशिष्टियां
1	2	3	4	5	

विनिश्चय		पुनरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षण प्राधिकारी के विनिश्चय को कार्यान्वित करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर तथा तारीख
स्वीकृत	अस्वीकृत		
6	7	8	9

प्ररूप-10
[नियम-21 (1) देखें]

दावों की सूची

.....नगर निगम
.....वार्ड ।

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्या	दावेदार का नाम	पिता/पति/माता का नाम	पता	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
1	2	3	4	5	6

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-11
[नियम-21 (1) देखें]
नाम सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी आक्षेपों की सूची

.....नगर निगम
.....वार्ड ।

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्या	आक्षेपकर्ता का पूरा नाम
1	2	3

जिसके लिए आक्षेप किया गया है उसका नाम और विशिष्टियां	संक्षिप्त में आक्षेप	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
प्रविष्टि की प्रविष्टि क्रम संख्या		
पूरा नाम		
4	5	6

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-12

[नियम-21 (1) देखें]

प्रविष्टियों में विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप की सूची

.....नगर निगम.....वार्ड

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्या	आक्षेप करने वाले का पूरा नाम
1	2	3

प्रविष्टि संख्या और संख्या	खण्ड और क्रम संख्या	आक्षेप का स्वरूप	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
4		5	6

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-13

[नियम-21 (2) देखें]

दावे की सुनवाई की सूचना

प्रेषित,

.....
.....
(दावेदार का पूरा नाम और पता)

सन्दर्भ संख्या.....

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आपके दावे की सुनवाई
.....(स्थान) मेंबजे (समय) 201..... (तारीख) को
की जाएगी।

आप से निवेदन किया जाता है कि आप स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित, जो आप प्रस्तुत करना चाहे सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान

.....
(पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख

..... वार्ड।

प्ररूप-14
[नियम-21 (2) देखें]
आक्षेप की सुनवाई की सूचना (नोटिस)

प्रेषित,

.....
.....
(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता)

सन्दर्भ/आक्षेप संख्या.....

आपका नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में आप के आक्षेप पर सुनवाई
.....(स्थान) मेंबजे (समय) 201..... (तारीख)
को की जाएगी।

आपको निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित, जो प्रस्तुत करना चाहें, सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान
.....
(पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर)
तारीख
.....वार्ड

प्ररूप-15
[नियम-21 (3) देखें]
आक्षेप की सुनवाई की सूचना (नोटिस)

प्रेषित,

.....
.....
(उस व्यक्ति का पूरा नाम व पता जिसके सम्बन्ध में आक्षेप प्राप्त किया गया है)

सन्दर्भ/आक्षेप संख्या.....

आपके नाम का नगर निगम के वार्ड की निर्वाचक नामावली में क्रम
संख्या पर सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी
.....(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता) द्वारा दाखिल किए गए आक्षेप की
सुनवाई(स्थान) मेंबजे (समय) 201.....
(तारीख) को की जाएगी।

आपको निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे साक्ष्यों सहित, जो आप प्रस्तुत करना चाहें, सुनवाई के समय उपस्थित हों।

आक्षेप के आधार (संक्षिप्त रूप में) इस प्रकार हैं :-

(क)

(ख)

(ग)

स्थान
.....
(पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख वार्ड।

प्ररूप-16

[नियम-21 (2) देखें]

निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि में विशिष्टियों सम्बन्धी आक्षेप की सुनवाई की सूचना प्रेषित

.....
.....
(आक्षेपकर्ता का पूरा नाम व पता)

सन्दर्भ/आक्षेप संख्या.....

आपसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के विषय में आपके आक्षेप की सुनवाई(स्थान) मेंबजे (समय) 201..... (तारीख)को होगी।

आपको निदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, ऐसे साक्ष्यों सहित जो आप प्रस्तुत करना चाहें, सुनवाई के समय उपस्थित हों।

स्थान

.....
(पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख

..... वार्ड।

प्ररूप-17

[नियम-23 (1) देखें]

निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना (नोटिस)

जन साधारण की सूचना के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नगर निगम वार्ड संख्या (वार्ड) की निर्वाचक नामावली हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के अनुसार तैयार कर दी गई है और उक्त निर्वाचन नामावली की एक प्रति एतद्वारा अन्तिम रूप में प्रकाशित की जाती है।

स्थान

.....
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तारीख

(नगर निगम)

प्ररूप-18

[नियम-25 देखें]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि हटाए जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
.....
.....

महोदय,

मैं यह निवेदन करता हूँ कि.....
वार्ड/मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली की क्रम सं०.....
.....पर की गई प्रविष्टि जो श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....से सम्बन्धित है, को हटा दिया जाए क्योंकि वह
व्यक्ति, निम्नलिखित कारणों से निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं है:-

1.
2.
3.

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैं यह भी जानता हूँ कि कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसको वह जानता है या विश्वास करता है कि मिथ्या है या उसके सत्य होने पर विश्वास नहीं करता है, प्रवृत्त विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं इस वार्ड का मतदाता हूँ तथा मेरा नाम क्रम संख्या.....
.....पर दर्ज है।

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान (पूरा डाक पता)

तारीख.....

प्ररूप-19

[नियम-34 देखें]

निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना (नोटिस)

एतद द्वारा सूचना (नोटिस) दी जाती है कि:-

नगर निगम.....के वार्ड.....के पार्षद ;
नगर निगम.....के.....वार्ड.....के, महापौर/उप-महापौर ;

को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन किया जाना है।

2. अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा नामांकन पत्र..... 11.00 बजे पूर्वान्ह तथा 3.00 बजे अपरान्ह के मध्य से.....तारीख तक.....
.....(प्राधिकारी) को दिया जा सकेगा।
3. नामांकन पत्र के प्ररूप उपर्युक्त स्थान और समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।
4. नामांकन पत्रों की संवीक्षा.....तारीख.....को.....बजे होगी।

5. अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (नोटिस) अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा पैरा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उसके कार्यालय में.....तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व परिदत्त की जाएगी।
6. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को चिन्हों (प्रतीकों) का आबंटन.....(तारीख) को नामांकन वापस लेने के अवधि की समाप्ति पर और प्ररूप 25 में बजे अपरान्ह निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के पश्चात्(तारीख) को किया जाएगा।
7. निर्वाचन करवाए जाने की दशा में मतदान(तारीख) को बजे के मध्य होगा।

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप-20

[नियम-37 देखें]

नामांकन पत्र

नगर निगम.....के वार्ड नम्बरसे पार्षद का निर्वाचन

नगर निगम.....के महापौर/उप-महापौर के पद के लिए निर्वाचन।

मैं एतद्द्वारा श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री
(अभ्यर्थी के पिता का पूर्ण पते सहित नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन के लिए एतद्द्वारा नाम निर्दिष्ट करता हूँ मेरा नाम नगर निगमके वार्ड संख्या के मतदान केन्द्र संख्या की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्यापर प्रविष्ट है।

मेरा नाम नगर निगम के वार्ड संख्या के मतदान केन्द्र संख्या की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

तारीख

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
प्रस्तावक का पूरा नाम और पता

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

मैं, उपर्युक्त अभ्यर्थी, इस नामांकन के लिए सहमति देता हूँ और एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि :-

- (क) मैंने वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, और
(ख) मुझे प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित नहीं किया गया है।
(ग) मुझे इस निर्वाचन के लिए पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है।

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण :-

(अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं जाति अथवा जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूँ, जिसको हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है।

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कार्यपालक मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन

उपर्युक्त घोषणा का श्री/श्रीमती द्वारा मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया है, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ या जिसकी मेरे समाधान के द्वारा पहचान करवाई गई है।

स्थान

तारीख

मोहर सहित हस्ताक्षर।

(नामांकन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय)
(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

मैंने इस नामांकन पत्र की, हिमाचल प्रदेश नगर निगम(निर्वाचन) नियम, 2012 के नियम 41 के अनुसार जांच कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्नलिखित प्रकार से है:-

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी।

अभ्यर्थी को आबंटित चिह्न (प्रतीक)..... है।

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र की रसीद

(रिटर्निंग अधिकारी या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या
यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय मेंबजे को दिया गया और इसकी समीक्षा
.....तारीख कोबजे.....(स्थान) में होगी।

स्थान
तारीख

रिटर्निंग अधिकारी /
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

महत्वपूर्ण नोट: (i) रिटर्निंग अधिकारी इस बात की जांच करेगा कि प्ररूप 20 (नामांकन पत्र) के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी को हिमाचल प्रदेश पंचायत एण्ड म्युनिसिपैलिटीज इलैक्शन(डिस्कलोजर) स्पैसीफाईड इनफोरमेशन बाई दी कैंडीडेट्स, रैगुलेशन, 2004 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित उपाबन्ध-1 की प्रति दे दी गई है।

(ii) प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नामांकन पत्र के साथ, उपरोक्त उपाबन्ध -1 को, शपथ रूप में उसे मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त से सत्यापित करवा के, प्रस्तुत करे।

(iii) अभ्यर्थी उक्त उपाबन्ध की, मूल शपथ पत्र सहित, अतिरिक्त सत्यापित प्रति भी रिटर्निंग अधिकारी को देगा ।

प्ररूप-21
[नियम-39 देखें]
नामांकन की सूचना (नोटिस)

नगर निगम के वार्ड संख्या से पार्षद

नगर निगम के महापौर/उप-महापौर का निर्वाचन

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में आज
(तारीख) 3:00 बजे अपराहन तक निम्नलिखित नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं :-

नामांकन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता
1	2	3	4	5

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की जाति/ जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का विवरण	निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी की क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	निर्वाचक नामावली में प्रस्तावक की क्रम संख्या
6	7	8	9

स्थान
तारीख

रिटर्निंग अधिकारी या
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

प्ररूप-22

[नियम 40 (7) देखें]

विधिमान्य रूप से नाम -निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची

नगर निगम.....के वार्ड संख्या.....से पार्षद,.....नगर निगम
के महापौर/उपमहापौर.....का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अध्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.	2.	3.	4.

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप-23

[नियम 41 (1) देखें]

नाम वापसी की सूचना(नोटिस)

नगर निगम..... वार्डसे पार्षद,.....नगर निगम ..
.....वार्ड.....से महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,
.....
.....

मैं.....उक्त निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी एतद्वारा अपनी
अभ्यर्थिता वापिस लेता हूँ।

स्थान.....
तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना (नोटिस) मुझे.....द्वारा.....तारीख ..
.....कोबजे मेरे कार्यालय में दी
गई।

रिटर्निंग अधिकारी या
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (नोटिस) की रसीद (सूचना (नोटिस) देने वाले व्यक्ति को
दी जानी है।)

नगर निगम..... के वार्ड संख्या.....के पार्षद नगर निगम के
महापौर/उपमहापौर के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी.....की अभ्यर्थिता की
वापिस की सूचना (नोटिस)द्वारा मुझको मेरे कार्यालय में
.....बजे.....(तारीख) को परिदत् की गई।

रिटर्निंग अधिकारी या
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

तारीख.....

प्ररूप-24

[नियम 41 (2) देखें]

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (नोटिस)

नगर निगम.....के वार्ड संख्या.....के पार्षद, नगर निगम के
महापौर/उपमहापौरका निर्वाचन।

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित अभ्यर्थी /अभ्यर्थियों ने उक्त निर्वाचन से अपनी
अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापिस ले ली है :-

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	टिप्पणी
1.	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5 इत्यादि			

तारीख.....
स्थान.....

रिटर्निंग अधिकारी या
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

प्ररूप-25

[नियम 42 देखें]

निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची

नगर निगम.....के वार्ड संख्या.....के पार्षद, नगर निगम के महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आबंटित चिह्न (प्रतीक)
1.	2	3	4

तारीख.....
स्थान.....

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप-26

[नियम 45 देखें]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं,नगर निगम.....के वार्ड संख्या.....के पार्षद, नगर निगम के महापौर/उपमहापौर के.....को होने वाले निर्वाचन के लिए.....अभ्यर्थी एतद्वारा श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्रीनिवासी.....को, इस तारीख से उपरोक्त निर्वाचन की समाप्ति तक अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

तारीख.....
स्थान.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

तारीख.....
स्थान.....
अभिकर्ता.....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त निर्वाचन में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध है, जिन्हें मैंने पढ लिया है/ जिन्हें मुझे पढ़कर सुनाया गया है।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

तारीख.....
स्थान.....

अनुमोदित रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-27

[नियम 46 (2) देखें]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर निगम.....के वार्ड संख्या.....के पार्षद, नगर निगम के वार्ड.....के महापौर/उपमहापौर।

मैं..... उक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी एतद्वारा श्री /पुत्र / पुत्री.
श्री..... निवासी.....को, मतदान संख्या.....
पर, जोपर मतदान के लिए नियत स्थान है, मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त
करता हूँ।

तारीख.....
स्थान.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(मतदान अभिकर्ता की घोषणा, जो पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है) –

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त निर्वाचन में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जो हिमाचल
प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध है, जिन्हें मैंने पढ़
लिया है / जिन्हें मुझे पढ़कर सुनाया गया है।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए।

स्थान.....
तारीख.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-28
[नियम-48 (2) देखें]

नगर निगम/वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के दैनिक लेखों के रख रखाव हेतु रजिस्टर

1. अभ्यर्थी का नाम
2. वार्ड/ नगर निगम का नाम जहां से निर्वाचन लड़ा गया
3. पद जिसके लिए निर्वाचन लड़ा गया
4. नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख
5. परिणाम घोषित किए जाने की तारीख

व्यय की तारीख	व्यय का स्वरूप	व्यय की राशि		भुगतान की तारीख
		संदत्त	बकाया	
1	2	3	4	5

पाने वाले का नाम और पता	संदत्त राशि की दशा में वाउचरों की संख्या	बकाया राशि की दशा में बिलों की संख्या	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे बकाया राशि दी जानी है	टिप्पणियां
6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे, मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखों की सही प्रति है।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्ररूप-29

[नियम-48 (5) और 48 (10) देखें]

वार्ड/ नगर निगम का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले निर्वाचन व्यय का ब्यौरा

1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम
2. वार्ड/ नगर निगम का नाम

व्यय की मद	स्रोत जिनसे राशि प्राप्त हुई	व्यय की राशि	संदाय की तारीख	संदाय का तरीका	लेखे के साथ संलग्न संदाय का साक्ष्य	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

1. प्रतिभूति निक्षेप पर व्यय
2. निर्वाचन नामावालिओं की प्रतियों के कय पर व्यय
3. घोषणा-पत्र की छपवाई एवं पोस्टरों/ इश्तहारों आदि की छपवाई पर व्यय
4. पोस्टरों के चिपकाने पर व्यय
5. दीवार पर लिखाई और विज्ञापनों के प्रकाशन पर व्यय
6. जन सभाओं के लिए स्थानों पर किराया प्रभार और जन सभाओं के लिए पंडालों आदि के किराया प्रभार
7. जन सभाओं के लिए लाउडस्पीकरों पर किराया खर्च
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों के किराया, पेट्रोल, तेल और स्नेहन (पी0 ओ0 एल0) पर खर्च।
9. निर्वाचन अभिकताओं/ मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रयोग में लाए गए वाहनों के पेट्रोल, तेल और स्नेहन (चिकनाई) आदि तथा किराया पर खर्च
10. प्रकीर्ण व्यय (उपरोक्त से अन्यथा)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्ररूप-30
[नियम-48 (10) देखें]

नगर निगम/वार्ड का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. अभ्यर्थी का नाम
2. वार्ड/ नगर निगम
3. पद जिसके लिए निर्वाचन लड़ रहा है
4. नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख
5. परिणाम घोषित किए जाने की तारीख

व्यय की तारीख	व्यय का स्वरूप	व्यय की राशि		भुगतान की तारीख
		संदत्त अदायगी	बकाया	
1	2	3	4	5

पाने वाले का नाम और पता	व्यय की गई राशि के वाउचर की संख्या	बकाया अदा की जाने की दशा में बिलों की संख्या	उन व्यक्तियों का नाम और पता जिन्हें बकाया राशि दी जानी है	टिप्पणियां
6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे, मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखों की सही प्रति है।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्ररूप-31

[नियम-48 (10) देखें]

शपथ पत्र

- मैं..... सुपुत्र/पत्नी/पुत्री.....आयु.....वर्ष
निवासी.....एतद्द्वारा/सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता /करती हूँ:-
- (1) यह कि मैं.....साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन में.....
वार्ड संख्या/नगर निगम जिसका परिणाम.....तारीख को घोषित हुआ था, में
निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था/थी ।
- (2) यह कि मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा.....(तारीख जिसमें नामनिर्दिष्ट हुआ) एवं
जिस तारीख को परिणाम घोषित हुआ, दोनों तारीखों को मिलाते हुए की अवधि का उपरोक्त
निर्वाचन के सम्बन्ध में मेरे द्वारा स्वयं/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय का
सही लेखा रखा गया था ।
- (3) यह कि उक्त लेखा हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 से संलग्न प्ररूप 28 से
30 में रखा गया है और उक्त लेखे की सत्यापित प्रति उपरोक्त लेखे में समर्थित वाउचर/बिलों के
साथ संलग्न की जा रही है ।
- (4) यह कि मेरे निर्वाचन व्ययों का लेखे, जो इसके साथ संलग्न हैं, में मेरे स्वयं या मेरे निर्वाचन
अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत या उपगत निर्वाचन व्यय की सभी मदें सम्मिलित हैं और उसमें कुछ भी
छिपाया या रोका/दबाया नहीं गया है ।
- (5) यह कि उपरोक्त पैरा (1) से (4) में दिए गए विवरण मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही है और
कुछ भी झूठ नहीं है और जो कुछ भी महत्वपूर्ण है छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी

द्वारा 201..... के दिन की
..... द्वारा
सत्यनिष्ठा से ली गई शपथ ।

प्ररूप-32

[नियम-48 (11) देखें]

अभिस्वाकृति

..... वार्ड/ नगर निगम जिसका परिणाम तारीखको घोषित किया
गया था, के श्री(अभ्यर्थी) द्वारा को निर्वाचन में कुल
व्यय का व्यौरा विहित प्रारूप पर दाखिल कर दिया गया है एवं आज तारीख माह
वर्ष को मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है ।

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप-33

[नियम-50 देखें]

जिस स्थान के लिए निर्वाचन न लड़ा गया हो, उस में प्रयोग किया जाने वाला

नगर निगम के वार्ड संख्या के पार्षद, नगर निगम
के महापौर/उप-महापौर का निर्वाचन।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 के नियम 50 के उपबन्धों के अनुसरण में, मैं
घोषणा करता हूं कि :-

नाम

पता

को उपरोक्त वार्ड/ नगर निगम..... से सम्यक् रूप में पार्षद/महापौर/
उप-महापौर निर्वाचित किया गया है।

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-34

[नियम 56 (2), और 75 देखें]

भाग-1

प्रयुक्त की गई पेपर सील का अभिलेख

नगर निगम.....के लिएवार्ड से निर्वाचन।

मतदान केन्द्र का नाम और संख्या.....

प्रयुक्त की गई मतपेटी की क्रम संख्या	प्रयुक्त की गई पेपर सीलों की क्रम संख्या	टिप्पणी
1.	2.	3.

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

भाग-2

पेपर सील का लेखा

1. जारी की गई पेपर सीलों की क्रम संख्या.....सेतककुल (योग)..... 1.....
2. प्रयुक्त की गई पेपर सील..... 2.....
3. अप्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्या.....सेतक कुल (योग)..... 3.....
4. क्षतिग्रस्त सीलों, यदि कोई हों, की क्रम संख्या.....से.....तक कुल योग..... 4.....

स्थान.....
तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-35
[नियम 58 (1) देखें]
मत-पत्र

नगर निगम.....की वार्ड संख्या-नाम सहित.....से पार्षद का निर्वाचन।

नगर निगमके महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन।

वार्ड/नगर निगम
मतदाता की क्रम संख्या
संख्या

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

वार्ड/नगर निगम का नाम और संख्या

अभ्यर्थी का नाम	चिह्न(प्रतीक)
1.	2.

(-)

प्ररूप-36
[नियम 64 (1) देखें]

निर्वाचन कर्तव्य (इलैक्शन ड्यूटि) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

प्रेषित

रिटर्निंग अधिकारी,
वार्ड संख्या
नगर निगम

महोदय,

मैं.....नगर निगम की वार्ड संख्या.....से पार्षद के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत व्यक्तिगत रूप से देना चाहता हूँ।

मुझे नगर निगम के वार्ड(मतदान केन्द्र का नाम और संख्या) में निर्वाचन कर्तव्य (इलैक्शन ड्यूटि) पर नियुक्त किया गया है किन्तु मेरा नाम नगर निगम के वार्डके मतदान केन्द्र.....की निर्वाचक की नामावली की क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे (प्ररूप-38) में एक निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, उस मतदान केन्द्र से जहाँ मतदान के दिन कर्तव्य रूढ़ रहूँगा, मत देने के लिए दिया जाए।

यह प्रमाण पत्र मुझे निम्न पते पर भेजा जाए :-

स्थान.....
तारीख.....

भवदीय,

()

प्ररूप-37
[नियम 64 (2) देखें]

प्रेषित,

रिटर्निंग अधिकारी,
नगर निगम
वार्ड संख्या (नाम सहित)

महोदय,

मैं नगर निगम.....के (वार्ड).....से महापौर/ उपमहापौर/ पार्षद के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत देना चाहता हूं।

मेरा नाम नगर निगमके वार्ड संख्या..... की निर्वाचक नामावली के मतदान केन्द्र (संख्या और नाम)में कम संख्या.....पर प्रविष्ट है।

मुझे पार्षद के निर्वाचन हेतु डाक मत-पत्र और महापौर/उपमहापौर के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ई0डी0सी0) निम्नलिखित पते पर भेजे जाएं :-

नाम
पता.....

स्थान.....
तारीख.....

भवदीय,

()

प्ररूप-38

[नियम 64 (2) और 65 (1) देखें]

निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नगर निगम केवार्ड संख्या.....में निर्वाचक है,.....
.....मतदान केन्द्र (संख्या और नाम) के लिए उसका निर्वाचक नामावली संख्या.....है, उसके
निर्वाचन कर्तव्य रूढ़ होने के कारण वह उस मतदान केन्द्र में जहां वह मत देने का हकदार है,
मत देने में असमर्थ है और इसलिए वह वार्ड के मतदान केन्द्र.....(संख्या और नाम) में
जहाँ मतदान के दिन वह कर्तव्य रूढ़ हो, मत देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

प्ररूप-39

[नियम 68 देखें]

अन्धे या अपंग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा

नगर निगम.....के (वार्ड).....के लिए वार्ड संख्या से पार्षद का निर्वाचन ।

नगर निगम.....के महापौर/ उपमहापौर का निर्वाचन ।

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम.....में

सपुत्र.....आयु.....निवासी.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि :-

(क) आज.....को मैंने इस या किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी अन्य

मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है ; और

(ख) मैं डाले गए मत की गोपनीयता को व्यक्त नहीं करूंगा जो मैंने

.....की ओर से दिया है।

मतदाता का नाम और निर्वाचन नियमावली में क्रम
संख्या दी जाए।

स्थान
तारीख.....

साथी के हस्ताक्षर

प्ररूप-40
[नियम 68 (2) देखें]

अन्धे और अपंग मतदाता की सूची
नगर निगमके लिए वार्ड संख्या.....से पार्षद का निर्वाचन नगर निगम...
..... के महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन।
मतदान केन्द्र का नाम व संख्या.....

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पता	साथी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-41
[नियम 70 (2) और 75 देखें]

निविदत्त मतों की सूची।

नगर निगम वार्ड संख्या.....से पार्षद का निर्वाचन
नगर निगम..... के महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन।
मतदान केन्द्र का नाम व संख्या.....

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र की क्रम संख्या
1	2	3	4

उस व्यक्ति को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या जिसने पहले ही मतदान कर दिया हो	मतदेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर व निशान अंगूठा
5	6

स्थान.....

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-42

[नियम 71 (1) और 75 देखें]

उन मतों की सूची जिनमें आक्षेप किया गया है

नगर निगम के लिएवार्ड संख्या.....से पार्षद का निर्वाचन ।
नगर निगम..... के लिए महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन ।
मतदान केन्द्र का संख्या और नाम

मतदाता की क्रम संख्या	नाम व पता	मतदाता के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा	पहचान कर्ता का नाम, यदि कोई हो	पीठासीन अधिकारी के प्रत्येक मामले में आदेश
1	2	3	4	5

स्थान.....
तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-43

[नियम 74 देखें]

मतपत्रों का लेखा

नगर निगम के लिए..... वार्ड संख्या.....से पार्षद का निर्वाचन ।

नगर निगम..... के लिए महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन ।
मतदान केन्द्र का नाम और संख्या

भाग-I

	क्रम संख्या	कुल संख्या
(i) प्राप्त मतपत्र		
(ii) अप्रयुक्त मतपत्र		
(iii) मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र		
(iv) रद्द किए गए मतपत्र		
(v) निविदत मतों के लिए प्रयुक्त किए गए मतपत्र		

तारीख.....
स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग- II
गणना की विवरणी (रिटर्न)

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3
1.		
2		
3		
4		
	डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या	
	रद्द किए गए मतपत्र	
	मतपेटियों में प्राप्त कुल मतपत्र	
	भिन्नता, यदि कोई हो	

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
तारीख.....

प्ररूप-44
निर्वाचन की विवरणी
[नियम 80(6) देखें]

नगर निगम के लिए..... वार्ड संख्या..... से निर्वाचन ।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या का योग
1 ^प	2	3
1.		
2		
3		
4		
5		

– डाले गए मतों की कुल संख्या

– डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या

–अस्वीकृत मतों की कुल संख्या

मैं घोषणा करता हूँ कि(नाम और पता) नगर निगमके
...वार्ड संख्या में स्थान (सीट)की पूर्ति के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए है।

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-45
[नियम 77(4) देखें]
भाग- I
मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति

नगर निगम के लिए..... वार्ड संख्या
से पार्षद का निर्वाचन ।

नगर निगम..... के लिए महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन ।

मैं.....जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, श्री/श्रीमती.....को
पता..... (स्थान) पर होने वाली मतगणना के लिए मतगणना के समय पर उपस्थित रहने
के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

तारीख..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पता.....
मैं ऐसे मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

तारीख..... मतगणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर
पता.....

भाग- II

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतगणना अभिकर्ता की घोषणा
मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं निगम के उपर्युक्त निर्वाचन में ऐसा कुछ नहीं
करूंगा, जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 22 और अन्य किसी
सुसंगत धाराओं तथा तद्धीन बनाए गए नियमों, जिन्हें मैंने पढ़ लिया है/ मुझे पढ़कर सुना दिया
है।

तारीख..... मतगणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
स्थान.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए

स्थान.....
तारीख..... (रिटर्निंग अधिकारी)

प्ररूप-46
[नियम 80(3)]

महापौर/उपमहापौर, पार्षदों के निर्वाचन की विवरणी

नगर निगम के लिए.....वार्ड संख्या से पार्षद का निर्वाचन।

नगर निगम..... के महापौर/उपमहापौर का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
इत्यादि		

(क) डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या

(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या

(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या

मैं, घोषणा करता हूँ कि

.....नाम

.....पता

.....नगर निगमके उपरोक्त वार्ड संख्या.....से सम्यक रूप से
महापौर/उपमहापौर/पार्षद निर्वाचित किए गए हैं।

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

(-)

प्ररूप-47
[नियम-80 (3) देखें]
पार्षदों के निर्वाचन की परिणाम-सूची

नगर निगम.....के लिए.....वार्ड संख्या से पार्षद का निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए विधिमान्य मतों का योग (की संख्या)
1		
2		
3		
4		
5		
इत्यादि		

- (क) डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या
(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....
(ग) कुल डाले गए मतों की संख्या (क + ख)
(घ) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....
(ङ) टिप्पणियां.....

मतगणना का स्थान.....

मैं घोषणा करता हूं कि:-

.....
.....

नाम

पता

उपरोक्त वार्ड से सम्यक रूप से पार्षद निर्वाचित किए गए हैं।

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-48
[नियम-80 (3) देखें]
महापौर/उप-महापौर के निर्वाचन का परिणाम

नगर निगम.....के महापौर/उप महापौर का निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए विधिमान्य मतों का योग (की संख्या)
1		
2		
3		
4		
5		
इत्यादि		

- (क) डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....
(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या

- (घ) निविदत्त मतों की कुल संख्या.....
(ङ.) टिप्पणी.....

मैं धोषणा कता हूं कि:-

.....

नाम

.....

पता

उपरोक्त नगर निगम के लिए सम्यक रूप से महापौर/उप-महापौर निर्वाचित किए गए हैं।

स्थान.....

तरीख.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-49
[नियम-80 (3) देखें]
परिणाम सूची

नगर निगम.....के महापौर/उप महापौर का निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए विधिमान्य मतों का योग (की संख्या)
1		
2		
3		
4		
5		
इत्यादि		

- (क) डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
(ख) अस्वीकृत मतों की कुल संख्या.....
(ग) कुल डाले गए मतों की संख्या(क + ख)
(घ) निविदत मतों की कुल संख्या.....
(ङ) टिप्पणियां.....

मतगणना का स्थान:
तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-50
[नियम-89 (3) देखें]

मैं....., श्री / श्रीमती.....के.....से निर्वाचन के बारे में आपत्ति (प्रश्नगत) करने वाली संलग्न याचिका, जो उक्त याचिका में प्रत्यर्थी संख्या..... है, मैं याची सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान करता हूँ/ शपथ लेता हूँ :-

(क) कि.....के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विषय से संलग्न निर्वाचन याचिका के पैरा में किए गए कथन और उससे संलग्न अनुसूची के.....पैरा में दिए गए ऐसे भ्रष्टाचार की विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

(ख) कि उक्त याचिका के.....पैरा में.....के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विषय में किया गया कथन और उक्त याचिका के.....पैरा में किए गए ऐसे भ्रष्टाचार की विशिष्टियां और उससे संलग्न अनुसूची के.....पैरे में किया गया कथन, मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

(ग)

(घ)

इत्यादि

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष श्री / श्रीमती.....द्वारा.....दिन.....2012 सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया / शपथ ग्रहण की गई है।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट

आदेश द्वारा

(भारती एस0 सिहाग)
प्रधान सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यु0डी0-ए(3)-7/2011 तारीख शिमला-2, the 23-03-2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मजीठा हाउस, शिमला-2
3. मण्डलायुक्त शिमला, मण्डल शिमला-2

4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, पालिका भवन, टा-लैंड शिमला-2
5. आयुक्त, नगर निगम शिमला-1
6. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला-1
7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करें।

अवर सचिव (शहरी विकास)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

(English Text of the Department's Notification No. UD-A(3)-7/2011 Dated 23.03.2012 as required under Article 348(3) of the Constitution of India).

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**

NOTIFICATION.

No. UD-A(3)-7/2011

Shimla-2, the

23rd March, 2012

In Exercise of the powers conferred by sections 6,31 and 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to the following rules for carrying out purposes of the Act ibid after the draft of which had been previously published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 16.3.2012 vide this Department's notification of even number dated 14.3.2012, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title. - These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012.

2. Definition. – (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or the context,-

- (i) **"Act"** means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994);
- (ii) **"Agent"** means any person appointed in writing by a candidate at an election to be agent for the purpose of these rules;

- (iii) **“Ballot Box”** means any box, bag or other receptacle used for the insertion of ballot paper by electors and shall also include the **Electronic Voting Machine in case the votes are recorded through it;** **“Commission”** means the State Election Commission defined under clause (58) of section 2.
- (iv) **“Delimitation”** means the delimitation of wards made under these rules;
- (v) **“Deputy Commissioner”** means the Deputy Commissioner of the District and includes such other officer as may be appointed **on the recommendation of the Commission** by the State Government to perform the functions of the Deputy Commissioner for the purposes of these rules;
- (vi) **“Divisional Commissioner”** means the Commissioner of the Division concerned;
- (vii) **“election”** means an election of the **Councilors, Mayor and Deputy Mayor of the Corporation;**
- (viii) **“Elector”** means any person entitled to vote at an election of **Councilors, Mayor and Deputy Mayor of the Corporation;**
- (ix) **“Electoral roll”** means the electoral roll of persons of a ward entitled to vote at an election under these rules;
- (x) **“Electoral Registration Officer (Municipal Corporation)”** means an officer appointed by the Commission for the purpose of preparation of electoral rolls in accordance with these rules.
- (xi) **“Form”** means a form appended to these rules;
- (xii) **“Government”** means the Government of Himachal Pradesh;
- (xiii) **“Oath or affirmation”** means the oath or affirmation of allegiance specified under sub-section (1) of section 33;
- (xiv) **“Office Bearer”** means a person elected as Mayor or Dy. Mayor or Councilor, as the case may be by the voters of the Corporation;
- (xv) **“Polling Station”** means the place fixed by the **Returning Officer for the conduct of election to the Corporation;**
- (xvi) **“population”** means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (xvii) **“Revising Authority”** means a Gazetted Officer or an Executive Magistrate who may be appointed by **the Electoral Registration Officer (Municipal Corporation)** as the revising authority in respect of electoral roll of a ward or a part thereof ;
- (xviii) **“section”** means **section of the Act;**
- (xix) **“Symbol”** means a symbol which may be allotted to a candidate for contesting election under these rules;
- (xx) **“Treasury”** means a treasury or sub treasury of the State Government and includes a bank through which the business of such treasury or sub-treasury has been made over: and
- (xxi) **“ward”** means a ward for the representation of which an office bearer is to be or has been elected under these rules,

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER-II DELIMITATION AND RESERVATION OF WARDS.

3. Corporation to be divided into wards- (1) For holding of election to a Corporation it shall be divided into wards.

(2) The number of wards under sub-rule(1) in a Corporation shall be determined in accordance with the provisions of **section 6**.

4. Limit of wards- (1) As far as practicable each ward shall have equal population, **through out the municipal area** and each ward shall be geographically compact and contiguous in areas, and shall have **recognizable** boundaries, such as roads, paths, lanes, streets, stream, canals, drains, Bridges, Railway lines or such other marks or boundaries which can be easily distinguished.

(2) One councilor shall be elected from each ward.

(3) Each ward shall be described and notified invariably in such a manner that its boundaries are clearly recognizable on ground

5. Name and number of the wards-Each ward shall be known by the number given serially and a name shall also be given to it.

6. Delimitation of wards.- (1) When a direction is given under section 9 by the Commission, the Deputy Commissioner shall make a proposal for delimitation of wards by dividing the municipal area into wards as per provisions of **section 6** and shall also define the limits of each such ward and keep the same open for inspection in his office and in office of the Corporation and issue a notice inviting **public objections from the residents** in relation to such proposal in Form-I by affixing a copy of such notice in his office and in the office of the Corporation.

(2) While issuing notice, the Deputy Commissioner shall call for objection(s) to the draft delimitation proposal from the residents of the Municipal area within a period of ten days to be made to him in writing by any resident of the ward in Form-II.

7. Disposal of objections - The Deputy Commissioner on receipt of objection(s), if any, under **rule 6**, shall inquire into the same and shall decide them within a period of **ten days**, after giving an opportunity of being heard to the **person** filing such objections.

8. Appeal - Any **person** aggrieved by the orders of the Deputy Commissioner may file an appeal to the Divisional Commissioner within a period of **ten days** who after giving an opportunity of being heard to the applicant shall decide the same within a period of **ten days** and communicate the order to the Deputy Commissioner. The order passed by the Divisional Commissioner shall be final .

9. Final publication.- (1) After all the objections have been heard and finally decided, the delimitation so made shall be finalized within a period of 45 days from the date of initial publication of the proposal for delimitation by affixing a copy of the same in the office of the Deputy Commissioner, the Corporation and at such other places as the

Deputy Commissioner may decide and a copy of the same shall be sent to the Government .

(2) **On receipt of final delimitation order from the Deputy Commissioner** the State Election Commission shall notify the delimitation of wards of the Corporation in the Official Gazette.

(3) The copies of these finalized delimited wards shall be available for inspection in the office of the Deputy Commissioner and the Corporation. Any voter can have a copy of delimitation order by making payment of **Rs. 50/-** against receipt to the Deputy Commissioner and the same shall be made available to him immediately.

10. Reservation and Rotation of Seats of Councillors- (1) The seats shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population. The seat in ward having highest percentage of population of Scheduled Castes shall be reserved for the members of the Scheduled Castes and seat in the ward having the highest population of Scheduled Tribes shall be reserved for the Scheduled Tribes.

(2) If the number of seats to be reserved for the members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes is more than one, then the seat in ward having the next highest percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be reserved for the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, and so on:

Provided that if the total population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Corporation area is **less than 5%** of the total population, then no seat shall be reserved for them.

(3) Out of the seats reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, one – half of the seats shall be reserved for women members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be. **The reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribe Women, as the case may be, shall be made by draw of lots.**

Provided that if the number of seats reserved is not more than one, then there shall be reservation for men and women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be , alternatively, **after every five years;**

Provided further that if the number of seats reserved for the members of Scheduled castes and Scheduled Tribes, as the case may be, are two then atleast one ward shall be reserved for the women member belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.

(4) In the corporation out of the total wards formed under **rule 9**, one –half of the seats shall be reserved for women including the reservation made under sub-rule(4) and in computing these seats if the remainder after dividing is one, then in the first election the seats reserved for women shall be increased by one and in the next election it shall not be added and so on.

(5) The seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of percentage of population shall be changed in the next election and at the time of following elections, the seats of the ward / wards, containing the next highest percentage of population shall be reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes including Women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the seat of the ward earlier reserved shall be kept open to the members of the *general category and so on for subsequent elections.

Explanation: General category includes men or women or both belonging to this category.

(6) The reservation of seats for Women shall be made by draw of lots after excluding the seats which have been reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates including women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.

(7) The Deputy Commissioner shall issue a three days clear notice specifying therein the date, place and time of the draw of lots and such notice shall be affixed on the notice board of his office and that of the Corporation and he shall also proclaim it by beat of drums within the municipal area. The draw shall take place on the date, place and time specified in the presence of atleast three prominent persons of the municipal area and three gazetted officers of the Government

(8) No ward shall be reserved for Scheduled Casts and Scheduled Tribes Candidates in two consecutive elections.

(9) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of seats shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the above rules as if said elections are being conducted for the first time and thereafter, the reservation of seats shall be rotated to different wards of Corporation under this rule:

(10) The reservation made by the Deputy Commissioner shall be given wide publicity by him by affixing a copy of the order of such reservation on the notice board of his office and that of the Corporation and be shall also sent a copy of the same to the Government.

11. Report to Commission: The Government shall cause to be delivered a copy of final reservation order made by it immediately to the Commission.

CHAPTER-III

RESERVATION AND ROTATION OF OFFICE OF MAYOR

12. Reservation and rotation of the office of Mayor:- (1) The reservation cycle for the office of Mayor shall be rotated as under:-

- (i) during first five year General
- (ii) during second five year Women
- (iii) during next five year Scheduled Castes; and
- (iv) during next five year Scheduled Tribes:

Provided that where the population of any class of persons referred to above is less than fifteen per cent of the total population of the Corporation area, the office of Mayor shall not be reserved for that class and same shall be open to all categories

(2) The roster of reservation in sub-rule (1) shall be repeated after **completion of one cycle.**

13 Report to Commission:- The Government shall cause to be delivered a copy of the order regarding final reservation and rotation of office of Mayor made by it immediately to the Commission.

CHAPETER-IV

ELECTORAL ROLLS.

14. Electoral roll for every ward. – (1) For each ward or polling station of a Corporation, there shall be a electoral roll which shall be prepared in the manner specified in rules 15 to 29 by the **Electoral Registration Officer** under the superintendence, direction and control of the Commission:

Provided that nothing in this rule shall prevent the use of the relevant part of the current electoral rolls of the Assembly constituency for the preparation of draft rolls for the elections under these rules.

(2) The electoral rolls shall be prepared in Hindi Devnagari Script in such form as may be directed by the State Election Commission.

15. Preparation of Electoral roll.- When a direction is given under rule 14 by the Commission, the **Electoral Registration Officer** shall cause to be prepared electoral roll, for each ward or part there of the Corporation, in accordance with these rules.

16. Disqualification for registration in Electoral rolls.- (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll, if he, –

- (a) is not a citizen of India; or
- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) is for the time being disqualified for voting under the laws relating to corrupt practices and other offences in connection with elections to municipalities or Assembly or Parliament; or
- (d) is not ordinarily resident of the ward; or
- (e) is less than 18 years of age on or before 1st January or the date as may be notified by the Commission for the preparation or revisions of electoral rolls as the case may be; or
- (f) *is already registered as elector in any other municipality or Gram Sabha, as the case may be.*

(2) A person shall be entitled to be registered in the electoral rolls for only one ward of the Corporation.

(3) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in a ward on the ground only that he owns, or is in possession of dwelling house therein. A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

17. Publication of Electoral roll in draft.- (1) **Once the draft Electoral roll of a ward is ready, the Electoral Registration Officer shall publish it in draft according to**

programme issued by the Commission together with a notice in **Form-3** and make available copies thereof for inspection at his office, and in the offices of the Corporation and Tehsil concerned.

(2) The notice under sub-rule (1) shall also be given publicity through news-papers having large circulation in the area, All India Radio, by beat of drum in the town and by affixing copies of such notice in his office and office of the Corporation and the Tehsil concerned and at such other conspicuous place where the public has free access. The notice shall contain the date by which objections or claims may be filed and the authority or authorities to whom they may be presented.

18. Period for lodging claims and objections.- Every claim for the inclusion of name in the Electoral roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a period of 10 days from the date of publication of draft Electoral roll under **rule 17**, or within such shorter period as may be fixed by the Commission in this behalf.

19. Appointment of Revising Authorities.- The **Electoral Registration Officer** may appoint one or more Revising Authority(ies) for the purpose of hearing claims and objections relating to Electoral roll of a ward or wards. **These appointments as and when made shall be given wide publicity.**

20. Manner of lodging of claims and objections.- (1) A claim or objection shall be addressed to the Revising Authority specified in the notice referred to in **rule 19** and shall be presented to it personally or sent by registered post. Every claim for inclusion of name, objection to the inclusion of the name or objection to the particulars in any entry in the electoral roll shall be in **Forms 4,5 or 6**, as the case may be.

(2) A claim shall be signed by the person desiring his name to be included in the Electoral roll and countersigned by another person whose name is already included in the Electoral roll in which the claimant desires his name to be included and shall, unless sent by post, be presented by claimant himself or by a person authorized by him in writing in this behalf.

(3) No person shall prefer an objection to the inclusion of any name in the Electoral roll, unless his name is already included in that Electoral roll **of the Corporation.**

(4) The Revising Authority shall maintain a register of claims, in **Form-7**, a register of objections to the inclusion of names in **Form-8**, and a register of objections to the particulars in any entry in **Form-9**, and cause to be entered therein the time of their receipt, particulars of every claim or objection, as the case may be.

(5) Any claim or objection, which is not lodged within the specified period or in the manner herein specified, shall be rejected and the decision shall be recorded in the register prepared in **Forms 7,8 and 9**, as the case may be.

21. Notice of claims and objections.- (1) Where a claim or objection is not rejected under sub-rule (5) of **rule 20**, the Revising Authority shall after the period specified for the presentation of claims and objections has expired, exhibit on the notice board of his office, a list of all claims or objections in **Forms 10,11 and 12**, as the case may be.

(2) Every claimant and objector shall be given a notice regarding place, date and time of hearing of such claim or objection and shall further be asked to adduce such evidence, as he may like to adduce in **Forms 13,14 and 16**, as the case may be.

(3) A person against whom objection has been received by the Revising Authority for the **inclusion or** deletion of his name in or from the electoral roll shall also be given a notice in **Form 15** of the place, date and time fixed for hearing of objection, at his last known place of residence and be asked to adduce such evidence as he may like to adduce for his defense.

22. Disposal of claims and objections.- (1) On the date, time and place fixed under the provisions of **rule 20**, the Revising Authority shall hear and **decide within 10 days or such shorter period as may be specified by the Commission** the claims and objections under the provisions of these rules, and shall record his decision in the registers in **Forms 7,8 and 9**, as the case may be.

(2) Copy of the order relating to the objection shall be given on payment of Rs. 15/- to the claimant against receipt and objector immediately, if he is present. Otherwise he can get the copy of the same on payment of Rs. 25/- in cash against receipt.

(3) Any person aggrieved by an order passed under the provisions of **sub-rule (1)**, may, within 3 days from the date of the order, file an appeal to **Electoral Registration Officer**, who shall as far as practicable, within a week, decide the same.

(4) If it appears to the **Electoral Registration Officer** that due to inadvertence or error during the preparation of **draft** Electoral rolls, names of electors have been left-out of the Electoral roll or the names of dead persons or persons who ceased to be or are not ordinarily resident in the ward or part thereof have been included in the Electoral roll **or certain voters have been shown in the wrong ward or polling station** and that remedial action is required to be taken under this sub-rule, shall **within seven days from the date of publication of draft Electoral roll -**

(a) prepare a list of the name and other particulars of such electors;

(b) exhibit on the notice board of his office a copy of the list together with a notice as to the date(s) and place (s) at which the matter of inclusion of the names in Electoral roll or deletion of the names from the Electoral roll shall be considered; and

(c) after considering any verbal or written objection that may be preferred, decide whether all or any of the names may be included in or deleted from the Electoral roll.

23. Final publication of Electoral roll.- (1) The Revising Authority as soon as it has disposed of all the claims or objections presented to it, shall forward the same along with the register of such claims or objections and the orders passed by it thereon to the **Electoral Registration Officer**, who shall cause the Electoral roll to be corrected in accordance with such orders or the orders passed on appeal by him under sub-rule (3) of rule 22 **and corrections consequential to sub-rule(4) of rule 22**, as the case may be, and shall publish the **final Electoral roll, on a date fixed by the Commission** by making a complete copy thereof available for inspection and display a notice thereof in **Form- 17** in his office and also in the offices of the Corporation and the Tehsil concerned.

(2) On such publication, the Electoral roll with or without amendments shall be the electoral roll of the ward or part thereof and shall come into force from the date of its publication under this rule.

24 Special Revision of Electoral rolls.- Notwithstanding anything contained in **rule 23**, the Commission may at any time, for the reasons to be recorded, direct a special revision for any ward or part thereof in such a manner as it may think fit :

Provided that, subject to, other provisions of these rules, the Electoral rolls for the wards or part thereof as in force at the time of the issue of any such directions shall continue to be in force until the completion of the special revision, so directed.

25. Correction of entries in Electoral rolls.- If the **Electoral Registration Officer** on an application in **Form-6** or in **Form-18** made to him, or on his own motion, is, satisfied, after such inquiry as he thinks fit, that any entry in the Electoral roll -

- (a) is erroneous or defective in any particular;
- (b) should be deleted on the ground that the person concerned is dead or has ceased to be ordinarily resident or is otherwise not entitled to be registered in that Electoral roll, he shall amend or delete the entry:

Provided that before taking any action on any ground under clause (a) or clause (b), the **Electoral Registration Officer** shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him:

Provided further that an application under this rule at any time after the publication of the election programme under **rule 33** shall be made to the **Electoral Registration Officer** not later than 8 days before the last date fixed for the filing of nomination papers.

26. Inclusion of names in Electoral roll, finally published.- (1) Any person, whose name is not included in the Electoral roll, shall make an application in **Form-4** (in duplicate) to the **Electoral Registration Officer** for inclusion of his name in that Electoral roll, and such application shall be accompanied by a fee of Rs. 50/- to be paid in cash against receipt:

Provided that after the publication of the election programme under **rule 33** such application shall be made not later than 8 days before the last date for the filing of nomination papers.

(2) The **Electoral Registration Officer** shall immediately on receipt of application under **sub-rule (1)** paste one copy thereof in some conspicuous place at his office and invite objections thereto to be filed within a period of 4 days from the date of such pasting.

(3) The **Electoral Registration Officer** shall, as soon as may be, after the expiry of the period as specified in the notice under sub-rule (2), consider the objections, if any received by him and shall, if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the Electoral roll, direct such name to be included therein accordingly:

Provided that if the applicant whose name is ordered to be included, is already registered in the electoral roll of any other ward or part thereof such name shall be deleted from that Electoral roll.

(4) Where an application made under sub-rule (1) is rejected, an appeal shall lie, within a period of ten days from the date of rejection of the application for the inclusion of name or deletion of name to the **Divisional Commissioner** and the appeal shall be accompanied by a fee of Rs. **50/-** to be paid in cash against receipt. The **Divisional Commissioner** shall decide the appeal within **7 days** after giving opportunity to the party concerned of being heard and the order passed on such appeal shall be final.

(5) No amendment, transposition or deletion of any entry shall be made on or after the last date for making nomination till the election process is over.

27. Custody and preservation of Electoral roll and connected papers.- (1) After the Electoral roll for a ward has been finally published, the following papers shall be kept in the office of the **Electoral Registration Officer** or at such other place as the Commission may by order specify until the said Electoral roll remains in force:-

- (a) complete spare copies of the Electoral roll;
- (b) papers relating to claims and objections and orders under **rule 22**;
- (c) applications under **rules 25 and 26** and decisions thereon;
- (d) papers relating to appeals under **sub-rule (4) of rule 26**; and
- (e) manuscript and other papers **if any** prepared by enumerating agencies and used for compiling the Electoral roll.

(2) One complete copy of the Electoral roll for each ward duly authenticated by the **Electoral Registration Officer** shall also be kept at such places as the Commission may specify **till the new Electoral roll is finally published.**

28. Inspection of electoral rolls and connected papers. - Every person shall have the right to inspect the Electoral rolls under **rule 27** and get a copy thereof on payment of **Rs. 10/-** per page or part thereof to be paid in cash against receipt.

29. Disposal of Electoral rolls and connected papers.- The papers under **rule 27** shall, on the expiry of the period specified therein, be disposed of in such manner as the Commission may direct.

CHAPTER-V

OFFICERS AND THEIR DUTIES

30. Returning Officers and their duties.- (1) The Commission shall appoint the Deputy Commissioner of the District or such other officer, as it may deem fit to be the Returning Officer in respect of elections for the Corporation .

(2) The Returning Officer shall appoint as many Assistant Returning Officers as may be necessary to perform all or any of his duties.

(3) It shall be the duty of the Returning Officer to do all such acts and things as may be necessary for effectively conducting the election in the manner provided by these rules or orders made there-under.

(4) The Returning Officer shall fix such number of polling stations for every ward as he may deem necessary and shall publish on the date specified **by the Commission** in this behalf, by pasting a list thereof at his office and at the office of the Corporation showing therein clearly the polling area:

Provided that no polling station shall be located in a police station, hospital or a place having sectarian or religious significance:

Provided further that as far as possible the polling station shall be located in a Government, Semi Government or Municipal buildings, and in case no such building is available, the polling station shall be located in a temporary structure.

31. Appointment of polling personnel.- (1) The Returning Officer shall appoint Presiding Officers and such number of Polling Officers, as he thinks necessary, in respect of each polling station:

Provided that if the Polling Officer is absent from the polling station, the Presiding Officer may appoint any Government or Semi-Government or Corporation servant, who is present at the polling station, as a polling officer during the absence of the former officer and inform the Returning Officer accordingly.

(2) If the Presiding Officer, owing to illness or any other unavoidable cause is absent from the polling station, his functions shall be performed by such polling officer, as has been previously authorized by the Returning Officer to perform such functions during any such absence.

32. Duties of the Deputy Commissioner and other officers/staff: – (1) The **Deputy Commissioner / District Magistrate** and other officers/staff shall subject to the supervision and control of the Commission do all such acts and things as may be necessary for effectively conducting the elections in the manner provided by these rules or orders made there-under.

(2) The officers or staff employed in connection with the preparation, revision and correction of the Electoral rolls for and the conduct of elections shall be deemed to be on deputation with the Commission for the period during which they are so employed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Commission.

CHAPTER-VI

CONDUCT OF ELECTIONS

33 Election Programme.- (1) The State Election Commissioner shall frame a programme of general elections of the Corporation or a programme to fill up any casual vacancy in a Corporation or hold election to a Corporation which has been dissolved (hereinafter referred to as "election programme").

(2) The election programme shall specify the date or dates on, by, or within which -

- (i) the nomination papers shall be presented;
- (ii) the nomination papers shall be scrutinized;
- (iii) a candidate may withdraw his candidature;

- (iv) the list of contesting candidates shall be affixed:
- (v) the list of polling stations shall be pasted;
- (vi) the poll, if necessary shall be held on..... from..... A.M. to..... P.M. (the hours of poll shall not be less than six hours).
- (vii) the counting in the event of poll, shall be done..... (here time and, place fixed for the purpose shall also be specified) ; and
- (viii) the result of the election shall be declared.

(3) The election programme shall be published seven days before the date of filing of nomination papers by pasting a copy at the office of the Deputy Commissioner, Tehsil and Corporation and at such other conspicuous places in the Corporation as may be determined by the Deputy Commissioner in this behalf.

(4) The period for filing of nomination papers shall be three **working** days and the date of scrutiny shall be the next working day from the last date of filing of nomination papers. The date of withdrawal shall be the third **working** day from the date of scrutiny. The date for affixing the list of contesting candidates shall be the same as fixed for withdrawal of candidature. The list of polling stations shall be published **approximately one month before the date of poll or on a date as may be specified by the Commission**. The gap between the date of withdrawal and the date of poll shall atleast be fifteen days and the day of poll shall preferably be a Sunday or any gazetted holiday.

(5) The Commission may by an order amend, vary or modify the election programme:

Provided that unless the Commission otherwise directs, no such order shall be deemed to invalidate any proceedings taken before the date of the order.

34. Notice of election.- (1) The **Returning Officer** shall on the date on which the election programme is issued by the Commission under **rule 33**, shall affix a notice in **Form-19** at his office, and at the office of the Tehsil and the Corporation, and such other places as the **Returning Officer** may determine to -

- (a) invite nomination papers of candidates for election ;
- (b) fix the date, time and place for submitting the nomination papers;
- (c) specify the authority to whom nomination shall be submitted;
- (d) fix the date, time and place for the scrutiny of nomination papers ;
- (e) fix the date, time and place and authority for the receipt of notice of withdrawals;
- (f) fix the date, time and place for the allotment of symbols; and
- (g) fix the date and time of poll , if necessary.

Explanation.- The dates fixed under clauses (b), (d), (e) and (g) shall be the same as specified under **rule 33** in this behalf.

(2) For the purpose of election, the Commission, or **Returning Officer** may on payment of compensation to the owner or the person in possession or having control over it, requisition any premises, vehicle, vessel or animal and may, after the election, release it from the requisition;

Provided that where any premises, vehicle, vessel or animal, belonging to or owned by the State Government or its instrumentalities, is requisitioned the compensation payable there-for shall not exceed the amount as may be determined by the State Government from time to time.

35. Notification of symbol. - The Commission shall, by notification published in the Official Gazette, specify the symbols that may be allotted to the candidates at an election to the Corporation and may amend or vary the list of symbols from time to time.

36. Classification of symbols- (1) For the purpose of these rules symbols are either reserved or free.

(2) A reserved symbol is a symbol which is reserved for a recognized political party for exclusive allotment to contesting candidates set up by that party.

(3) A free symbol is symbol other than a reserved symbol.

37. Nomination of candidates for election.- (1) (a) Any person registered as a voter within the Corporation, may be nominated as a candidate **for the office of Mayor /Deputy Mayor** by another person, **who is a registered voter** in the Electoral roll of **the Corporation.**

(b) Any person registered as a voter within the Corporation, may be nominated as a candidate for the office of Councilor of a ward by another person, who is registered voter in the Electoral roll of that ward of the Corporation.

(2) The nomination paper in **Form-20** duly filled up and signed by the proposer and candidate shall be delivered to the authority specified under clause (c) of sub-rule(1) of **rule 34** by each candidate either in person or by his proposer between 11 A.M. and 3.00 P.M. on the date specified for the filing of nomination papers.

(3) In any ward/Corporation which is reserved for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the nomination paper shall not be treated as valid, unless it contains a declaration by the candidate specifying particular caste or tribe of which he is a member and the candidate submits a certificate issued by the competent authority authorized by the State Government, certifying that the candidate belongs to such **Scheduled** caste or **Scheduled** tribe, as the case may be.

(4) On the presentation of the nomination papers, the Returning Officer shall satisfy himself about the name and the serial number of the candidate and his proposer, as entered in the nomination paper are the same as those entered in the Electoral roll :

Provided that not more than three nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted **by the Returning Officer** for election in the same ward/Corporation:

Provided further that the Returning Officer shall permit any clerical or technical error in the nomination papers or to the said nomination papers in regard to the said names or numbers to be corrected in order to bring them in conformity with the corresponding entries in the Electoral roll and where necessary may direct that any clerical or printing error in the said entries be ignored.

38. Security deposits.- (1) A candidate shall not be deemed to have been nominated for election to a ward/Corporation unless he has deposited or caused to be deposited as security with the Returning Officer in cash against receipt the following sum of money:-

(a) in case of a Mayor/Deputy Mayor a sum of Rs. 5000/- , but where a candidate is woman or a member of Scheduled castes or Scheduled Tribes, a sum of Rs.3000/- ; and

(b) in case of Councillor a sum of *Rs. 3000/- but in case where a candidate is woman or a member of Scheduled castes or Scheduled Tribes, a sum of Rs. 2000/- :

Provided that where a candidate has been nominated by more than one nomination paper for election in the same ward/Corporation, not more than one deposit shall be required under this rule.

(2) If a candidate by whom or on whose behalf the security has been deposited, withdraws his candidature within the time specified in **rule 34** or if the nomination of any candidate is rejected the security deposit shall be refunded to the person by whom it was made or if such person is dead, to his legal representatives, after the date of declaration of result of election.

(3) If the contesting candidate is not elected and the number of valid votes polled in his favour are less than one sixth of the total number of valid votes polled, the security deposited shall be forfeited to the State Government.

(4) If the security deposited is not forfeited under **sub-rule (3)**, the same shall be refunded to the candidate by whom it was made or if he is dead, to his legal representatives, after the notification of the result of election is issued and published in the Official Gazette.

39. Notice of Nominations - The Returning Officer shall on receiving the nomination papers under **sub-rule(2) of rule 37** enter on the nomination papers its serial number and shall sign thereon a certificate stating the date on which and the hour at which, the nomination paper has been delivered to him. A notice of nominations in **Form-21** containing description similar to those contained in the nomination papers both of the candidate and his proposer shall be affixed in some conspicuous place in his office,

40. Scrutiny of nomination papers.- (1) On the date fixed for the scrutiny of nomination papers under **rule 34** the candidate and one other person duly authorized in writing by each candidate, may attend **process of scrutiny** and the Returning Officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination papers of all the candidates which have been **received by him** within the time and in the manner laid down in **rule 37**

(2) The Returning Officer shall examine the nomination papers and decide all objections which may be made to any nomination and may, either on such objection or on his own motion after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, reject any nomination on any of the following grounds, namely :-

(a) that on the date fixed for the scrutiny of nomination, the candidate either is not qualified or is disqualified for being chosen to fill the office under the provisions of these rules or the Act or any other law for the time being in force; or

- (b) that there has been a failure to comply with any of the provisions of **rule 37** or **rule 38**; or
- (c) that the signatures of the candidate or the proposer on the nomination paper are not genuine.

(3) Nothing contained in clause (b) or clause (c) of sub-rule (2) shall be deemed to authorize the rejection of **other nomination of the same candidate where such rejection is not warranted.**

(4) The Returning Officer shall hold the scrutiny on the date and time appointed in this behalf under clause (d) sub-rule (1) of **rule 34. The process of scrutiny once started shall not be adjourned,** except, when such proceedings are interrupted or obstructed by riots, open violence or by causes beyond the control of the Returning Officer :

Provided that in case an objection is raised by the **Returning Officer or is made by** the candidate or the person duly authorized in writing by the candidate, the candidate concerned may be allowed time to defer it not later than the **day next to the day of scrutiny** and the Returning Officer shall record his decision on the date to which the proceedings have been adjourned.

(5) The Returning Officer shall record on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, shall record in writing a brief statement of reasons for such rejection.

(6) For the purpose of this rule, an entry in the Electoral roll for the time being in force of a ward shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is a voter for that ward

(7) Immediately after all the nomination papers have been scrutinized and the decision accepting or rejecting the same have been recorded, the Returning Officer shall prepare in **Form 22** a list of validly nominated candidates that is to say, candidates whose nomination have been found valid and affix on the notice board at the office of the Returning Officer.

41. Withdrawal of candidature.- (1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing in **Form-23** subscribed by him and delivered to the Returning Officer or the Authority specified in this behalf under clause (e) of sub-rule (1) of **rule 34**, before 3 P.M. on the date specified in the said rule, and no person who has thus withdrawn his candidature shall be allowed to cancel the notice of such withdrawal.

(2) Upon receiving a notice of withdrawal of candidature, the Returning Officer or the specified authority shall cause a notice in Form-24 to this effect to be affixed in some conspicuous place in his office.

42. List of contesting candidates.- (1) On completion of the scrutiny of the nomination papers and after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under **rule 41**, the Returning Officer shall forthwith prepare a list of contesting candidates in Hindi in **Form-25** and cause it to be affixed on the notice board of his office and shall also supply a copy thereof, to each of the contesting candidates and on demand to his election agent.

(2) The said list shall contain in Hindi in Devnagari script the names in alphabetical order and the addresses of the contesting candidates as given in the nomination papers.

43. Allotment of symbols to candidates.-(1) After the list of contesting candidates is prepared , if the number of candidates is more than one, the Returning Officer shall, to every contesting candidate -

- (a) where such a candidate is set up by a political party at any election in ward/municipality allot the election symbol reserved for that party by the Election Commission of India; and
- (b) where such a candidate is not set up by a political party, allot the free symbol according to the serial number in the list of contesting candidates, and out of the approved free symbols, in accordance with the serial number of the free election symbols specified in notification under **rule 35**.
- (2) In every case where an election symbol has been assigned to a candidate under **sub-rule (1)** such candidate shall forthwith be informed of the election symbol so assigned and be supplied with a specimen there-of by the Returning Officer. In that event the list of contesting candidates shall also contain election symbol allotted to each candidate.

44. When a candidate shall be deemed to be set up by a political party :-

For the purpose of these rules, a candidate shall be deemed to be set up by a political party if, and only if -

- (a) the candidate has made a declaration to that effect in his nomination paper,
- (b) a notice in writing to that effect has not later than 3.00 P.M. on the last day of withdrawal of candidature been delivered to the Returning Officer and the said notice is signed by the President **or** the Secretary or any other office bearer of the party; **provided** the President **or** Secretary or such other office bearer is authorized by the party to send such a notice and the name and specimen signatures of such authorized office bearer are communicated to the Returning Officer and to the Secretary of Commission not later than 3.00 P.M on the last date for the withdrawal of candidature.

45. Appointment of Election Agent.- If a candidate desires to appoint an election agent, such appointment shall be made in **Form-26** either at the time of delivering the nomination paper or at any time before election.

46. Appointment of polling agent.-(1) The number of polling agents, that may be appointed by a candidate shall be one for each polling station.

(2) Every such appointment shall be made in **Form-27** and the same shall be made over to the polling agent for production at the polling station.

(3) No polling agent shall be admitted into the polling station unless he has delivered to the Presiding Officer the documents of his appointment under **sub-rule (2)** after duly completing and signing the declaration contained therein before the Presiding Officer.

47. Non-attendance of agent. - Where any act or thing is required or authorized by these rules to be done in the presence of agents, the non-attendance of any such agent or agents at the time and place appointed for the purpose shall not, invalidate the act or thing done.

48. Maximum election expenses and account thereof.- (1) The maximum limit of election expenditure to be incurred by a contesting candidate **or/and through his authorized agents shall not exceed.-**

(a) For Mayor/Deputy Mayor of Corporation : **Rs. 3.00**

Lac.

(b) For Councillor of Corporation : **Rs.1.00 lac**

(2) Every candidate contesting election from a ward Corporation shall keep an account of election expenditure in a register to be called the register of election expenditure in **Form-28**.

(3) The account under sub-rule (2) shall be maintained as per provision of section 13 A.

(4) The account shall be correctly **and truly** maintained in respect of each item of expenditure on day to day basis from the date of **filing of nomination papers up-to the date a day after the declaration of result**.

(5) All expenditure by the candidate or his authorized election agent on all the items of expenditure maintained in **Form-29** shall be included in the account as kept under sub- rule (2) of election expenditure.

(6) All documents such as vouchers, receipts, acknowledgements etc. in support of expenditure incurred and recorded in the register shall be maintained correctly.

(7) The day-to-day account maintained shall be made available for inspection at any time during the process of election to the Returning Officer or any other officer authorized by him **or the Commission**.

(8) Failure to submit the account of election expenses within the time and in the manner required by the Act and these rules or, to produce a true copy of the accounts of election expenditure on demand by an officer authorized to do so, shall be deemed to be a corrupt practice under section 21.

(9) A statement of account of the total election expenditure maintained shall be submitted to the **Returning Officer within ten days of declaration of the result**

(10) The statement of account shall be submitted in **Forms 29 and 30** alongwith an affidavit of the candidate in **Form- 31**

(11) On receipt of the statement of accounts, the **Returning Officer** shall issue an acknowledgement in **Form- 32**

CHAPTER-VII

GENERAL PROCEDURE OF ELECTION

49. Death of candidate before poll :- The poll shall be countermanded for the Corporation ward if any of its validly nominated and contesting candidate demises. On such **an occurrence**, the Returning Officer shall, upon being satisfied of fact of the death shall send a report to the Commission and proceedings with reference to the election shall be commenced afresh in all respects as if for a new election in accordance with these rules:

Provided that no further nomination shall be necessary in the case of a person who was already a validly nominated candidate or a contesting candidate, as the case may be, at the time of the countermanding of the poll.

50. Contested and un-contested elections.- (1) Subject to the provisions of **rule 49**, if there is only one contesting candidate in the field, the Returning

Officer shall forthwith declare such candidate duly elected to fill the office and issue a declaration in **Form-33**. If there is no contesting candidate in the field, the Returning Officer shall report the matter to the Commission with a view to take further action accordingly.

(2) If the number of contesting candidate in the field is more than one, a poll shall be taken on the date specified under **rule 34**.

51. Adjournment of poll in emergencies.- (1) If at an election the proceedings at any polling station are interrupted or obstructed, by riot or open violence, or if it is not possible to take the poll at that polling station on account of any natural calamity or any other sufficient cause, the Presiding Officer for such polling station, shall announce an adjournment of the poll for a date to be notified later and shall forthwith inform the Returning Officer.

(2) Where a poll is adjourned under sub-rule (1), the Returning Officer shall immediately report the circumstances to the Commission and to the Government and shall, as soon as may be, appoint the day on which the poll shall recommence and fix the polling station at which and the hours during which, the polling shall take place. The votes cast at such election shall not be counted until such adjourned poll is completed and the ballot box used at such polling station shall be sealed and kept in safe custody till the commencement of the counting.

(3) In all the cases under this rule, the Returning Officer shall affix a notice specifying the date, place and hours of polling fixed under sub-rule (2) at his office and in the office of the Corporation and the Tehsil concerned.

52. Fresh poll in the case of destruction etc. of the ballot box.- (1) If at any election any ballot box is unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer or is in any way tampered with, or is either accidentally or intentionally destroyed, lost or damaged, the polling at the polling station to which such ballot box relates shall be liable to be declared as void.

Explanation.- Damage to a ballot box also includes damage or destruction of ballot papers done at the time of counting of votes but before the completion of counting and declaration of result.

(2) Whenever the polling at any polling station becomes liable to be declared as void under sub-rule (1), the Presiding Officer shall, as soon as practicable after the act or event causing such damage or destruction, report the matter to the Returning Officer who in the event of his being so satisfied that in consequence thereof the result of the poll of that polling station can not be ascertained, declare the polling void and shall appoint a day taking the poll afresh at such polling station, and fix the hours during which the poll shall be taken and shall not count the votes cast at other polling stations of the ward until such fresh poll has been completed.

53. Restriction on contesting of election for more than one office of the Corporation.- No candidate shall contest election for more than one office of the Corporation at the same time.

54. Method of voting.-(1) At every election where a poll is **to be** taken votes shall be cast in person and given by ballot or electronic voting machine at the polling station fixed under **rule 30** and no votes shall be cast by proxy :

Provided that the giving and receiving of votes by electronic voting machine, in such manner as may be prescribed under the rules or the directions issued in this behalf, by the Commission, may be adopted in a ward or wards of a

Corporation as the Commission may specify.

(2) No voter shall vote in the election of the Corporation more than once **for each office** notwithstanding that his name may have been erroneously registered in the Electoral roll more than once.

55. Procedure on adjournment of poll.-(1) If the poll at any polling station is adjourned under **rule 51** the provisions of these rules with regard to poll shall apply to every such fresh poll as they apply to the original poll.

(2) When an adjourned poll is recommend under **sub-rule (2) of rule 51**, the voter who has already voted at the poll so adjourned shall not be allowed to vote again.

(3) The Returning Officer shall provide the Presiding Officer of the polling station at which such adjourned poll is to be held with the sealed packets containing the marked copy of the Electoral roll and required number of ballot papers and a new ballot box.

(4) The Presiding Officer shall open the sealed packet in the presence of such candidates or their agents as may be present and use the same for the conduct of adjourned poll.

56. Ballot box and paper seal.- (1) Every ballot box and paper seal to be used at an election shall be of such design as may be used at any election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh or as may be approved by the Commission.

(2) A paper seal shall be used for securing a ballot box and the Presiding Officer shall affix his own signature and obtain thereon the signatures of the candidates or of such of the polling agents as are present and desirous of affixing the same. The paper seal shall be of such design as may be specified by the Commission and proper record of paper seal used or unused shall be maintained in **Form-34**.

(3) The Presiding Officer shall thereafter fix the paper seal in the space meant therefor in the ballot box and shall then secure and seal the box in such a manner that the slit for insertion of ballot paper therein remains open.

(4) Every ballot box used at a polling station shall bear labels, both inside and outside and marked with -

- (a) the serial number and the name of the ward;
- (b) the serial number and the name of polling station;.
- (c) the serial number of the ballot box (to be filled in at the end of the label on the outside of the ballot box only); and
- (d) the date of poll.

(5) Immediately before the commencement of the poll, the Presiding Officer shall demonstrate to the candidates and polling agents and other persons present that the ballot box is empty and bears the labels referred to in sub-rule (4).

(6) The ballot box shall then be closed, sealed and secured and placed in full view of the Presiding Officer, the candidates and the polling agents.

57. Facilities for women voters in the elections.- (1) Where a Polling Station is for both men and women voters, the Presiding Officer may direct that they shall be admitted in the polling station alternatively.

(2) The Presiding Officer may appoint a woman to serve as an attendant at any polling station to assist women voters and the Presiding Officer in taking the poll and in particular to help in searching the name of any woman voter in case it becomes necessary.

58. Form of ballot papers.- (1) Every ballot paper alongwith its counterfoil shall be in **Form-35** and the particulars therein shall be in Hindi in Devnagri script.

(2) The names of the candidates shall be arranged on the ballot paper in the same order in which they appear in the list of contesting candidates prepared under **rule 42**. The-ballot papers shall be printed in the design/colour as specified by the Commission.

59. Arrangement at Polling Station.-(1) Outside each polling station there shall be displayed prominently -

(a) a notice specifying the polling area the voters of which are entitled to vote at the polling station or where polling station has more than one polling booths, at each one of such booths or the description of the voter allotted to any such booth; and

(b) another notice in Hindi in Devnagri script containing the list of contesting candidates prepared under **rule 42**, alongwith the symbols allotted under **rule 43**.

(2) At each polling station there shall be set up one or more compartments in which voters can record their votes in secrecy.

(3) The Returning Officer shall provide at each polling station required number of ballot boxes, copies of title relevant part of electoral roll, the ballot papers, and other articles necessary for the conduct of poll.

60. Commencement of poll.- The Presiding Officer shall start the poll exact at the time mentioned in notice of election and before commencement of the poll, he shall bring to the notice of all, who are present, the provisions of section 22 the provisions of this section are as under:-

“22 Maintenance of secrecy of voting :- (1) Every Officer or Official, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain and aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-rule (1), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.”.

61. Admission to polling station. - The Presiding Officer shall regulate the number of voters to be admitted, at anyone time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than -

- (a) Polling Officer;
- (b) Candidates and their agents;
- (c) Returning Officer or such other persons as may be authorized by him;

- (d) Public servants **appointed** on duty in connection with the election **by the election authority**;
- (e) A child in arms accompanying a woman voter and a companion accompanying blind or infirm voter who cannot move without help;
- (f) Such other person as the Presiding Officer may employ under **sub-rule (2) of rule 57, sub-rule (1) of rule 62**; and
- (g) State Election Commissioner or such other persons as may be authorized by him.

62. Identification of voters.- (1) The Presiding Officer may employ at the polling station such **number** of persons as he thinks fit to help him in the identification of voters and to assist him in taking the poll.

(2) As each voter enters the polling station, the Presiding Officer, or the Polling Officer authorized by him in this behalf shall check the voter's name and the other particulars with the relevant entries in the Electoral roll and then call out the serial number, name and other particulars of the voter.

(3) In deciding the right of a person to obtain a ballot paper, the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, shall overlook merely clerical or printing errors in an entry in the Electoral roll, if he is satisfied that such person is identical with the voter to whom such entry relates.

63. Persons entitled to vote by post - Subject to their fulfilling the requirements herein after specified, the persons who are voters and are on election duty shall be entitled to vote by post at an election in a ward of the Corporation..

64. Intimation by voters on election duty : (1) A voter on election duty who wishes to vote by post at an election shall send an application in Form-36 to the Returning Officer so as to reach him atleast seven days or such shorter period as the Returning Officer may allow before the date of the poll, and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is a voter on election duty, he shall issue a postal ballot paper to him for the election of Councillor or Election Duty Certificate (EDC) for the election of Mayor/Deputy Mayor in Form-38.

(2) Where a person being a Polling Officer, Presiding Officer or other public servant on poll duty in the ward of which he is an elector, wishes to vote in person at an election in a Corporation/ward and not by post, he shall send an application in **Form 37** to the Returning Officer so as to reach him at least four days, or such shorter period as the Returning Officer may allow, before the date of poll; and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is a public servant and voter on poll duty in the ward, he shall issue to the applicant a election duty certificate in **Form -38**.

(a) Where Election Duty Certificate has been issued to an elector under sub-rule(1) and (2) the Returning Officer shall mark "EDC" against his name in the marked copy of the Electoral roll to indicate that an election duty certificate has been issued to him; and

(c) ensure that he is not allowed to vote at the polling station where he would otherwise have been entitled to vote.

65. Facilities for persons on election duty - (1) The provisions of **rule 62** shall not apply to any person who produces at the polling station, an election duty certificate in **Form-38** and asks for the issue of a ballot paper to him although the polling station is different from the one where he is entitled to vote.

(2) On production of such certificate the Presiding Officer shall -

- (a) obtain thereon the signatures of the person producing it;
- (b) have the person's name and Electoral roll number as mentioned in the certificate entered at the end of marked copy of the Electoral roll; and
- (c) issue to him a ballot paper, and permit him to vote in the same manner as for an elector entitled to vote at that polling station.

66. Procedure for preventing impersonation of voters.- (1) Subject to the other provisions of this rule every voter to whom a ballot paper has to be supplied for the purpose of voting at a polling station shall before receiving such ballot paper, allow -

- (a) the inspection of his left forefinger to the Presiding Officer and any Polling Officer; and
- (b) an indelible ink mark to be put on his left forefinger.

(2) If any person refuses to allow such inspection of his left forefinger; or persists in doing any act with a view to removing such mark after it has been put, he shall not be entitled to be supplied with any ballot paper or to record his vote at the election.

(3) No person, who already has a mark on his forefinger, shall be supplied with any ballot paper and if any such person still persists for the supply of a ballot paper he shall be liable to be arrested and prosecuted for impersonation.

(4) Any reference in this rule to the left forefinger of voter shall, where the voter has his left **forefinger** missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand, and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all the fingers of his both hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

67. Voting Procedure.- (1) The voter on entering the polling station shall first allow his left forefinger to be inspected by a Polling Officer for the purpose of ascertaining if he has any mark of indelible ink on that finger, if there is no such mark, the Polling Officer-in-charge of the poll, shall ascertain the voter's name and address and such other particulars as appear on the Electoral roll and after having satisfied himself about the identity of the voter, the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, shall put indelible ink mark to his left forefinger and then he shall be supplied with a ballot paper. The Presiding Officer or the Polling Officers, as the case may be, shall before the delivery of the ballot paper to the voter enter the serial number of the voter from the marked copy of the Electoral roll in the counterfoil of the ballot paper and obtain his signatures.

(2) Every ballot paper shall, before issue to voter, be stamped with such distinguishing mark on its back as the Commission may direct.

(3) Save as provided in sub-rule (1) no person in the polling station shall note down the serial number of the ballot paper(s) issued to particular voter.

(4) At any time before a ballot paper is delivered to a voter, the Presiding Officer or a Polling Officer may of his own accord, if he has reason to doubt the

identity of the voter or his right to vote at the polling station or be so required by a candidate or his polling agent, put to the voter the following question, namely :-

- (a) Are you the person enrolled as follows (reading the whole entry relating to the voter from the Electoral roll)?
- (b) Have you already voted at the present election?
- (c) Such other questions as he may deem fit or necessary and the voter shall not be supplied with a ballot paper unless he answers the first question in the affirmative and the second question in the negative or he refuses to answer any other question put to him in pursuance of this rule.

- (5) The voter on receiving the ballot paper shall forthwith-
 - (a) proceed to the voting compartment;
 - (b) make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote;
 - (c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;
 - (d) if so required, show to the Presiding Officer the distinguishing mark on the ballot paper;
 - (e) insert the folded ballot paper into the ballot box; and
 - (f) quit the polling station.

(6) Every voter shall vote without undue delay.

(7) No voter shall be allowed to enter a compartment when another voter is inside it.

68. Recording of votes of blind or infirm voters. - (1) If the Presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmity, voter is unable to recognize the symbols on the ballot paper or to make mark thereon without assistance, the Presiding Officer shall permit the voter to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on the ballot paper on his behalf in accordance with his wishes, and, if necessary, for folding the ballot paper so as to conceal the vote and insert it into the ballot box:

Provided that no person shall be permitted to act as a companion of more than one voter at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of voter on any day under this rule, the person shall be required to declare in **Form-39** that he shall keep secret the vote recorded by him on behalf of the voter and that he has not already acted as the companion of any other voter at any polling station on that day.

(2) The Presiding Officer shall keep in **Form-40** record of all cases under this rule

69. Spoilt and returned Ballot papers.- (1) A voter who has inadvertently dealt with his ballot paper in such a manner that it can not be conveniently used as a ballot paper, may, on returning it to the Presiding Officer and on satisfying himself of the inadvertence, be given another ballot paper and the ballot paper so returned shall be marked by the Presiding Officer as "**cancelled being Spoilt**".

(2) If a voter after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the Presiding Officer and the ballot paper so returned shall be marked as "**Returned Cancelled**" by the Presiding Officer.

(3) All ballot papers cancelled under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be kept in a separate packet.

70. Tendered votes.- (1) If a person representing himself to be a particular voter applies for a ballot paper after another person has already voted as such voter, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the Presiding Officer may ask be entitled subject to the following provisions of this rule to mark a ballot paper (hereinafter in these rules referred to as "**Tendered Ballot Papers**") in the same manner as any other voter.

(2) Every such person shall before being supplied with a Tendered Ballot Paper, put his signature against the entry relating to him in the list in **Form-41**.

(3) A Tendered Ballot Paper shall be the same as other ballot papers used at the polling, except that it shall be –

- (a) serially the last in the bundle of ballot papers issued for use at the polling station; and
- (b) endorsed on the back with words "**Tendered Ballot Papers**" by the Presiding Officer at his own and signed by him.

(4) The voter, after marking Tendered Ballot Paper in the voting compartment and folding it, shall, instead of putting it into the ballot box give it to the Presiding Officer, who shall place it in a cover specially kept for the purpose.

71. Challenged votes.- (1) If a candidate or his agent declares and undertakes to prove that any person, by applying for ballot paper has committed the offence of impersonation, the Presiding Officer, may require such person to state his name and address and shall then enter such name and address in the list of Challenged Votes in **Form-42**, and shall require such person to sign such entry or, if he is unable to write, to affix, his thumb impression thereto and the Presiding Officer shall sign his name across such impression and may further require such person to produce evidence of identification:

Provided that no action shall be taken by the Presiding Officer under this sub-rule unless a sum of **Rs.20/-** has been deposited in cash with the Presiding Officer by the candidate or such agent for each challenge he makes.

(2) If the person, so challenged, refuses to comply with such requisition he shall not be permitted **to vote** but if such person complies with the same and on being questioned in the manner provided in **rule 67** answers the first question in affirmative and the second question in the negative and replies satisfactorily to any other question put to him in pursuance of that rule, and if having been required to produce evidence of identification, he produces evidence, which the Presiding Officer considers satisfactory, shall be allowed to vote after he has been informed of the penalty for impersonation.

(3) If the Presiding Officer after such inquiry on the spot as he thinks necessary, is satisfied that the challenge made by the candidate or his polling agent under sub-rule (1) is frivolous and has not been made in good faith, he shall direct the deposit made under sub-rule (1) to be forfeited to the

Government and his order in this respect shall be final.

(4) If the deposit made under sub-rule (1) is not forfeited under sub-rule (3), it shall be returned to the person by whom it was made after the close of the poll on the day on which it is made.

(5) The Presiding Officer shall in every case, whether or not the person challenged is allowed to vote make a note of the circumstances in the list of challenged votes in **Form-42**

72. Closing of Poll.- (1) The Presiding Officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf and shall not admit there-to any voter after that hour :

Provided that all the voters present within the polling station before it is closed shall be entitled to cast votes.

(2) Any question that may arise as to whether voter shall for the purpose of the provision of sub-rule (1), be allowed to be present within the polling station before it is closed, shall be decided by the Presiding Officer, whose decision shall be final.

73. Sealing of ballot box after poll.- (1) As soon as practicable after the closing of the poll the Presiding Officer shall close the slit of the ballot box, seal it and allow any desirous polling agent to affix his own seal. The ballot box shall thereafter be sealed and secured properly.

(2) Where it becomes necessary to use a second ballot box by reason of the first ballot box getting full, the first box shall be closed, sealed and secured as provided in sub-rule (1) before another ballot box is put into use.

74. Account of ballot papers.- The Presiding Officer shall at the close of the poll prepare a ballot paper account in **Form-43** and enclose it in a separate cover with the words "**Ballot Papers Account**" subscribed thereon.

75. Sealing of other packets.- (1) The Presiding Officer shall then make into the separate packets-

- (a) the counterfoils of used ballot papers;
- (b) the marked copy of the Electoral roll;
- (c) the un-used ballot papers;
- (d) the cancelled ballot papers;
- (e) the cover containing the Tendered Ballot Papers and the list in **Form-41**;
- (f) the list of challenged votes in **Form-42**;
- (g) paper seal account in **Form-34**; and
- (h) any other papers directed by the Returning Officer to be kept in a sealed packet.

(2) Each such packet shall be sealed with the seal of the Presiding Officer and those agents present who may desire to affix their seal thereon.

76. Transmission of Ballot boxes etc. to the Returning Officer.- (1) The

Presiding Officer shall then deliver or cause to be delivered to the Returning Officer at such place as the Returning Officer may direct –

- (a) the ballot boxes as referred to in **rule 73**;
- (b) the ballot paper account as referred to in **rule 74**;
- (c) the sealed packets as referred to in **rule 75**; and
- (d) all other papers used at the poll.

(2) The Returning Officer shall make adequate arrangements for their safe custody until the commencement of the counting of votes.

CHAPTER -VIII

COUNTING OF VOTES AND DECLARATION OF RESULTS

77. Admission to the place of counting.-(1) The Returning Officer shall exclude from the place fixed for the counting of votes under **rule 33** a person, except -

- (a) such Government servants as he may appoint to assist him in the counting;
- (b) every candidate and his counting agents;
- (c) public servants on duty; and
- (d) the State Election Commissioner or any other person authorized by **the Commission**.

(2) Any person, who during the counting of votes mis-conducts or fails to obey the lawful directions of the Returning Officer may be removed from that place where the votes are being counted.

(3) The number of counting agents of candidates shall not exceed the number of counting tables, fixed for the counting of votes of the ward/Municipal Corporation plus one more for the table of the Returning Officer.

(4) Every appointment of counting agent(s) shall be made in **Form-45** in duplicate, one copy of which shall be forwarded to the Returning Officer while the other copy shall be made over to the counting agent for production before the Returning Officer at the time of counting.

78. Scrutiny and opening of ballot boxes.- (1) The Returning Officer shall on the date and at the time and place fixed under **rule 33** before commencement of the counting, read out the provisions of section 22 to such persons as may be present.

(2) He shall then deal with the ballot boxes in the following manner, namely :-

- (a) all the ballot boxes used at a polling station shall be opened at the same time;
- (b) before any box is opened at the counting table the candidates or their agents shall be allowed to inspect the paper seal or other seals, as have been fixed thereon and to satisfy themselves that the same are intact;
- (c) the Returning Officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes

has in fact been tampered with; and

- (d) if the Returning Officer is satisfied that any ballot box has in fact been tampered with, he shall not count the ballot papers of that box and shall follow the procedure laid down in **rule 52** in respect of that polling station.

79. Scrutiny and rejection of ballot paper.- (1) The ballot papers taken out of each ballot box shall be arranged in convenient bundles and scrutinized.

(2) The Returning Officer shall reject a ballot paper-

- (a) if votes are given on it in favour of more than one candidate; or
- (b) if it bears any mark or writing by which the voter can be identified; or
- (c) if no vote is recorded thereon; or
- (d) if the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which candidate, the vote has been given; or
- (e) if it is spurious ballot paper; or
- (f) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
- (g) if it bears a different serial number, or is different from design of the Ballot paper authorized for use at the polling station; or
- (h) if it does not bear the mark which it should have borne under the provisions of **sub-rule (2) of rule 67**:

Provided that where the Returning Officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clauses (g) and (h) has been caused by any mistake or failure on the part of a Presiding Officer or Polling Officer, the ballot paper shall not be rejected merely on the ground of such defect:

Provided further that a ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is distinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the ballot paper is marked.

(3) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (2) the Returning Officer shall allow each counting agent present reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot papers.

(4) The Returning Officer shall record on every ballot paper which he rejects, the letter 'R' and the ground of rejection either in his own hand or by means of rubber stamp.

(5) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.

80. Counting of votes and declaration of results- (1) Every ballot paper, which is not rejected under **rule 79** shall be deemed to be valid and shall be counted after being sorted out candidate-wise:

Provided that no packet containing tendered ballot paper shall be opened out and no such paper shall be counted.

(2) The Returning Officer shall as far as practicable, proceed continuously with the counting and shall, during any interval when the counting has to be suspended, keep the ballot papers, packets and all other papers relating to the

election sealed with his own seal and the seals of such candidates or election agents or the counting agents who may desire to affix their seals and shall take sufficient precautions for their safe custody during such intervals.

(3) The ballot papers taken out of each box shall be mixed-up with other ballot papers taken out of other ballot boxes concerning the same office and after that shall be sorted out separately for each office. The ballot papers for the councillor of the Corporation shall be retained on the same table and ballot papers for the office of Mayor and Deputy Mayor shall be passed on without counting them to the Returning Officer for their counting at later stage. The result of councillors of Corporation shall be declared on **Form 46** after preparing the result sheet on **Form 47**. After the declaration of result of all the councillors of the Corporation, the counting for the offices of Mayor and Deputy Mayor shall be taken and result shall be declared on **Form-48** after preparing result sheet on **Form 49**:

Provided that before declaring the result on **Forms 46 or 48**, as the case may be, and after the counting of all valid votes of polling station has been completed, the Returning Officer who have made the entries on a result sheet in **Forms 47 or 49** as applicable and announce the particulars. After such announcement has been made, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agents may apply in writing to the Returning Officer to recount the votes either wholly or in part stating the grounds on which he demands such recount. On such an application being made the Returning Officer shall decide the matter and may allow the application ;in whole or in part or may reject it into if it appears to him to be frivolous or unreasonable. Every decision of the Retuning Officer on such application shall be in writing and contain the reasons therefor.

(4) Immediately after declaration of result the Returning Officer shall paste a copy of Return of election in a conspicuous place at his office and send the same to the Commission and the Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh, as the case may be, for publication in the Official Gazette of the Government as required under **section 13**.

(5) All valid ballot papers shall thereafter be bundled candidate-wise together and kept alongwith the bundle of rejected ballot papers in a separate packet, which shall be sealed and on which shall be recorded the following particulars, namely :

- (a) the name of the ward/ Corporation;
- (b) the particulars of the polling station where the ballot papers have been used ; and
- (c) the date of counting.

(6) When counting of votes have been completed and the result has been declared the Returning Officer shall prepare a return in **Form 43 Part-II** and forthwith paste a copy of the same in a conspicuous place in his office. The Returning Officer, after the date of election shall notify the names of elected candidates together with the name of candidate, if any, deemed to have been elected under the provisions or rule 50 and send a copy of the same to the Commission for publication in the Official Gazette of the State Government and one copy of the return prepared in **Form 44** shall be sent to the Commission, immediately, after declaration of the result.

81. Administration of oath to the elected Councilors/Mayor/Dy. Mayor

(1) After the results of elections of Councilors/Mayor/Deputy Mayor have been declared under **rule 80**, the Director, Urban Development shall fix a date and time for making an oath or subscribing an allegiance to the Constitution of India to the elected Councilors/Mayor/Deputy Mayor of the Corporation under

sections 33 by issuing notice in writing to the newly elected Councilors/Mayor/Deputy Mayor giving **three days** time for the first meeting, provided that such notice shall be delivered to the elected Councilors/Mayor/Deputy Mayor atleast 48 clear hours before such meeting. This meeting shall be held at the office of the Corporation,

(2) **On the date and time fixed under sub-rule (1), the Director, Urban Development shall call each elected Councilors/Mayor/Deputy Mayor to make an oath or subscribe an affirmation of allegiance of the Constitution of India.**

82. Commencement of counting after fresh poll.- (1) If a fresh poll is held under **rule 52**, the Returning Officer shall, after completion of that poll, recommence the counting of votes on the date and time and place which has been fixed by **the Commission** in that behalf and of which notice, has previously been given to the candidates and their agents.

(2) The provisions of **rules 79 and 80** shall apply to such further counting.

83. Procedure in case of tie.- If after the counting of votes, tie is found to exist between any two candidates, and the addition of one vote entitles any of those candidates to be declared elected that shall forthwith be decided between those candidates by lot, and the candidate on whom the lot falls shall be considered to have received an additional vote and shall be declared to be duly elected.

84. Custody of papers relating to elections.- The Returning Officer shall retain the packets of the counter foils of used ballot papers, the packets of unused ballot papers, the packets of used ballot papers valid, tendered or rejected and all other papers relating to the elections in safe custody either in his own office or at such other place as he may specify in writing until the expiry of **three months** from the date of publication of the result of election.

85. Production and inspection of election papers :- (1) While in the custody of the Returning Officer

- (a) the packets of counterfoils of used ballot papers;
- (b) the packets of unused ballot papers;
- (c) the packets of used ballot papers; and
- (d) the packets of marked copies of the electoral roll shall not be opened and their contents shall not be inspected by, or produced before, any person or authority except under the orders of the competent court or of the officer authorized under **section 14**.

(2) All other papers relating to the election shall be opened to public inspection and any person may apply for such an inspection or supply of certified copies thereof on payment of a fee at the same rate as is charged in Himachal Pradesh for the inspection of documents forming part of a record of a dealt with by a Revenue Officer, or for supply of a copy of an order by Revenue Officer, as the case be, and such copies shall be supplied in accordance with the procedure to be followed for a similar application in respect of case dealt with by a Revenue Officer.

86. Disposal of election papers.- Subject to any direction to the contrary given by **the State Government or by the Commission** or by a competent court or by an authorized Officer under section 14, the packets and other

papers referred to in **rules 68,69,75,84 and 85 shall be retained for a period of 90 days from the date of publication of results in the Official Gazette and shall thereafter be destroyed**".

Provided that if an election petition is pending, the packets and other papers referred to in this rule shall not be disposed of unless the petition is finally decided.

87.Casual vacancies in the Corporation.-When a vacancy occurs among the Mayor/Deputy Mayor/Councillors of a Corporation by death, resignation or removal of any Mayor/Deputy Mayor/Councillors and a new /Mayor/Deputy Mayor/Councillors shall be elected in his place in accordance with the provisions of sub-section (1) of **section 12**, and such election shall be conducted in the manner as specified in these rules for a general election and the programme of the election shall be framed as soon as may be convenient after occurrence of the vacancy.

88. Interpretation of rules.- If any question arises regarding the interpretation of these rules, otherwise than in connection with an election petition, which has actually been presented, shall be referred to the Commission, whose decision thereon shall be final.

CHAPTER-IX

ELECTION PETITIONS AND APPEALS

89. Presentation of petition.- (1) The election petition under section 14 shall be presented to the Divisional Commissioner, under whose territorial jurisdiction the Corporation is situated.

(2) The petitioner shall enclose with the petition copies of the petition and its enclosures equal to the number of respondents.

(3)The affidavit referred to in the proviso to **sub-section (1) of section 14** shall be in **Form-50** and shall be sworn in before a Magistrate.

90.Security deposit to be made with the petition.- At the time of presentation of an election petition, the petitioner shall deposit a sum of **Rs. 3000/- (three thousand Rupees)** as security money in the Government Treasury or Sub-Treasury under the appropriate head of account in the name of Authorized Officer to whom the petition is presented or caused to be presented.

91. Withdrawal of petitions.- (1) An election petition may be withdrawn by the petitioner only after the permission of the Divisional Commissioner to whom the petition is presented.

(2) When an application for withdrawal is made, a notice thereof fixing a date for the hearing of the application shall be given to all other parties to the petition.

(3) No application for withdrawal shall be allowed, if, in the opinion of the Divisional Commissioner to whom the petition is presented. Such an application has been induced by bargain or consideration.

(4) If the application for withdrawal is allowed, the Divisional Commissioner to whom the petition is presented shall pass an order with regard to **refund or forfeiture of** security deposit:

Provided that where the application of withdrawal is allowed by the Divisional Commissioner, a copy of the order shall be sent to the Director, Urban Development, Himachal Pradesh.

92. Place and Procedure of enquiry.- (1) The place of enquiry shall be headquarters of the Divisional Commissioner concerned to whom the petition is made or transferred:

Provided that the Divisional Commissioner to whom the petition is made or transferred, as the case may be, may on being satisfied that Special circumstances exist rendering it desirable that the enquiry should be held elsewhere, fix some other convenient place for this purpose.

(2) The public shall have free access to the place where enquiry into the election petition may be held.

(3) Notice of the time and place of enquiry shall be given to the parties not less than seven days before the first date of hearing.

93. Communication of orders on petition .- The Divisional Commissioner to whom the election petition is made or transferred, as the case may be, shall after conclusion of the election petition, send a copy of the order to the Commission and to the Director, Urban Development, Himachal Pradesh as soon as possible.

94. Procedure in presentation of appeal :- (1) Any person aggrieved by an order made by the Divisional Commissioner under **section 18** may within a period of thirty days make an appeal to the Financial Commissioner (Appeal) Government of Himachal Pradesh under **sub-section (3) of section 20:**

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of said period of **thirty days**, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) In computing the period of limitation for filing an appeal under the Act, the period spent in obtaining a copy of the order shall be excluded.

(3) Every appeal preferred, under sub-rule (1), shall be presented in the form of a memorandum by the appellant or his duly authorized agent and shall be accompanied by a Treasury Challan evidencing the deposit of a sum of **Rs.3000/-** as fee in the Government Treasury or Sub-Treasury under the appropriate head of account in the name of appellate authority to whom the appeal is presented. The memorandum shall set-forth concisely the grounds of objections to the order appealed from and shall be accompanied by a copy of such order.

(4) On receipt of an appeal under sub-rule (1) the appellate authority may, after calling for record from the Divisional Commissioner, against whose decision the appeal has been preferred and giving opportunity, to the parties of being heard and after making such further enquiry, if any, as may be necessary pass such orders as it thinks fit and the order of the appellate authority shall be final.

(5) A copy of the order passed in appeal shall be sent to the Commission and to the State Government.

95. Abatement of appeal:- If before the decision of the appeal, the appellant or respondent dies, the appeal shall abate, the appellate authority shall cause notice of such event sent to the State Government.

CHAPTER-X

MISCELLANEOUS

96. Penalty for disobedience of certain orders and for contravention of rules.- If any person contravenes any orders issued by an officer appointed under the Act or contravenes the provisions of these rules shall be punishable under the Central Civil Services (Conduct Rules), 1964 or in accordance with the relevant law and practice for time being in force for such purpose.

97.Repeal and savings- (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation Elections Rules, 1996, Himachal Pradesh Municipal Corporation(Delimitation and Reservation of wards) Rules, 1995 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Reservation and Elections to the office of the Mayor and Deputy Mayor) Rules,1996, are hereby repealed, provided that.-

(a) such repeal shall not affect the previous operation of the said rules, notifications and orders or anything done or any action taken thereunder; and

(b) any proceedings under the said rules, notifications or orders pending at the commencement of these rules shall be continued and disposed of as far as may be, in accordance with the provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall operate to deprive any person, to whom these rules apply, of any right of appeal which has accrued to him under the rules, notifications or orders repealed under sub-rule (1) in respect of any order passed before the commencement of these rules.

(3) A petition pending at or preferred after the commencement of these rules against an order made before such a commencement shall be considered and order thereon shall be passed in accordance with rules.

NOTICE OF PUBLICATION OF ELECTORAL ROLL

To

The voters of ward No. _____ of Municipal Corporation of _____ District, Himachal; Pradesh.

Notice is hereby given that the electoral roll has been prepared in accordance with the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 and copy thereof is available during office hours for inspection at my office and in the office of the Municipal Corporation and at the office of the Tehsildar.

If there be any claim for the inclusion of a name in the electoral roll or any objection to the inclusion of a name or any objection to particulars in any entry, it should be lodged in or before (date) in Form 4,5, and 6 as may be appropriate.

Every such claim or objection should be addressed to the _____ (full address) Revising Authority and should either be presented in person or through agent or sent by the registered post so to reach him not later than the aforesaid date.

(Municipal

Corporation)
Place:
date:

Form-4
(See rules 20 (1) and 26)
CLAIM APPLICATION FOR INCLUSION OF NAME

To

**The Revising Authority/Electoral Registration Officer,
(Municipal Corporation).**

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the _____ ward relating to _____ Municipal Corporation.

Name (in full) _____

Father's/ Mother's/ Husband's Name _____

Particulars of place of residence are:

House No. _____ Street/Mohalla Village _____ Post office _____ Tehsil.....District.....

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief that -

- (i) I am a citizen of India.
- (ii) My age on i.e. date notified by the State Election Commission under clause (e) of rule 16 (1) was _____ years _____ months.
- (iii) I am an ordinary resident at the address given above.
- (iv) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other ward of the Corporation.
- (v) My name has not been included in the electoral roll for any ward of the above mentioned Municipal Corporation or municipality constituted under the H.P. Municipal Act, 1994 or Gram Sabha constituted under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, as the case may be. **OR**

That my name has been included in the electoral roll for the _____ ward under the address mentioned below and I request that the same may be excluded from the electoral roll.

Signature/thumb-impression of
claimant.
(full postal address).

I further declare that the facts submitted by me herein above are true and I also know that any person who makes a statement of declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable in accordance with the law in force.

**Signature/thumb-impression of
claimant.**

Place:

Date:

I am a voter included in the electoral roll of the same part in which the claimant has applied for inclusion viz. part No.....; relating to..... my serial No. therein is I support this claim and countersign it.

**Signature/thumb-impression of
elector supporting claim.**
(full postal address).

.....

Form-5
[See rule 20(1)]

OBEJECTION TO INCLUSION OF NAME

To

The Revising Authority,
_____ **ward.**

Sir,

I object the inclusion of the name ofat serial No.
in the electoral rollward relating to..... Municipal
Corporation for the following reasons:

.....
.....
.....

I hereby declare that the facts mentioned above are true to the best of
my knowledge and belief and that my name has been included in the electoral roll for
this ward as follows:-

Name.....(in full)
Father/Mother/Husband's name.....
Serial No.....

No. and name of the ward.....relating
to.....Municipal Corporation.

Signature/thumb-impression of objector.
(full postal address).

.....
.....

I am a voter included in the same electoral roll in which the name
objected stand appears, viz. No. and name of the ward relating to
Municipal Corporation. My Sr. No. there in is I support this objection
and countersign it.

Counter Signature/thumb-impression of
the elector supporting objection.
(full postal address).

.....
.....

Note:- Any person who makes a statement of declaration which is false and which he
either knows or believes to be false or does not believe to be true shall be punishable
in accordance with the law in force.

Form-6
(See rules 20 (1) and 25)

OBEJECTION TO PARTICULAR IN ANY ENTRY

To

The Revising Authority/Electoral Registration Officer,
_____ward.
Municipal Corporation_____.

Sir,

I submit that the entry relating to myself which appears at Sr. No. in the roll ward relating toMunicipal Corporation as is incorrect. It should be corrected to read as follows:-

.....
.....

Signature/thumb-impression of claimant.

(full postal address).

.....
.....

Place:

Date

Form-7
(See rules 20 (4),(5) and rule 22)
REGISTER OF CLAIM FOR INCLUSION OF NAME

.....Municipal Corporation.....ward

Sr. No.	Name of claimant	Father's name and address	Date of presentation of claim	Date of decision with note in the presence of the parties	Decision		Signature of revising authority	Signature of official by whom effect was given to the revising authority and date
					Admitted	Rejected		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form-8
(See rules 20 (4) and (5) and rule 22)
REGISTER OF OBJECTION TO INCLUSION OF NAMES

.....Municipal Corporation.....ward

Sr. No.	Person objection to		Father/husband's name and address of the objector	Sr. No. of the objector in the roll	Date of presentation of objection.
	Under name of	With Sr. No. in the roll			
1	2	3	4	5	6

Dated of decision with note as to presence of parties	Decision		Signature of revising authority	Signature of official by whom effect was given to the decision of revision authority and date
	Admitted	Rejected		
7	8	9	10	11

FORM-9
(See rules 20 (4) and (5) and rule 22)
REGISTER OF OBJECTION TO THE PARTICULARS IN AN ENTRY

.....Municipal Corporation.....ward

Sr. No.	Name of the objector	Date of presentation of objection	Particular as existed in the roll	Correct particulars as requested by objector
1	2	3	4	5

Decision		Signature of the revising authority	Signature of official by whom effect was given to the decision of revision authority and date
Admitted	Rejected		
6	7	8	9

FORM-10
[See rules 21 (1)]
LIST OF CLAIMS
.....Municipal Corporation.....ward

Date of receipt	Sr. No.	Name of claimant	Name of Father/husband/mot her	Address	Date, time & place of hearing
1	2	3	4	5	6

Signature of Revising Authority

FORM-11
[See rules 21 (1)]
LIST OF OBJECTIONS TO INCLUSION OF NAMES

.....Municipal Corporation.....ward

Date of receipt	Sr. No.	Full name of objector	Particulars of name objected to		Objection in brief	Date, time and place of hearing
			Sr. No. entry	Name in full		
1	2	3	4	5	6	7

Signature of Revising Authority

FORM-12
[(See rules 21 (1)]
LIST OF OBJECTION TO PARTICULARS IN ENTRIES

.....Municipal Corporation.....ward

Date of receipt	Sr. No.	Full name of objector	Part No. and Sr. No. of entry	Nature of objection	Date, time and place of hearing
1	2	3	4	5	6

Signature of Revising Authority

FORM-13.
[See rule 21(2)]
NOTICE OF HEARING OF CLAIM

To

.....
.....
.....

(Full name and address of claimant)

Reference No.....

Your claim for the inclusion of your name in the electoral roll will be heard at.....(Place)at.....O'clock on the.....day of.....201 .

You are requested to present personally or through your authorized agent at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

Place:

Date:

Signature of Revising Authority

Ward

FORM-14
[See rule 21(2)]

NOTICE OF HEARING OF OBJECTION.

To

.....
.....
.....

(Full name and address of /objector)

Reference/objection No.....

Your objection to the inclusion of the name of.....will be heard at.....(Place)at.....O'clock..... on the.....day of.....201.

You are directed to be present personally or through your authorized agent at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

Place:

Date:

Signature of Revising Authority

Ward.....

FORM-15
[See rule 21(3)]

NOTICE OF HEARING OF OBJECTION

To

.....
.....
.....

(Full name and address of person against whom objection is received)

Reference objection No.....

The objection against inclusion of your name at Serial No.....in the Electoral roll forWard relating to.....Municipal Corporation filed by.....(Full name and address of objector)will be heard at.....(Place) at.....of.....day of.....200

You are directed to be present personally or through your authorized agent at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

The grounds of objection(in brief) are:-

- (a)
- (b)
- (c)

Place:

Date:

Signature of Revising Authority

Ward.....

FORM-16.
[See rule 21(2)]

NOTICE OF HEARING OF AN OBJECTION TO PARTICULARS IN THE ELECTORAL ROLL.

To

.....
.....
.....

(Full name and address of objector)

Reference/objection No.....

Your objection to certain particulars in the entry relating to you will be heard at.....(Place) at.....O'clock on theday of.....20 .

You are directed to be present personally or through your authorized agent at the hearing with such evidence as you may like to adduce.

Place:

Date:

Signature of Revising Authority

Ward.....

FORM-17.
(See rule 23(1))
NOTICE OF FINAL PUBLICATION OF ELECTORAL ROLL.

It is hereby notified for public information that electoral roll for ward No.(Ward) of Municipal Corporation.....has been prepared in accordance with the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 and a copy of the said electoral roll is hereby published finally.

Date:
Place:

**Electoral Registration Officer
(Municipal Corporation)**

**FORM-18.
(See rule 25).**

APPLICATION FOR DELETION OF ENTRY IN ELECTORAL ROLL.

To

The **Electoral Registration Officer,**
.....

Sir,

I submit that the entry at Serial No.....in the Electoral roll for.....ward/ Polling Station relating to Shri./Smt.....son/daughter of Shri/Smt.....requires to be deleted as the said person is not entitled to be registered in the Electoral roll for the following reasons:-

.....
.....

I hereby declare that the facts submitted by me hereinabove are true to the best of my knowledge and belief and I also know that any person who makes a statement of declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable in accordance with the law in force.

I declare that I am a voter of this ward being enrolled at Serial No.....

Place:
Date:

Signature/thumb impression of applicant
(Full postal address).

**FORM-19.
(See rule 34)**

NOTICE OF ELECTION PROGRAMME.

Notice is hereby given that -

1. An election is to be held for electing a—
 - *Councilor from.....ward(S) of Municipal Corporation.
 - *Mayor/Deputy Mayor of.....ward(s) of Municipal Corporation.
2. Nomination paper may be delivered by a candidate or his proposer to the(Authority) at between 11 A.M. and 3 P.M. from.....to.....(dates).
3. Forms of nomination papers may be obtained at the place and time aforesaid.
4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at.....
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to the authority specified in paragraph (2) above at his office before 3. P.M. on the.....
6. The symbols to the contesting candidates shall be allotted on.....(dated) after the time of withdrawal is over and list of contesting candidates shall be prepared in **Form-25**.....at.....P.M.
7. In the event of the election being contested the poll will be taken on.....between the hours of.....and

Returning Officer

**FORM-20
(See rule 37)
NOMINATION PAPER.**

Election to the Councillor from ward No. and Name..... of Municipal Corporation, Shimla.

Election to the office of the Mayor/Deputy Mayor of Municipal Corporation, Shimla.

I hereby nominate Sh./Smt.....

.....

.....(Candidate's/father Name with complete address)
as a candidate for above election. His name is entered at the serial No.....of
electoral roll of polling station No.....of ward No.....of Municipal
Corporation.....

My name is entered at Serial No.....of electoral roll of
polling station.....of ward No..... of Municipal Corporation.....

Date:

Signature of proposer.
full name & address of proposer

(to be filled by the candidate).

I.....the above mentioned candidate assent to this
nomination and hereby declare:-

- (a) That I have completed.....years of age; and
- (b) That I have not been disqualified for contesting of election(s)
under any law in force.
- (c) That I am set up in this election by theparty.

Dated:

Signature of candidate.

Note:-

**(Further declaration to be made by a Scheduled Caste or Scheduled Tribe
candidate or other Backward Classes candidate).**

I hereby declare that I am a member of thecaste/tribe / other
Backward Classes which has been declared to be Scheduled Caste or Tribe or
other Backward Classes in Himachal Pradesh.

Dated.....

Signature of candidate.

Verification by Executive Magistrate.

The above declaration is solemnly affirmed before me by.....who is personally known to me/who has been identified to my satisfaction by.....

Date:
Place:

Signature with seal.

(Decision of Returning Officer regarding accepting or rejection the nomination paper).

(To be filled by the Returning Officer).

I have examined this nomination paper in accordance with rule 41 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 and decided as follow:-

Date:
Place

Returning Officer.

The symbol assigned to the candidate is.....

Date:
Place

Returning Officer.

(To be filled in by the Returning Officer or specified authority).

Serial No. of nomination paper.....

This nomination paper was delivered to me at my office
on.....(date).....at.....(hours).....
.....and shall be taken up for scrutiny on
at.....(place).....of.....(hours).....

Place:

Date:

Returning Officer/Specified Authority.

Important Note:- (i) Returning Officer will examine that alongwith Form_20 (nomination paper), each candidate is supplied with a copy of Annexure-I prescribed by the State Election Commission under the HP Panchayat and Municipalities Elections (Disclosure) specified information by the candidates) Regulation, 2004.

(ii) It is compulsory for every contesting candidate to submit alongwith nomination papers, the aforesaid Annexure-I in affidavit form duly attested by a Magistrate or a Notary Public or an Oath Commissioner.

(iii) The candidate will also to extra attested photocopy of the said Annexure alongwith original Affidavit to Returning Officer.

**Form-21
(See rule 39)
NOTICE OF NOMINATION**

Election to:-

Councillor from ward No..... of Municipal Corporation.
Mayor/Deputy Mayor of Municipal Corporation.....

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received upto 3 P.M. today.....

S.No. of Nominati on paper.	Name of Candi date.	Name of father/hu sband.	Age of can did ate.	Add res s.	Particulars of caste/tribe/ OBC of candidate belonging to Sch. Caste/Tribe/ OBC	S.No.of candidate in the electoral roll.	Nam e of prop oser.	S.No.of propose r in the electoral roll.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Place:

Date: Returning Officer or Specified Authority.

**FORM-22.
[See rule 40 (7)]**

LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES.

Election to:-

Councillor from ward No..... of Municipal Corporation.
Mayor/Deputy Mayor of Municipal Corporation.....

Sl.No.	Name of candidate.	Name of father/husband.	Address of candidate.
1.	2.	3.	4.

Place:

Date: Returning Officer

**[See rule 41(1)]
NOTICE OF WITHDRAWAL.**

Election to:
Councillor from.....ward of Municipal Corporation.
Mayor/Deputy Mayor.....ward of Municipal Corporation.

To

The Returning Officer,
.....
.....

I,.....a candidate nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:
Date:

Signature of candidate.

This notice was delivered to me at my office at.....(hours).....on.....(date) by.....(Name).

Returning Officer or specified authority.

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL.
(To be handed over to the person delivering the notice).

The notice of withdrawal of candidature by.....a candidate at the election to-

Councillor from ward No..... of Municipal Corporation.....Mayor/Deputy Mayor of Municipal Corporation.....was delivered to me by the * Candidate.....at.....my office at.....(hours) on.....(date).

Date.....

Returning Officer or specified authority.

FORM 24.
[See rule 41(2)]
NOTICE OF WITHDRAWAL.

Election to-

Councillor ward No.....of Municipal Corporation.....

Mayor/Deputy Mayor of Corporation.....

Notice is hereby given that the following candidate(s) at the above election withdrawn his/their candidature(s) today:-

Sr. No.	Name of candidate.	Address of candidate.	Remarks.
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
4.			
5. etc.			

Place:

Returning Officer or Specified authority.

FORM-25.
(See rule 42)
LIST OF CONTESTING CANDIDATES.

Election to-

Councillor ward No..... of Municipal Corporation.....
Mayor/Deputy Mayor of Municipal Corporation.....

Sr. No.	Name of candidate.	Address of candidate.	Symbol Allotted.
1.	2.	3.	4.

Date:
Place:

Returning Officer

FORM 26.
(See rule 45)
FORM OF APPOINTMENT OF ELECTION AGENT.

I.....a candidate for election of -

Councillor from ward No..... of Municipal Corporation.
Mayor/Deputy Mayor of Municipal Corporation.....

to be held on.....hereby appoint
Shri/Smt.....S/D/O.....R/O.....as my election agent from this date upto the
conclusion of the above election.

Date:
Place:

Signature of Candidate.

I accept the above appointment.

Dated:
Agent:
Place:

Signature of Election Agent.

I hereby declare that at the above election I will not do any thing forbidden by the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the rules made thereunder, which I have read/has been read over to me.

Approved.

Signature of Election Agent

Dated:
Place:

Signature of Returning Officer.

FORM 27.
[See rule 46(2)]
APPOINTMENT OF POLLING AGENT.

Councillor ward No..... of Municipal Corporation.
Mayor/Deputy Mayor ofward of Municipal Corporation.

Ia candidate at the above election do hereby appoint Sh.....S/o Sh/D/o/R/o.....as polling agent to attend polling station No.....Place fixed for the Poll.....at.....

Place:
Date:

Signature of candidate.

I agree to act as such polling agent.

Signature of Polling Agent.

(Declaration of polling agent to be signed before Presiding Officer)

I hereby declare that at the above election I will not do any thing forbidden by the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 or Rule made there under which I have read/has been read over to me.

Place:

Date:

Signature of Polling Agent.

Signed before me.

Place:

Date:

Presiding Officer.

FORM-28.

(See rule 48(2))

REGISTER FOR MAINTENANCE OF DAY-TO-DAY ACCOUNT OF ELECTION EXPENDITURE BY CONTESTING CANDIDATES FOR ELECTION TO WARD/MUNICIPAL CORPORATION.

1. Name of candidate.....
2. *Ward/Municipal Corporation from which contested.....
3. Seat for which contested.....
4. Date of filing nomination.....
5. Date of declaration of result.....

Date of Expdt.	Nature of Expdt.	Amount of Expdt..		Date of payment	Name and address of payee.	No of Vouchers in case of amount paid.	No. of bills in case of amount outstanding.	Name and address of the person to whom the amount outstanding is payable.	Remarks.
		paid	Outstanding						

1.	2.3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
----	------	----	----	----	----	----	----	-----

Certified that this is true copy of the account kept by me/my election agent.

Signature of contesting candidate.

FORM -29
[See rules 48(5) and 48(10)]

DETAIL OF ELECTION EXPENSES BY CONTESTING CANDIATES FOR ELECTION TO WARD/MUNICIPAL CORPORATION-----

Name of contesting candidate.....

Name of ward/Municipal Corporation.....

Item of Expenditure.	Sources from where money procured.	Amount of Expenditu re.	Date(s) of payment.	Mode of paym ent.	Evidence of payment enclosed with the account.	Rema rks.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 1.Expenditure on security deposit.
- 2.Expenditure on purchase of copies of electoral rolls.
3. Expenditure on printing of manifesto, and expenditure On printing of posters and hand bills etc.
4. Expenditure on pasting of posters.
5. Expenditure on writing of wall writing and on publication of advertisements.
6. Hiring charges of places for public meeting and hiring charges of pandals etc. for public meetings.
7. Hiring charges of loudspeakers for public meeting.
8. Hiring charges on vehicle and Petrol, Oil and Lubrication(POL) used by the candidate.
9. Hiring charges and Petrol, Oil and Lubrication(POL) on vehicle used by election agent/polling agent.
- 10.Misc. Expenditure(other than those listed above).

Signature of contesting candidate.

FORM-30.
[See rule 48(10)]

PROFORMA FOR THE SUBMISSION OF ELECTION EXPENDITURE BY CONTESTING CANDIDATES FOR ELECTION TO WARD/MUNICIPAL COPORATION.

1. Name of candidate.....
- 2.*Ward/Municipal Corporation.....
3. Seat for which contesting
4. Date of filing nomination.....
5. Date of declaration of result.....

Date of Expdt .	Nature of Expdt.	Amount of Expdt..		Date of payment	Name and address of payee.	No of Vouchers in case of amount paid.	No. of bills in case of amount outstanding.	Name and address of the person to whom the amount outstanding is payable.	Remarks.
		paid	Outstanding						
1.	2.3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.

Certified that this is true copy of the account kept by me/my election agent.

Signature of contesting candidate.

FORM-31

[See rule 48(10)]

AFFIDAVIT.

I..... son/wife/daughter ofaged.....years.....resident ofdo hereby solemnly and sincerely state and declare as under:-

1. That I was contesting candidate at the general election/bye-election to the ward No...../Municipal Corporationthe result of which was declared on.....
2. That I/my election agent kept a correct account of all expenditure in connection with the above election incurred authorized by me or by my election agent between.....(the date on which I was nominated) and upto the date a day after the declaration of the result thereof, both day inclusive.
3. That the said account was maintained in Forms 28 to 30 appended to the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 and a true copy thereof is annexed hereto with the supporting vouchers/bills mentioned in the said account.

4. That the account of my election expenditure as annexed hereto included all items of election expenditure incurred or authorized by me or by my election agent and nothing has been concealed or withheld/suppressed therefrom.
5. That the statements in the foregoing paragraphs 1 to 4 are true to my personal knowledge, that nothing is false and nothing material has been concealed.

Deponent,
Solemnly affirmed/sworn
by.....at.....this day of
20.....before me.

FORM-32 .
(See rule 48(11)).

ACKNOWLEDGEMENT.

The detailed account of the election expenses on prescribed proforma in respect of Shri.....(Candidate)from.....ward/Municipal Corporation result of which was declared on.....(Date) filed by him on.....(Dated) has been received by me today the(Date) of(Month).....(Year).

Returning Officer

FORM-33
(See rule 50)

FOR USE IN ELECTION WHEN SEAT IS UNCONTESTED.

Election to:

Councillor ward No..... of Municipal Corporation.....
Mayor/ Deputy Mayor.....Municipal Corporation.....

In pursuance of the provision contained in rule 50 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012, I declare that -

Name.....

Address.....

Has been duly elected as Councillor / Mayor/ Deputy Mayor from the above ward/Municipal Corporation.

Place:

Date:

Signature of Returning Officer.

[See rule 56(2) and 75]

**PART-I
RECORD OF PAPER SEAL USED.**

Election to Municipal Corporation.....From.....ward.
Number and name of polling station.....

Serial No. of ballot box used..	Serial No. of paper seal used.	Remarks.
1.	2.	3.

Signature of polling agent.

**PART-II.
ACCOUNT OF PAPER SEAL**

- 1. Serial No. of Paper seal supplied to.....total..... 1
- 2. No. of Paper seal used..... 2.
- 3. No. of unused paper seals..... 3.
to.....total.....
- serial No. of damaged seals, if any..... 4.
.....
to.....total.....

Place:

Date:

Signature of Presiding Officer.

FORM 35.
[See rule 58(1)]

BALLOT PAPER.

Election of Councillor from Ward No(with name) of Municipal Corporation.....
 Election of Mayor/Deputy Mayor.....Municipal Corporation.....

*Ward/Municipal Corporation.....
 Serial Number of Voter.....
 Number.....

Signature/thumb impression.

No. and Name of *Ward/Municipal Corporation.....

Name of Candidate.	Symbol.
1.	2.

FORM 36.
[See rule 64(1)]
APPLICATION FOR ELECTION DUTY CERTIFICATE

To
 The Returning Officer for.....
 Ward No.....Municipal Corporation ,.....

Sir,
 I intend to cast my vote in person at the ensuing election to Councillor from Ward No.....of Municipal Corporation.....

I have been posted on election duty within the ward at(no & name of polling station).....but my name is entered at Serial No.....of the Electoral roll for polling station No.....of Ward comprised within Municipal Corporation.

I request that an **Election Duty Certificate** (Form -38) may be issued to enable me to vote at the polling station where I may be on duty on the polling day.

It may be sent to me at the following address:-

Name.....
 Address.....

Date
 Place: (Yours faithfully,).

FORM-37.
[See rule 64(2)]
LETTER OF INTIMATION TO RETURNING OFFICER.

To

The Returning Officer
Ward No (with name)Municipal Corporation.

Sir

I intend to cast my vote at the ensuing election to;-

Mayor /Deputy Mayor / Councillor from.....(Ward) of Municipal Corporation.....

My name is entered at Sr. No.....of polling station
(No. and name) of the Electoral Roll for Ward No.....Municipal Corporation.

I may be issued a postal Ballot Paper for the election of
Councillor and Election Duty Certificate(EDC)for the election of Mayor/Deputy Mayor
at the following address:-

Name.....
Address.....
.....

Yours faithfully,

Date:
Place:

()

FORM 38
[See rules 64(2) and 65(1)]

ELECTION DUTY CERTIFICATE.

Certified that.....is an elector in ward No..... of *Municipal CorporationHis Electoral roll number being.....for polling station (No. and name) by reason of his being on election duty, he is unable to vote at the polling station where he is entitled to vote and that he is, therefore, hereby authorized to vote at polling station (No. and name)of the ward where he is on duty on the day of poll.

Place:
Date:
Officer.

Signature of Returning

SEAL

FORM-39.
(See rule 68).

DECLARATION BY THE COMPANION OF BLIND OR INFIRM VOTER.

*Election of Councillor from Ward No.....Ward of Municipal Corporation.

*Election of Mayor/Deputy Mayor.....Municipal Corporation.

I(No. and name of Polling Station.....) son
of.....aged.....resident of (Full
Address).....
hereby declare that -

- (a) I have not acted as companion of any other voter at this or any other polling station today, the.....day of 20..... and
- (b) I shall not disclose the secrecy of the vote recorded by me on behalf of.....

Name of voter and his serial,
No. in the Electoral roll to be given

Place:
Date:

Signature of companion.

FORM 40.

[See rule 68(2)]

LIST OF BLIND AND INFIRM VOTERS.

*Election of Councillor from Ward No.....Ward of Municipal Corporation.
Mayor/Deputy Mayor Municipal Corporation.....

Number and name of polling station.....

Sl.No of Voter.	Full Name of Voter.	Full Name of companion.	Address of companion.	Signature of companion.

Dated:

Signature of Presiding Officer.

FORM 41.
[See rules 70(2) and 75]
LIST OF TENDERED VOTER.

*Election of Councillor from Ward No..... of Municipal Corporation.
 Election of Mayor/Deputy Mayor.....Municipal Corporation.

No. and name of Polling station.....

S.No.	Name of Voter.	Address of Voter.	S.No of tendered Ballot Paper.	S.No. of Ballot paper issued to the person who has already voted.	Signature or thumb impression of person tendering vote.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Place:

Dated:

Signature of Presiding Officer.

FORM 42.
[See rules 71(1) and 75]

LIST OF CHALLENGED VOTES.

*Election of Councillor from Ward No..... of Municipal Corporation.
 Election of Mayor/Deputy Mayor.....Municipal Corporation.

No. and name of Polling station.....

S.No. of voter.	Name and address.	Signature or thumb impression of voter.	Name of identifier, if any.	Order of Presiding Officer in each case.
1.	2.	3.	4.	5.

Place:

Dated:

Signature of Presiding Officer.

FORM -43

(See rule 74).

BALLOT PAPER ACCOUNT.

Election of Councillor from Ward No.....ward of Municipal Corporation.
Election of Mayor/Deputy Mayor Municipal Corporation.....
Number and name of polling station.....

PART-I.

		Serial No.	Total No.
(i)	Ballot papers received		
(ii)	Ballot papers not used		
(iii)	Ballot papers issued to voters		
(iv)	Ballot papers cancelled		
(v)	Ballot papers used for tendered votes		

Dated:
Place

Signature of Presiding Officer.

**PART-II
RETURN OF COUNTING**

Sr. No.	Name Candidate	No. of valid votes polled
1		
2		
3		
4		
etc		
	Total number valid votes polled	
	Rejected Ballot Paper	
Total No. of ballot papers in the ballot box(s)		
Difference, if any		

Signature of Counting Supervisor

Signature of Returning Officer

Date:

**FORM-44
RETURN OF ELECTION**

[See rule 80 (6)]

Election to the Municipal Corporation..... from Ward
No.....

Sr. No.	Name Candidate	No. of valid votes polled
1		
2		
3		
4		
5		

Total number of votes polled

Total number of valid votes polled

Total number of rejected votes.

I declare that(name & address)..... has been duly elected to fill the
seat in Municipal Corporation..... Ward No.....

Place:

Date:

Signature of Returning Officer

FORM 45.
[See rule 77(4)]
PART-I.
APPOINTMENT OF COUNTING AGENTS.

Election of Councillor from ward No..... of Municipal Corporation.....
Election of Mayor/Deputy Mayor Municipal Corporation.....

I,a candidate/of
Shri/Smt.....who is a candidate at the above election do hereby appoints
Shri/Smt.....address.....as a counting agent to
attend the counting of votes at.....

Date:
Place:

Signature of Candidate.

I agree to act as such counting agent.

Signature of counting agent.

Date:
Place:

Declaration of counting agent to be signed before the Returning
Officer.

I hereby declare that at the above Corporation election I shall
not do anything forbidden by section 22 and any other relevant sections of the
Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and rules made thereunder,
which I have read/has been read over to me.

Place:
Date:

Signature of Counting Agent.

Signed before me.

Place:
Date:

Returning Officer.

FORM- 46
[See rule 80(3)]
RETURN OF ELECTION OF COUNCILLORS.

Election of Councillor ward No..... of Municipal Corporation.
Election of Mayor/Deputy Mayor.....Municipal Corporation.....

S.No.	Name of Candidate.	No. of valid votes polled.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
etc.		

- (a) Total of valid votes polled.....
- (b) Total No. of rejected votes.....
- (c) Total No. of votes polled.....

I, declared that—

Name.....
Address.....
.....

Has been duly elected as Mayor/Deputy Mayor/ Councillor from the above ward
No.....of Municipal Corporation.....

Place:

Date:

Signature of Returning Officer.

FORM-47.
[See rule-80(3)]
RESULT SHEET OF THE ELECTION OF COUNCILLORS

Election of Councillor from ward No. of Municipal Corporation.....

S.No.	Name of Candidate.	No. of valid votes polled.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
etc.		

- (a) Total No. of valid votes polled.....
- (b) Total No. of rejected votes.....
- (c) Total No. of votes polled (a+b).....
- (d) Total No. of tendered votes.....
- (e) Remarks.....

Place of Counting.....

I declare that :-

Name.....

Address.....

.....

Has been duly elected as Councillor from the above ward.

Place:

Date:

Signature of Returning Officer.

FORM-48.
[See rule 80(3)]
RESULT OF ELECTION OF MAYOR /DEPUTY MAYOR

Election of Mayor/Deputy Mayor.....Municipal Corporation.

S.No.	Name of Candidate.	No. of valid votes polled.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
etc.		

- (a) Total No. of valid votes polled.....
- (b) Total No. of rejected votes.....
- (c) Total No. of votes polled.....
- (d) Total No. of Tendered Votes.....
- (e) Remarks.

I, declared that—

Name.....
Address.....
.....

Has been duly elected as Mayor/Deputy Mayor of the above Municipal Corporation.

Place:
Date:

Signature of Returning Officer.

FORM-49.
[See rule 80(3)]
RESULT SHEET.

Election of Mayor/Deputy Mayor of Municipal Corporation.....

S.No.	Name of Candidate.	No. of valid votes polled.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
etc.		

- (a) Total No. of valid votes polled.....
- (b) Total No. of rejected votes.....
- (c) Total no. of votes polled (a+b).....
- (d) Total No. of tendered votes.....
- (e) Remarks.....

Place of Counting:

Date:

Signature of Returning Officer.

FORM- 50.

[See rule 89(3)]

I.....the petitioner in the accompanying election petition calling in question the election of Shri/Smt.....from.....respondent No.....in the said petition make solemn affirmation/oath and say,-

(a) That the statement made in paragraphs.....of the accompanying election about the commission of corrupt practices of theand the particulars of such corrupt practices given in paragraphof the Schedule annexed thereto are true to my knowledge.

(b) That the statement made in paragraph.....of the said petition about the commission of the corrupt practices ofand the particulars of such corrupt practices given in paragraphs.....of the said petition and in paragraphs.....of the schedule annexed thereto are true to my knowledge;

(c)
(d)
Etc.

Signature of deponent.

Solemnly affirmed/sworn by Shri/Smt.....
at this.....day of.....20..... Before me.

Executive Magistrate.

By Order

(Bharathi S. Sihag)
Principal Secretary (U.D.) to

the
Pradesh.

Government of Himachal

(Bharathi S. Sihag)
Principal Secretary (U.D.) to the
Government of Himachal

Pradesh.

Endst. No. UD-A(3)-7/2011 Shimla-2, the 23rd March, 2012

Copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. The L.R.-cum-Principal Secretary (Law), GoHP, Shimla-2.
2. The Secretary, State Election Commission, Shimla-2.
3. The Divisional Commissioner, Shimla Division, H.P. Shimla-2.
4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2.
5. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-1.
6. The Deputy Commissioner, Shimla, District Shimla, HP.
7. The Controller, Printing and Stationary Department, H.P. Shimla-5 with the request that the above notification may kindly be published in Rajpatra(Extra ordinary)

Under Secretary (U.D.) to the
Government of Himachal Pradesh.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या यु0 डी0-ए (3) -7/2011 तारीख 23-3-2012, द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-3-2012 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम 1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2016 है।

नियम 2 का संशोधन। 2 हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन संशोधन नियम, 2012, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) में,—

(क) खण्ड (ix) में “मेयर और उप मेयर” चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा और

(ख) खण्ड (xv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(xv) “पदाधिकारी” से निगम के मतदाताओं द्वारा पार्षद् के रूप में निर्वाचित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;”।

नियम 10 का संशोधन। 3 उक्त नियमों के नियम 10 में उप-नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) उप-नियम (5) के उपबंधों के अध्यक्षीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान, उस वार्ड की कुल जनसंख्या के सम्बद्ध में, प्रतिशतता वाले वार्ड, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे।”।□

नियम 12 का प्रतिस्थापन। 4 उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“12. महापौर (मेयर) के पद का आरक्षण और चक्रानुक्रम.—(1)

महापौर के पद के लिए आरक्षण निम्नलिखित रूप में होगा :-

- (i) प्रथम अढाई वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति
- (ii) द्वितीय अढाई वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति
- (iii) आगामी अढाई वर्ष के दौरान सामान्य
- (iv) आगामी अढाई वर्ष के दौरान महिला

परन्तु जहाँ उपरोक्त निर्दिष्ट व्यक्तियों की किसी श्रेणी की जनसंख्या निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पन्द्रह प्रतिशत से कम है, वहाँ महापौर का पद उस श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं होगा और वह समस्त श्रेणियों के लिए खुला रखा जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में आरक्षण का रोस्टर प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात् दोहराया जाएगा।”।

नियम 14 का संशोधन।

- 5 उक्त नियमों के नियम 14 के उप-नियम (1) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि राज्य निर्वाचन आयोग इन नियमों के अधीन निर्वाचन के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के लिए, भारत के निर्वाचन आयोग के डाटा बेस का उपयोग कर सकेगा।”।

नये नियम 16-क का अन्तःस्थापन।

- 6 उक्त नियमों के नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“16-क मिथ्या घोषणा करना :-यदि कोई व्यक्ति,-

(क) किसी निर्वाचक नामावली को तैयार करने, पुनरीक्षण करने या ठीक करने के सम्बन्ध में; या

(ख) किसी निर्वाचक नामावली में या से किसी प्रविष्टि को सम्मिलित करने या अपवर्जित करने के सम्बन्ध में; या

(ग) लिखित में किसी कथन या घोषणा के सम्बन्ध में जो मिथ्या है और जो या तो उसकी जानकारी में मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का, उसे विश्वास है, के सम्बन्ध में मिथ्या घोषणा करता है,

तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो

सकेगी या जुमाने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

नियम 32 का संशोधन।

7 उक्त नियमों के नियम 32 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(3) आयोग निगम या निगमों के समूह में निर्वाचन के संचालन का निरीक्षण करने और ऐसे अन्य कृत्यों, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सौंपे जाए, का अनुपालन करने के लिए सरकार के किसी अधिकारी को प्रेक्षक के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रेक्षक (प्रेक्षकों) को निगम जिस के लिए उसे (उन्हें) नाम निर्दिष्ट किया गया है, के रिटर्निंग अधिकारी को किसी भी समय परिणाम की घोषणा करने से पूर्व मतगणना को रोकने या परिणाम घोषित न करने के निदेश देने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक (प्रेक्षकों) की राय में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों पर या मतदान या मतगणना के लिए नियत स्थानों पर बूथ हथियाने की घटनाएँ हुई हैं, या मतगणना केन्द्र या मतगणना के लिए नियत स्थान पर प्रयुक्त मतपत्र को, रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से विधि विरुद्ध ले जाया गया है या गलती से या जानबूझ कर नष्ट कर दिया है या गुम हो गए हैं या उन्हें उस विस्तार तक नुकसान पहुंचाया गया है या छेड़छाड़ कर दी है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतों का परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता :

परन्तु जहां इस उप नियम के अधीन प्रेक्षक (प्रेक्षकों) ने, मतों की गणना को रोकने या परिणाम को घोषित न करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को निदेशित किया है, वहां प्रेक्षक आयोग को तत्काल मामले की रिपोर्ट करेगा और उस पर आयोग, समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए उचित निदेश जारी करेगा।”।

नियम 36 का लोप

8 उक्त नियमों के नियम 36 का लोप किया जाएगा।

नियम 37 का संशोधन।

9 उक्त नियमों के नियम 37 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) निगम के भीतर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति, जो निगम के उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता है, द्वारा, वार्ड के पार्षद के पद के लिए

अभ्यर्थी के रूप में नामांकित किया जा सकेगा।”।

नियम 38 का संशोधन। 10 उक्त नियमों के नियम 38 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) का लोप किया जाएगा।

नियम 43 का संशोधन। 11 उक्त नियमों के नियम 43 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“43. अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्हों (प्रतीकों) का आबंटन—(1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के पश्चात्, यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है, तो रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में कम संख्या के अनुसार, और नियम 35 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट चुनाव चिन्ह (प्रतीक) की कम संख्या के अनुसार अनुमोदित चिन्ह (प्रतीक) में से चिन्ह (प्रतीक) आबंटित करेगा :

परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी के लिए चिन्ह (प्रतीक) के चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होगा।

नियम 44 का लोप। 12 उक्त नियमों के नियम 44 का लोप किया जाएगा।

नियम 48 का संशोधन। 13 उक्त नियमों के नियम 48 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपगत किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगी:

परन्तु राज्य सरकार, आयोग के परामर्श से, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपगत किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ा सकेगी।

नियम 58 का संशोधन। 14 उक्त नियमों के नियम 58 में उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु अंतिम अभ्यर्थी के नाम तथा चिन्ह (प्रतीक) के पश्चात् एक स्तम्भ जिसमें “उपरोक्त में से कोई भी नहीं” लिखा हो, होगा। स्तम्भ का आकार वैसा ही होगा, जैसा अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रयुक्त हुआ हो।

नियम 80 का संशोधन।

15 उक्त नियमों के नियम 80 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) प्रत्येक पेटी से निकाले गए मतपत्रों को उस पद से सम्बन्धित अन्य मत पेटियों से निकाले गए मतपत्रों के साथ मिलाया जाएगा। निगम के पार्षदों के परिणाम की घोषणा प्ररूप 47 पर परिणाम पत्र (शीट) तैयार कर लेने के पश्चात्, प्ररूप 46 पर की जाएगी :

परन्तु प्ररूप 46 पर परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व और मतदान केन्द्र के समस्त विधिमान्य मतों की गणना पूर्ण होने के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी जिसने प्ररूप 47 में परिणाम पत्र (शीट) पर प्रविष्टियां की हैं, विशिष्टियों को घोषित करेगा। ऐसी घोषणा करने के पश्चात् कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ताओं में से कोई एक, रिटर्निंग अधिकारी को, मतों की पूरी या किसी भाग की पुर्नगणना के लिए उन कारणों का उल्लेख करते हुए, जिनके आधार पर उसने ऐसी पुर्नगणना की मांग की है, लिखित में आवेदन कर सकेगा। ऐसे किसी आवेदन के किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी, मामले का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर सकेगा अथवा यदि उसे यह प्रतीत होता हो कि यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त है, तो वह उसे अस्वीकार कर सकेगा, ऐसे आवेदन पर रिटर्निंग अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय लिखित में होगा और उसमें उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

नियम 81 का संशोधन।

16 उक्त नियमों के नियम 81 में,—

- (क) उप-नियम (1) में चिन्ह और शब्द “/महापौर/उप-महापौर” जहां कहीं भी ये आते हैं, का लोप किया जाएगा; और
(ख) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

नये नियम 81—क, 81—ख, 81—ग, 81—घ, और 81—च का अन्तःस्थापन।

17 “81—क.— महापौर का निर्वाचन.—(1) नियम 81 के अधीन निर्वाचित पार्षद द्वारा शपथ लेने अथवा को राजनिष्ठा की शपथ दिलाने के तुरन्त पश्चात् या अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन पद की प्रत्येक अवधि के अवसान से पूर्व, निदेशक, बैठक बुलाएगा और महापौर के निर्वाचन के संचालन के लिए बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) महापौर के निर्वाचन के लिए बैठक की गणपूर्ति कुल निर्वाचित पार्षदों के तीन चौथायी से होगी। यदि गणपूर्ति पूर्ण न हो तो

बैठक की अध्यक्षता करने वाला निदेशक बैठक को अगली तारीख तक स्थगित (मुलतवी) करेगा जो इसकी प्रथम बैठक के दिन से तीन दिन से अधिक के लिए नहीं होगी। स्थगित (मुलतवी) बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

- (3) यदि पद के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी का नाम प्रस्तावित होता है, तो वह, उक्त पद को भरने के लिए ऐसे अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा
- (4) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक हैं तो मतदान किय जाएगा।
- (5) महापौर के निर्वाचन में प्रयोग किया जाने वाला मतपत्र प्ररूप 47-क में होगा और उनमें दर्शित विशिष्टियां (विवरण), हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगी।

81-ख. महापौर के निर्वाचन में मतदान की रीति.—(1) महापौर के निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :-

- (क) निदेशक, पार्षदों को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मत के पीछे सुभिन्न चिन्ह के रूप में अपने हस्ताक्षर करेगा ;
- (ख) पार्षद, मतपत्र की प्राप्ति पर अभ्यर्थी जिसे को वह अपना मत देना चाहता है, के नाम के सामने क्रॉस चिन्ह (X) लगाएगा;
- (ग) पार्षद, क्रॉस चिन्ह (X) लगाने के पश्चात् मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा कि उसका मत छुप जाए ; और
- (घ) पार्षद, मोड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा जो इस प्रयोजन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे निदेशक के सामने रखी होगी।

(2) पीठासीन अधिकारी, मतदान समाप्त हो जाने के पश्चात् मत पेटी को खोलेगा और पार्षद की उपस्थिति में मतों की गणना करेगा।

स्पष्टीकरण.— यह अवधारित करने के लिए कि डाला गया मत विधिमान्य है या अविधिमान्य है, नियम 79 के उपबन्ध लागू होंगे।

(3) सर्वाधिक मत अभिप्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा :

परन्तु यदि मतपत्रों की गणना के पश्चात् किन्ही अभ्यर्थियों के मत बराबर हों, एक अतिरिक्त मत दोनों में से किसी एक अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित होने का हकदार बनाएगा तो तुरन्त इन अभ्यर्थियों में लॉट द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकलेगा, उसको एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ समझा (माना) जाएगा और उसे सम्यक् रूप से निर्वाचित

घोषित किया जाएगा।

(4) ऐसे मतदान में प्रयुक्त सभी मतपत्र एक मजबूत लिफाफे में रखे जाएंगे और पीठासीन अधिकारी उसे वहां उपस्थित पार्षदों के समक्ष मोहर बन्द (सील) करेगा तथा उस पर उस निर्वाचन का जिससे मतपत्र सम्बन्धित है, विवरण लिखेगा। आयुक्त, नगर निगम,, लिफाफे को या तो अपने कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे वह लिखित रूप में निर्दिष्ट (नियत) करे, निर्वाचन की तारीख के एक वर्ष के अवसान तक पूरी तरह से परिरक्षित रखेगा और तब, सक्षम न्यायालय या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए किसी प्रतिकूल निदेश के अध्यक्षीन, इसकी विषयवस्तु का ऐसी रीति में जैसा वह उचित समझे, निपटान कारित करवाएगा।

(5) निदेशक प्ररूप 49 में निर्वाचन का परिणाम तैयार करेगा और राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ तथा अभिलेख के लिए अग्रेषित करेगा।

(6) राज्य सरकार उप-नियम (5) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की प्राप्ति पर महापौर के निर्वाचन को अधिसूचित करेगी और उसकी प्रति आयोग को भेजेगी।

81-ग.-उप महापौर का निर्वाचन.-निदेशक, महापौर के निर्वाचन के पश्चात् इन नियमों के नियम 81-क और 81-ख के अधीन महापौर के निर्वाचन के लिए यथा उपबन्धित रीति में उप महापौर के पद के लिए निर्वाचन करेगा।

81-घ.- महापौर या उप महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.- (1) निगम के महापौर या उप महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, निदेशक को, सम्बोधित, इसके कुल निर्वाचित पार्षदों के बहुमत से हस्ताक्षरित लिखित में अध्यापेक्षा के माध्यम से लाया जा सकेगा :

परन्तु पार्षद जिन्होंने ऐसी अध्यापेक्षा की है, वे इसे इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक से पूर्व वापस ले सकेंगे;

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन अविश्वास प्रस्ताव उसके ऐसे पद के निर्वाचन की तारीख से छः मास के भीतर पोषणीय नहीं होगा और कोई पश्चात्वर्ती अविश्वास प्रस्ताव अंतिम अविश्वास प्रस्ताव से छः मास के अन्तराल के भीतर पोषणीय नहीं होगा।

(2) निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत उसके नियन्त्रणाधीन ऐसा अन्य अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, अध्यापेक्षा की एक प्रति जानकारी (सूचना) के लिए प्रत्येक पार्षद को प्रचालित करेगा।

(3) निदेशक या उप-नियम (2) के अधीन निदेशक द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस देकर विशेष बैठक बुलाएगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) अविश्वास प्रस्ताव अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार कार्यान्वित होगा।

81-च.- नया निर्वाचन.- यदि महापौर या उप महापौर का पद उसके कार्यकाल के दौरान, अविश्वास प्रस्ताव के मद्दे, रिक्त कर दिया जाता है तो यथास्थिति महापौर या उप महापौर के पद के लिए इन नियमों के अधीन रिक्त होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा।

प्ररूप
21,22,23,24,25,26,27
और 33 का
संशोधन।

18 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 21,22,23,24,25,26,27 और 33 में “महापौर/उप महापौर, शब्द और चिन्ह जहां कहीं भी आते हैं, का लोप किया जाएगा।

प्ररूप 35 का
प्रतिस्थापन।

19 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-35 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्.-

प्ररूप-35
(नियम 58(1) देखें)
मत-पत्र

नगर निगम-----की वार्ड संख्या-----से पार्षद का निर्वाचन।

वार्ड /नगर निगम-----

मतदाता की क्रम संख्या-----

संख्या-----

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

वार्ड/नगर निगम का नाम और संख्या-----

अभ्यर्थी का नाम	चिन्ह (प्रतीक)
1	
2	
3	
उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा)	

प्ररूप
39,40,41,42,43,45,
और 46 का

20 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 39,40,41,42,43,45, और 46 में शब्द और चिन्ह “महापौर/उप महापौर, जहां कहीं भी आते हैं, का लोप

संशोधन।

किया जाएगा।

प्ररूप 47-क का
अन्तःस्थापन।

21 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-47 के पश्चात् निम्नलिखित नया
प्ररूप 47-क अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-।

प्ररूप-47-क

(नियम 81-क और 81-ग देखें)

महापौर/उप महापौर के निर्वाचन के लिए मतपत्र

निगम का नाम-----

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	चिन्हांकन के लिए स्थान
1		
2		
3		
4		

”

आदेश द्वारा

मंनीषा नंदा

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या:- यथोपरि तारीख: शिमला-2 दिनांक, 11.2.2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. सचिव, राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला 2
3. निदेशक, शहरी विकास पालिका भवन, शिमला-2
4. उपायुक्त, जिला शिमला व जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
5. आयुक्त नगर निगम शिमला-1
6. आयुक्त नगर निगम धर्मशाला स्थित कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

(उर्मिल कराड़)

अतिरिक्त सचिव (शहरी विकास)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

Authoritative English Text of this Department notification No.UD-A (3)-7/2011-II, dated:.....as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

No.UD-A(3)-7 /2011-II, Government of Himachal Pradesh
Department of Urban Development.
dated: Shimla-2, the 11.2.2016.

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 31 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the State Election Commission, makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Election) Rules, 2012, notified vide this Department Notification No.UD-A (3)-7/2011 dated 23.3.2012, published in Rajpatra, Himachal Pradesh, on 24.3.2012, namely:-

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Short title. | 1 | These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Election) Amendment Rules, 2016. |
| Amendment of rule 2. | 2 | In the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1) ,-
(a) in clause (viii) , the sign and words, "Mayor and Deputy Mayor" shall be omitted.; and ;
(b) for clause (xiv), the following clause shall be substituted, namely:-
"(xiv) "Office Bearer" means a person elected as Councillor by the voter of the Corporation;". |
| Amendment of rule 10. | 3 | In rule 10 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(3) Subject to the provisions of sub-rule (5), out of the seats reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, one-half of the seats shall be reserved for women members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes having highest percentage of women in the ward in relation to total population of that ward.". |
| Substitution of rule 12. | 4 | For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-
"12. Reservation and rotation of the office of Mayor.-(1) The reservation for the office of Mayor shall be as under:-
(i) During the first two & half years SC |

- | | |
|---|---------|
| (ii) During the second two & half years | ST |
| (iii) During the next two & half years | General |
| (iv) During the next two & half years | Woman |

Provided that where the population of any class of persons referred to above is less than fifteen percent of the total population of the Corporation area, the office of Mayor shall not be reserved for that class and same shall be thrown open to all the categories.

(2) The roster of reservation in sub-rule (1) shall be repeated after every ten years”.

Amendment 5 of rule 14. In rule 14 of the said rules, in sub-rule (1), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the State Election Commission may use data base of the Election Commission of India for the preparation of the draft electoral rolls for the elections under these rules.”.

Insertion of 6 new rule 16-A After rule 16 of the said rules, the following new rule shall be inserted, namely:-

“16-A **Making of false declaration.**-If any person makes false declaration in connection with,-

- (a) the preparation, revision or correction of an electoral rolls, or
- (b) the inclusion or exclusion of any entry in or from the electoral rolls, or
- (c) a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.”.

Amendment 7 of rule 32. In rule 32 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(3) The Commission may nominate observer who shall be the officers of the State Government to watch the conduct of election in a Corporation or a group of Corporation and to perform such other functions as may be entrusted to them by the State Election Commission.

(4) The observer (s) nominated under sub-rule (3) shall have the power to direct the Returning Officer for Corporation for which they have been nominated, to stop the counting of votes at any time before the declaration of the result or not to declare the result, if in the opinion of the observers, booth capturing has taken place at a large number of polling stations or at

places fixed for the poll or counting of votes or any ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of the Returning Officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained:

Provided that where an observer(s) have directed the Returning Officer under this sub-rule to stop counting of votes or not to declare the result, the observer shall forthwith report the matter to the Commission and thereupon the Commission shall, after taking all material circumstances into account, issue appropriate direction."

- | | | |
|-----------------------|----|---|
| Ommition of rule 36. | 8 | Rule 36 of the said rules shall be omitted. |
| Amendment of rule 37. | 9 | In rule 37 of the said rule, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(1) Any person registered as voter within the Corporation, may be nominated as a candidate for the office of Councillor of a ward by another person who is registred voter in the electoral roll of that ward of the Corporation." |
| Amendment of rule 38. | 10 | In rule 38 of the said rule, in sub-rule (1), clause (a) shall be omitted. |
| Amendment of rule 43 | 11 | In rule 43 of the rules, for sub-rule (1), following rule shall be substituted, namely:-
"43. Allotment of symbols to candidates.- (1) After the list of contesting candidates is prepared and if the number of candidates is more than one, the Returning Officer shall allot symbol to each contesting candidate according to the serial number in the list of contesting candidates and of the approved symbols in accordance with the serial number of the symbols specified in the notification under rule 35:
Provided that there shall not be any choice of symbols for a candidate. |
| Ommition of rule 44. | 12 | Rule 44 of the said rules shall be omitted. |
| Amendment of rule 48. | 13 | In rule 48 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:- |

"(1) The maximum limit of election expenditure to be incurred by a contesting candidate or his authorized agent shall not exceed one lac rupees:

Provided that the State Government may enhance limit of maximum election expenditure to be incurred by a contesting candidate or his authorized agents in consultation with the Commission."

Amendment 14 In rule 58 of the said rules, after sub-rule (2), the following proviso of rule 58. shall be inserted, namely:-

"Provided that after the name and symbol of last candidate, there shall be a column with the words "**None of the above**" written therein. The size of the column shall be same as used for other candidates."

Amendment 15 In rule 80 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule of rule 80. shall be substituted, namely :-

"(3) The ballot papers taken out of each box shall be mixed-up with other ballot papers taken out of other ballot boxes concerning the same office. The result of councillors of Corporation shall be declared on **Form 46** after preparing the result sheet on **Form 47**:

Provided that before declaring the result on Form 46 and after the counting of all valid votes of polling station has been completed, the Returning Officer who have made the entries on a result sheet in Form-47 shall announce the particulars. After such announcement has been made, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agents may apply in writing to the Returning Officer to recount the votes either wholly or in part stating the grounds on which he demands such recount. On such an application being made, the Returning Officer shall decide the matter and may allow the application ;in whole or in part or may reject it if it appears to him to be frivolous or unreasonable. Every decision of the Retuning Officer on such application shall be in writing and contain the reasons therefor.

Amendment 16 In rule 81 of the said rules,- of rule 81.

(a) In sub-rule (1) the signs and words "/ 'Mayor/Deputy Mayor" wherever these occur shall be omitted. ; and

(b) sub-rule (2) shall be ommitted.

Insertion of 17 After rule 81 of the said rules, the following new rules shall be new rules inserted, namely :-

81-A, 81-B, "81-A. **Election of Mayor.**-(1) Immediately after an oath is taken or 81-C, 81-D an allegiance is subscribed by the elected Councillor under rule 81, and 81-E. or before the expiry of each term of office under sub-section (2) of section 36 of the Act, the Director shall convene the meeting and shall preside over the meeting for the conduct of election to the Mayor.

(2) Quorum for the meeting for the election of Mayor shall be $\frac{3}{4}$ of the total elected Councillors. In case the quorum is not complete, the Director presiding Over the meeting shall postpone the meeting to a later date not being more than three days from the day of its first meeting. For the postponed meeting no quorum shall be required.

(3) If only one candidate for the office is proposed, he shall declare such a candidate as duly elected to fill the said office.

(4) If there are more candidates, then, the poll shall be held.

(5) Ballot papers to be used at the election of the Mayor, shall be in Form-47-A and the particulars there in shall be in Hindi Devnagri script.

81-B. **Method of voting at the election of Mayor.**- (1)The procedure of voting at the election of mayor shall be as under.-

(a) before issuing the ballot paper to the Councillors, the Director, shall put his signatures on the back of each ballot paper in token of distinguishing mark;

(b) the Councillors on receipt of the ballot papers, shall make a cross(x) against the name of the candidate for whom he intends to vote;

(c) after making cross, the councilor shall fold the ballot papers so as to conceal his vote; and

(d) the Councillor shall insert the folded ballot paper into

the ballot box kept for the purpose in front of the Director functioning as the Presiding Officer.

(2) After polling is over, the Presiding Officer shall open the ballot box and shall, in the presence of the Councillor, count the votes.

EXPLANATION.- For determining whether a vote polled is valid or invalid, the provision of rule 79 shall apply.

(3) A candidate obtaining largest number of votes shall be

declared to be elected to fill the office:

Provided that if, after the counting of the votes tie is found to exist between any candidates and the addition of one vote will entitle any of these candidate to be declared elected, that shall forthwith be decided between these candidates by lot, and the candidate on whom the lot falls shall be considered to have received an additional vote and shall be declared to be duly elected.

(4) all ballot papers used for such voting shall be put in a stout envelope and sealed by the presiding officer in full view of the Councillors present there and the description of the election to which the ballot papers relate shall be inscribed thereon. The Commissioner, Municipal Corporation, shall preserve the envelope, intact either in his office or at such other place as he may specify in writing until the expiry of one year from the date of election and shall then subject to any direction to the contrary given by the competent court or the State Election Commission cause it to be disposed off with its contents in such manner as he may deem fit.

(5) The Director, shall prepare and forward the result of election in Form-49 to the State Government as well as to the State Election Commission for information and record.

(6) The State Government on receipt of the election result under sub-rule (5) shall notify the election of the Mayor and forward a copy of the same to the State Election Commission .

81-C. Election of the Deputy Mayor.- After the election of the mayor, the Director, shall hold the election to the office of the Deputy Mayor in the same manner as provided for the election of mayor under rules 81-A and 81-B of these rules.

81-D. No. confidence motion against the Mayor or the Deputy Mayor.- (1) A motion or no confidence motion against the Mayor or the Deputy Mayor of a Corporation may be brought through a requisition given in writing addressed to the Director, signed by not less than majority of its total elected councillors:

Provided that the Councillors who have made such a requisition may withdraw the same before the meeting is convened for the purpose:

Provided further that motion of no confidence under this rule shall not be maintainable within six months of the date of his election to such office and any subsequent motion of no confidence shall not be maintainable within the interval of six months of the last motion of no confidence.

(2) The Director or such other officer under his control not below the rank of an Officer of the Himachal Pradesh Administrative Service, authorized by him in this behalf, shall circulate to each councillor a copy of the requisition for their information .

(3)The Director or such other officer authorized by the Director under sub-rule (2), shall convene a special meeting by giving a notice of not less then fifteen days for the consideration of the motion referred to in sub-rule(1) and shall preside over at such meeting.

(4) A motion or no-confidence shall be carried in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 37 of the Act.

81-E. Fresh Election- If the office of the Mayor or the Deputy is vacated during his tenure on account of no-confidence motion a fresh election for the reminder of the period shall be held under these rules for the office of Mayor or the Deputy Mayor, as the case may be, within a period of one month from the date of occurrence of vacancy.”.

Amendment of Forms 21,22,23,24, 25,26,27 and 33	18	In Forms 21,22,23,24,25,26,27 and 33 appended to the said rules, the words and sign, “Mayor/Deputy Mayor, wherever these occur shall be omitted.
---	----	--

Substitution of Form-35.	19	For Form-35 appended to the said rules, the following form shall be substituted, namely:-
-----------------------------	----	---

" Form-35

See rule 58(1)

BALLOT PAPER

Election of Councillor from ward No..... of Municipal Corporation.....

Ward/Municipal Corporation-----

Serial No. of voter-----

Number-----

Signature/thumb impression

No. and name of ward/Municipal Corporation.....

Name of candidate	Symbol
1.	
2.	
None of the above(NOTA)	

Amendment 20 In Forms 39,40,41,42,43,45 and 46.appended to the said rules, the words and sign, "Mayor/Deputy Mayor, wherever these occur shall be omitted.
of Forms 39,40,41,42, 43,45 and 46.

Insertion of 21 After Form 47 appended to the said rules, the following new Form Form-47-A. 47-A shall be inserted, namely:-

" FORM-47-A

[see rule 81-A and 81-C]

BALLOT PAPER FOR THE ELECTION OF

MAYOR/DEPUTY MAYOR

Name of Corporation.....

Sr. No.	Name of candidate	Space for marking
1		
2		
3		
4		

By Order,

Manisha Nanda
Addl. Chief Secretary (UD) to

the

Government of Himachal

Pradesh.

Endst. No. as above, dated: Shimla-2, the

11.2.2016

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The DLR-cum-Deputy Secretary Law (Legislation) to the Govt. of H.P.
2. The Secretary, State Election Commission, Shimla-2.
3. The Director, Urban Development, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2.
4. The Deputy Commissioners, District Shimla and Kangra, HP.

5. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-1
6. The Commissioner, Municipal Corporation, Dharmshala, Distt. Kangra, HP.

(Urmil Krar)
Addl. Secretary (UD) to the
Government of Himachal Pradesh.

